UPVR010071142019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश M.P./M.L.A, न्यायालय संख्या 06, वाराणसी।
उपस्थित- सियाराम चौरसिया- (एच०जे०एस०) J.O. CODE U.P.6384
विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 407/2019

1- उत्तर प्रदेश सरकार..अभियोजन पक्ष

बनाम

1- अतुल राय पुत्र भरत सिंह निवासी बीरपुर थाना भावरकोल, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ....अभियुक्त।

मु०अ०सं०- 548/2019
धारा- 420,376,504,506 भा०दं०सं० व धारा 67A प्रौद्योगिकी अधिनियम
थाना- लंका , वाराणसी।

1- अधिवक्ता अभियोजन पक्षः श्री ज्योतिशंकर उपाध्याय
श्री राधेश्याम सिंह

2- अधिवक्ता बचाव पक्ष : श्री अनुज कुमार यादव
श्री दिलीप श्रीवास्तव

निर्णयः

1- प्रश्नगत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ में पारित निर्णय दिनांकित 11 दिसंबर 2018 के दृष्टिगत पीड़िता की पहचान प्रकट नहीं की जा रही है तथा पीड़िता का नाम "पीड़िता" के रूप में अंकित किया जा रहा है। प्रश्नगत मामले में थाना लंका, जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा अपराध संख्या 548/2019 के अंतर्गत अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध अंतर्गत धारा- 420,376,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानकः

2- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त अभिकथन है कि प्रार्थिनी/पीड़िता वाराणसी यू०पी० कालेज में 2015 से शिक्षा-दीक्षा ली। यू०पी० कालेज से प्रार्थिनी छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ चुकी है। इसी दौरान अतुल सिंह राय पुत्र भरत सिंह जो बीरपुर थाना-भांवरकोल जिला-गाजीपुर से उसकी पहली मुलाकात छात्रसंघ चुनाव 2015 में हुई। उसी समय अतुल राय उसका नम्बर लिये और बातचीत करने लगे। उससे बार-बार मिलने का प्रयास करने लगे। 07 मार्च 2018 को अपने वाराणसी फ्लैट पर अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने बुलवाये जो फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर के बगल में बुलाये तो वह वहाँ गयी तो सिर्फ अतुल राय का एक आदमी था जो वहाँ मौजूद था, उसे फ्लैट तक ले गया और बैठाया। शाम का समय था देरी होने पर उसने अतुल राय को फोन किया तो वह मैसेज किये कि वह तुम्हारी भाभी को बाहर लेकर आ गया हूँ। तुम वहीं रहो वह पहुंच रहा है। रात्रि करीब 10:00 बज गये थे, थोडी देर बाद अतुल राय आ गया उसके साथ कुछ बन्दूकधारी बाहर कुर्सी पर बैठ गये और

Digitally signed by SIYARAM CHAURASIA
Date: 2022.08.06 10:14:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतुल राय उसे कमरे में ले गये, तरह-तरह का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती बल पूर्वक उसके साथ बलात्कार किया। पहले से कमरे में लगे सी०सी०टी०वी० के माध्यम से वह वीडियो बना लिया था। उसका मुंह बन्द करने के लिए उसे हमेशा धमकियां देता था कि वीडियो वायरल कर दूंगा और उसकी आड़ में उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। उसे तथा उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी निरन्तर देता रहा। अतुल राय अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर समेत दर्जनों संगीन मुकदमे पूर्वांचल के कई जिलों में दर्ज है और यह पूर्वांचल के बाहुबली विधायक का करीबी है जो अश्लील वीडियो बनाकर उसका वर्षों से शोषण करता चला आ रहा है और बीते माह किसी बसपा नेता के यहाँ सोने के लिए निरन्तर दबाव बना रहा था। वह अब घटना से और अपनी जिन्दगी से तंग आकर अपने फेसबुक आई०डी० से उसने मदद की गुहार लगायी व अतुल राय को भी यह वीडियो भेजी थी लेकिन उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अतुल राय वर्तमान समय में गठबंधन प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है यह काफी राजनैतिक व रसूखदार है, काफी शातिर व चालबाज किस्म का व्यक्ति है। उसका फेसबुक वीडियो वायरल होने के बाद कई न्यूज चैनलों पर भी चला। खबर की जानकारी लगते ही अतुल राय उसे वाट्सएप के माध्यम से कभी उसे धमका रहा है कभी गिड़गिड़ा रहा है कभी उसकी सारी जरूरतें पूरा करने का आश्वासन दे रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। शारीरिक सम्बन्ध अतुल राय बनाता रहा उस दौरान उसकी तबियत खराब हो जाती थी तो दवा कराने के लिए किसी न किसी के माध्यम से उसे दवा के नाम पर कुछ रूपया दिया करता था। अतः महोदय से निवेदन है कि पीड़ित प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र की गम्भीरता को देखते हुए उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु किसी एजेन्सी/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को आदेशित/निर्देशित कर काल डिटेल, वाट्सएप कालिंग निकालकर उक्त अतुल राय के विरूद्ध प्रार्थिनी का मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाये व प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करायी जाये, नहीं तो कभी भी प्रार्थिनी व परिवार के साथ यह हत्या जैसी अप्रिय घटना कारित करा सकता है।

<u>आरोप पत्रः</u>

3- प्रश्नगत मामले में अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 548/19 अंतर्गत धारा- 420,376,504,506 भा०दं०सं० में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध अंतर्गत धारा- 420,376,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

<u>विरचित आरोपः</u>

4- प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण व साबित दस्तावेज पर अंकित प्रदर्शः</u>

5- <u>प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित किये जाने के संबंध में परीक्षित साक्षीगण व साबित दस्तावेज पर अंकित प्रदर्श-</u>

WWW.LIVELAW.IN

PW1	पीड़िता	तहरीर, बयान अंतर्गत धारा 164CrPC	प्रदर्श क-1, क-2
PW2	सत्यम प्रकाश राय	-	-
PW3	अमित श्रीवास्तव	-	-
PW4	का० राघव राय	चिक	प्रदर्श क-3
PW5	एस.आई. रमेश चन्द्र पाण्डेय(विवेचक)	जी.डी. व नक्शा नजरी	प्रदर्श क-4, क-5
PW6	डॉ रश्मि गुप्ता	परीक्षण रिपोर्ट, पूरक परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क-6, क-7
PW7	भारत भूषण तिवारी (विवेचक)	आरोप पत्र	प्रदर्श क-8
PW8	शिव कुमार गौड़	-	-
PW9	का० प्रीति रावत		

6- प्रश्नगत मामले में अभियुक्त अतुल राय का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक व गवाहान द्वारा प्रस्तुत अभिकथन के संबंध में निम्न अभिकथन किया गया-

1- PW1 पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन को गलत व झूठा तथा राजनैतिक दबाव में सलाह व मशविरा से पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने व परेशान करने की नियत से कानूनी सलाहकारों के राय व मशविरा के अनुसार झूठी रिपोर्ट लिखवायी गयी तथा झूठा आरोप लगाया गया है।

2- PW2 सत्यम प्रकाश राय के प्रस्तुत अभिकथन को गलत तथा फर्जी मुकदमा बनवाने का एक साजिशकर्ता तथा न्यायालय में झूठा बयान देना अभिकथित किया गया है।

3- PW3 अमित श्रीवास्तव के प्रस्तुत अभिकथन के संबंध में कुछ नहीं कहना है, अभिकथित किया गया है।

4- PW4 राघव राय के प्रस्तुत अभिकथन को गलत तथा पुलिस के कागजात पिछले समय में मुकदमा बनाने की गरज से बाद राय मशविरा फर्जी तैयार किया जाना अभिकथित किय गया है।

5- PW5 रमेश चन्द्र पाण्डेय के प्रस्तुत अभिकथन को गलत तथा अधिकारियों के कहने से फर्जी कागजात तैयार किया जाना तथा जान बूझकर गलत आपराधिक इतिहास का हवाला दिया जाना व लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण उसे गिरफ्तार करने के लिये राजनैतिक दबाव में विवेचक द्वारा फर्जी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का किया जाना अभिकथित किया गया है।

6- PW6 डॉ रश्मि गुप्ता के प्रस्तुत अभिकथन के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी न होना अभिकथित किया गया है।

WWW.LIVELAW.IN

7- PW7 भारत भूषण के प्रस्तुत अभिकथन को गलत तथा राजनैतिक दबाव में गलत ढंग से उसके साथ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का किया जाना अभिकथित किया गया है।

8- PW8 शिवकुमार गौड़ के प्रस्तुत अभिकथन के संबंध में कुछ नहीं कहना है, अभिकथित किया गया है।

9- PW9 का० प्रीति रावत के प्रस्तुत अभिकथन को गलत तथा अधिकारियों के दबाव में फर्जी कागज तैयार करना और जानबूझकर बयान सीडी को नष्ट कराया जाना अभिकथित किया गया है।

8- अभियुक्त द्वारा गवाहान द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गवाही के देने के संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि गवाहान एक षड्यंत्र एवं राजनैतिक द्वेष एवं दुश्मनी के चलते घोसी लोकसभा चुनाव 2019 में सांसद प्रत्याशी को हराने की नियत से झूठा मुकदमा तैयार करवाया गया तथा फर्जी मुकदमा कायम कराकर चुनाव के ठीक पहले जनता के बीच में उसे बदनाम करने एवं चुनाव प्रचार से रोकने के लिये घृणित हथकण्डे के तहत पुलिस द्वारा परेशान कराया गया। तमाम साजिश रची गयी फिर भी उसे चुनाव में हरा नहीं पाये और उसे विजयी घोषित किया गया तथा मुकदमा रंजिश एवं राजनैतिक दबाव के कारण झूठा मुकदमा बनाया व चलाया जाना अभिकथित किया गया है।

9- न्यायालय द्वारा अभियुक्त से पूछा गया कि आपको कुछ और कहना है, इस संबंध में अभियुक्त के द्वारा यह अभिकथित किया गया कि वह अलग से लिखकर प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में कागज संख्या 151ब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने बी०एस०सी० मैथ से हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी वर्ष 2004 में पास किया है। इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में प्रार्थी ने प्रवेश किया और राजनीतिक क्षेत्र में जनता के सहयोग व सम्मान से आगे बढ़ते हुए उसने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जमानियाँ विधान सभा से वर्ष 2017 का विधान सभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता सिंह से लगभग 7000 वोटों से हार गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी का मेम्बर होने के नाते प्रार्थी ने जनता से सम्पर्क बनाना शुरू किया तथा वर्ष 2019 के लोक सभा का चुनाव अपनी बहुजन समाज पार्टी से घोसी लोकसभा क्षेत्र जिला मऊ से चुनाव लड़ने का इरादा बनाकर घोसी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों से जन सम्पर्क शुरू किया और घोसी लोक सभा के मतदाताओं से प्रार्थी अभियुक्त को समर्थन का आश्वासन मिला। लोक सभा चुनाव वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबन्धन के द्वारा चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा सीट घोसी गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी को मिली तब प्रार्थी इस क्षेत्र से चुनाव लडने हेतु आवेदन पत्र ब०स०पा० प्रमुख के समक्ष प्रेषित किया और इसी घोसी लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्र अब्बास अंसारी को घोसी लोक सभा क्षेत्र से टिकट दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के टिकट वितरण की कमेटी ने घोषी लोक सभा क्षेत्र से गठबन्धन प्रत्याशी प्रार्थी/अभियुक्त को घोषित किया जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में हुआ। घोसी लोक सभा क्षेत्र से लोक सभा चुनाव 2019 का टिकट मिलते ही सबसे अधिक नाराजगी मुख्तार अंसारी को इसलिए हुई कि उनके लड़के को टिकट नहीं मिला तथा

घोषी लोक सभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद हरि नारायण राजभर भी इसलिए नाराज हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त को गठबन्धन प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रार्थी को चुनाव में हराने के लिए मुख्तार अंसारी, हरि नारायण राजभर, मुख्तार अंसारी के शूटर एवं सजायाफ्ता अपराधी अंगद राय का साला विजय शंकर तिवारी, अंगद राय, सत्यम प्रकाश राय, पीड़िता ने आपस मे साजिश एवं षडयन्त्र करके प्रार्थी को झूठा केस में फंसाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही दिनांक 25 अप्रैल 2019 को प्रार्थी/अभियुक्त ने गठबन्धन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया ठीक उसके 6 दिन बाद दिनांक 01.05.2019 को कथित मुकदमें की वादिनी पीड़िता ने एक पूर्व साजिश के तहत तैयार एक झूठी रिपोर्ट 07.03.2018 की घटना को दिखाते हुए थाना लंका वाराणसी में दर्ज करायी और प्रार्थी चुनाव प्रचार-प्रसार न कर पाए इसके लिए पुलिस ने 12 पुलिस निरीक्षकों की टीम अलग-अलग गठित किया तथा लुक आउट नोटिस भी जारी किया। शासन प्रशासन ने मिलकर प्रार्थी/अभियुक्तों को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू किया। उद्देश्य इतना था कि घोसी लोक सभा से भा०ज०पा० के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर जीत जाए। पूरा शासन-प्रशासन तंत्र प्रार्थी को हराने मे लगा था जिसके कारण प्रार्थी एक दिन भी अपने चुनाव का प्रचार नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी वहां की जनता ने प्रार्थी को लगभग 150000 लाख वोटों से जिताया और भा०ज०पा० प्रत्याशी हरि नारायण राजभर हार गये। उपरोक्त षड़यन्त्र के द्वारा प्रार्थी की छवि एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए षडयन्त्रकारियों ने पीड़िता को मोहरा बनाया और पीड़िता इन्हीं लोगो के हाथ खेलती रही। वादिनी पीड़िता कालेज में छात्र यूनियन का जब चुनाव वर्ष 2015 में लड़ रही थी, तब वह पहली बार उसके कार्यालय पर चुनाव का चंदा लेने आई थी और उसके प्रार्थना पर प्रार्थी ने उसके बैनर चुनाव सामग्री हेतु आर्थिक मदद कर दिया था। प्रार्थी अभियुक्त ने कभी भी पीड़िता का मो० नं० न मांगा और न ही पीड़िता से बातें होती थी। विरोधियों के दबाव के कारण पीड़िता ने प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें में झूठा बयान दिया इसी तरह पीड़िता का ब्याय फ्रेंड सत्यम प्रकाश राय ने मुकदमें में झूठा बयान दिया।चुनाव के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विरोधियों ने प्रार्थी का पर्चा खारिज कराने की पुरजोर कोशिश की लेकिन पर्चा खारिज नहीं हुआ। प्रार्थी के जीतने के बाद विरोधियों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका दाखिल किया जिसकी सुनवाई के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जब माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को सांसद में जाकर शपथ लेने हेतु आदेश पारित किया, तब उस आदेश के विरूद्ध वादिनी पीड़िता ने मा० सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान विरोधियों द्वारा रची गई साजिश एवं षडयन्त्र का खुलासा आकाश शर्मा ने किया जिसकी जानकारी होने के उपरान्त प्रार्थी के पिता श्री भरत सिंह ने षडयंत्र को उजागर करने हेतु तथा कानूनी कार्यवाही करने हेतु एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेश पर इस मामले की प्रारम्भिक जांच सी०ओ० भेलूपुर को सौंपी गई जिन्होंने सम्बन्धित गवाहों का बयान लिया, आडियो, वीडियो का श्रवण एवं अवलोकन किया तथा सी०डी०आर० निकाला और एफ०एस०एल० रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रारम्भिक जांच अधिकारी ने अपने जांच निष्कर्ष में यह पाया कि अतुल राय के विरोधियों द्वारा उपरोक्त केस मे झूठा फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। इस प्रारम्भिक जांच के बाद इसी मामले की अन्तिम जांच पुलिस अधीक्षक

WWW.LIVELAW.IN

नगर द्वारा की गई और उन्होने भी अपनी जांच में पूर्व में की गई प्रारम्भिक जांच का समर्थन किया है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसकी प्रतिष्ठा एवं राजनैतिक छवि को नीचा दिखाने के लिए साजिश के तहत इस मुकदमें में झूठा फंसाया गया।

7- **<u>प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य के रूप में परीक्षित साक्षीगण व साबित दस्तावेज पर अंकित प्रदर्श-</u>**

DW1	अमरेश सिंह बघेल	सी.ओ. जांच आख्या, जन सूचना के तहत दिया गया जांच आख्या, जांच आख्या, एस.एस.पी. को प्रेषित जांच रिपोर्ट कागज संख्या 138 ख/4 लगायत 138/ब 36	प्रदर्श ख-1, प्रदर्श ख-2, प्रदर्श ख-3, प्रदर्श ख-101,102,103 तथा प्रदर्श ख 104 लगायत ख 136
DW2	भरत सिंह	-	-
DW3	आकाश शर्मा	-	-
DW4	अम्बरीशकुमार राय	बैंक स्टेटमेंट व 65B प्रमाणपत्र	प्रदर्श ख-4, प्रदर्श ख-5
DW5	कौस्तुभ राय	-	-
DW6	विवेक राय	-	-
DW7	अमृतेश सिंह	सूची 22 ख के बयान अंतर्गत धारा 164 CrPC व F.I.R	प्रदर्श ख-6, ख-7
DW8	विनोद कुमार बागड़ी	-	-
DW9	संदीप सिंह	मोबाइल, मैसेज का प्रिंटआउट 48 पृष्ठों में	वस्तु प्रदर्श ख-8, प्रदर्श ख-9 लगायत ख-67
DW10	सत्यभानू आर्य	प्रिन्टआउट के पैसों की रसीद, कार्बन कापी	प्रदर्श ख-10 , प्रदर्श ख-68
DW11	ग्यासुद्दीन	शादी के कार्ड की मूलप्रति	प्रदर्श ख-69
DW12	मनोज कुमार गुप्ता	मैच की न्यूज व फोटोग्राफी, समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र	प्रदर्श ख-70 to 72 प्रदर्श ख-73 to 76,
DW13	रंजीत कुमार सिंह	फॉरेंसिक ISO सर्टिफिकेट ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट ऑथर वेरीफिकेशन रिपोर्ट वीडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट व ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट	प्रदर्श ख 77-87 प्रदर्श ख 88-89 प्रदर्श ख 90 प्रदर्श ख 91, 92

WWW.LIVELAW.IN

		फोटोग्राफ वेरीफिकेशन रिपोर्ट	प्रदर्श ख 95-96
		ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट	प्रदर्श ख-98
		ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट	प्रदर्श ख-94
		ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट	प्रदर्श ख-97
		स्पीकर आइडेंटीफिकेशन रिपोर्ट	प्रदर्श ख-93
		तीन पेन ड्राइव	वस्तु प्रदर्श ख 9,10,11
DW14	विनय मित्तल	पीड़िता का हाईस्कूल का अंकपत्र	प्रदर्श ख-137
DW15	संतोष कुमार		
	Note-	प्रदर्श ख-99 किसी दस्तावेज पर अंकित नहीं।	

<u>अभियोजन पक्ष का मौखिक साक्ष्यः</u>

8- <u>प्रश्नगत मामले में जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, इस संबंध में पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित साक्षी पीड़िता द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> सन् 2013 से सन् 2017 तक उसने यू.पी. कालेज, वाराणसी से बी०ए० की पढ़ाई की। कालेज की पढ़ाई के दौरान सन् 2015 में अतुल राय के लोगों द्वारा चढ़ाने पर उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र संघ चुनाव के ही दौरान उसकी मुलाकाल अतुल राय से पहली बार हुई। मुलाकात में अतुल राय ने उसे चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया साथ ही यह भी कहा कि वह उन्हें अपना बड़ा भाई समझूं यदि कोई भी जरूरत हो तो उनसे बेझिझक कहूँ। उसके पिताजी नहीं हैं। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा वह उसके गांव क्षेत्र के हैं इसलिए वह बड़े भाई की तरह मेरी मदद करेंगे। उसी मुलाकात में उन्होंने उससे उसका फोन नं० लिया तथा बात चीत करने लगे। छात्र संघ चुनाव के दौरान अतुल राय ने उसकी मदद भी की थी। उसके बाद कभी-कभी वह उसे अपने ऑफिस पर भी बुलाते थे। 2015 में इनका आफिस, महमूर गंज रोड पर था। उसके बाद इनका आफिस सिगरा वाराणसी में शिफ्ट हो गया था। सन् 2018 में होली के बाद इन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, अक्सर घर पर तुम्हारी बातें होती रहती हैं। सात मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलने एवं खाने के लिए उसे बुलाया उन्होंने शायद अपने ड्राइवर का नम्बर दिया। अमरोशिया रेस्टोरेंट के पास चितईपुर बुलाया। उसके मन में हमेशा इनके लिए बड़े भाई का स्थान रहा। इसीलिए वह भाभी से मिलने चली गयी। गाड़ी वाले ड्राइवर जो उसे लेने आये थे अमरोशिया रेस्टोरेंट पर छोड़कर उसे चले गये। वहाँ पर रूककर उसने कुछ देर तक उनका इंतजार किया। अतुल राय के एक आदमी शायद उनका नौकर उसे उनके फ्लैट पर ले गया। वह फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट के पास ही में था। उनके नौकर फ्लैट में उसे छोड़कर चले गये और बोले कि भइया आते ही होंगे। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अतुल राय को फोन किया तो उन्होंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वाट्सएप पर काल किया। उसने पूछा कि भैया आप कहां है। वह यही इंतजार कर रही है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी को पता चला कि तुम आ रही

हो तो जिद करके कुछ लेने के लिए मार्केट आ गयी। यह भी कहा कि तुम्हारी भाभी ही देर कर रही है। तुम परेशान न हो। तुम्हारा अपना ही घर है है। वे लोग बस पहुँच ही रहे हैं। वे तुम्हें छुडवा देंगे। यह बातें होने के बाद उसने कुछ समय तक इंतजार किया। कुछ समय बाद अपने तीन गनर के साथ वह आये। गनरों को उन्होंने बाहर बैठा दिया। खुद अन्दर आ गये। अतुल राय को अकेले देखकर वह घबराई हुई थी और पूछा कि भाभी कहाँ है, उसके इतना पूछते ही अतुल राय उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में खींचकर ले गये। अजीब-अजीब सी बातें करने लगे। फिर बोले कि वह उनको भइया न बोले कभी भी उन्होंने बहन की नजर से उसे नहीं देखा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी से खुश नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर उनका यह रूप देखकर वह काफी घबरा गयी थी। उसने वहां से निकलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया तथा उसके कपड़े खींचे व फाड़े। उसके साथ जबरदस्ती, उसकी मरजी के बिना उसके बार-बार छोड़ने की भीख मांगने पर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया। कुछ समय बाद वह अपना आपा खो दी। बदहवास पड़ी रही। इस तरह उन्होंने मुँह दबाया और जो उनके पास दो छोटे गन थे उससे उसे डराया व धमकाया। इसके बार पूरी रात वह उनके फ्लैट पर बदहवास पड़ी रही। इस दौरान भी उन्होंने उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया और बलात्कार किया। सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी तो अतुल राय ने उसे अपने एक काली गाड़ी में बैठाकर उसे उसके रूम पर छोड़ने गये। इस तरह इस दौरान अतुल राय ने उसे अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया जिसमें वह उसके साथ जिसमें वह उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बना रहा था बलात्कार कर रहा था। इस वीडियो को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उसके पिताजी नहीं है तो उसकी मां व छोटे भाई को जान से मरवा देगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है। इसलिए वह अपना मुँह न खोले तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद वह लगभग हर 15-20 दिन बाद उसे बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता और बलात्कार करता था। यह सब अक्टूबर सन् 2018 तक चलता रहा। उसके बाद उसने अपना मोबाइल नम्बर बदल दिया और उसने बनारस छोड़ दिया। छः अप्रैल सन् 2019 को जब वह अपने व्यक्तिगत काम से बनारस आयी थी तो अतुल राय का एक आदमी अनुज राय सिगरा चौराहा पर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में खींचकर बैठाने लगा और साथ यह भी कह रहा था कि भैया तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भैया के पास चलो। साथ ही वो यह भी कहा था कि उसे किसी बसपा नेता के पास जाना है। उसके मना करने पर और शोर-शराबा होने पर जब वही भीड़ इकट्ठी होने लगी तब वह वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद वह सबसे ज्यादा आहत हुई। उसी दिन उसने यू०पी० छोड़ दिया। इस दिन उसने गुस्से में और दुखी होकर अतुल राय को फोन एवं मेसेज किया। उसने उसमें लिखा कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उस अप्रिय घटना के तुम जिम्मेदार होगे। उस दिन यूपी छोड़ने के बाद दिल्ली चली गयी। वहां जाने के बाद वह कई दिनों तक अपने आप से संघर्ष करती रही। इस दौरान कभी उसके मन में आत्म हत्या का ख्याल आता तो कभी पिता के न होने और बड़ी बेटी होने की जिम्मेदारी का भी ख्याल आता। कुछ दिन अपने संघर्ष से जूझने के बाद उसने यह सोचा अतुल राय ने जब समाज में अपने लोगों द्वारा मेरा दुष्प्रचार करा ही दिया है तो ऐसे में मरने के बाद भी लोग उस पर व उसके परिवार पर उंगलियाँ उठाते रहेंगे। फिर उसने यह फैसला लिया कि वह लड़ेगी

WWW.LIVELAW.IN

और न्याय पायेगी। इसके बाद उसने एक वीडियो में अपनी सारी आपबीती रिकार्ड की और उसने 24 अप्रैल 2019 को अतुल राय को भेजा। इसके बाद जब उन्होंने उसे धमकी दिया कि वह लोगों को दिखा सुना देंगे तब उसने हिम्मत करके फेसबुक पर 29 अप्रैल 2019 को अपनी आपबीती का वीडियो अपलोड किया। अपलोड करते ही अतुल राय के लोगों का उसके नम्बर पर बहुत सारे फोन एवं मैसेज आये, जिसमें अतुल राय के खास अनुज राय ने फोन एवं मैसेज किया। अनुज राय ने लिखा था जो तुम कर रही हो वह गलत कर रही हो। सबसे पहले यह वीडियो डिलीट करो इसी में तुम्हारी और भइया की भलाई है। उसी तारीख को यही अनुज राय उसके बलिया जिले स्थित उसके गाँव गये तथा उसके छोटे भाई और मां से बतमीजी की एवं डराया धमकाया और उसी दिन उसकी मम्मी एवं भाई को यह लोग कहीं उठा भी ले गये थे। जब यह बात उसे उसकी छोटी बहन से पता चला तो उसने फेसबुक पर सबको बताया। तब अतुल राय के लोग मम्मी और भाई को नरही थाना ले गये और वहां मम्मी एवं भाई को डराये और धमकाये और गाली भी दिये और उसी दिन उसके खिलाफ उसी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। यह सब जानने के बाद वह दिल्ली से लखनऊ गयी और डी.जी.पी. एवं प्रमुख गृह सचिव को अपने प्रार्थनापत्र से अपनी आपबीती की जानकारी दी। डी.जी.पी. के निर्देश पर लंका थाना वाराणसी में एक मई सन् 2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई। साक्षी ने टाइपशुदा तहरीर कागज संख्या 6अ/1-2 को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तसदीक किया और बताया कि यही प्रा०पत्र उसके द्वारा डी.जी.पी. को दिया गया था जिसे वह तसदीक करती है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। साक्षी ने मूलचिक कागज संख्या 5अ/1-5अ/3 के पृष्ठ भाग को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तसदीक किया। साक्षी ने कागज संख्या 15अ/1-15अ/6 को देखकर बताया कि उसने जो इंटरनेट पर वीडियो अपलोड किया था उसकी प्रति इंटरनेट से निकालकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाकर दरोगाजी को दिया था। उक्त साक्षी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के सीलबंद लिफाफे पर लगी अपनी फोटो व हस्ताक्षर को तसदीक किया। साक्षी ने अपने बयान को पढ़कर बताया कि यही बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था जिसे वह तसदीक करती है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। उसके प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद से आज तक उस पर, उसके पैरोकार पर एवं गवाहों पर चार-चार झूठे मुकदमे हो चुके हैं। ये लोग उसके घर तक पहुंचकर धमकी देते हैं, कभी पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी शादी करने के लिये कहते हैं सब पैसा खर्च करने के लिये कहते हैं। न मानने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देते हैं। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उसके पिता जी की मृत्यु दिनांक 19.08.2012 को हुयी है। उस समय वह इंटर कालेज में पढ़ती थी। उसने सन् 2013 में इंटर पास किया। पिताजी की मृत्यु के पश्चात् वह, उसकी मां, भाई, एक छोटी बहन एवं दादा-दादी थे। जहां से उसने इंटर पास किया वहां पर सन् 2013 में डिग्री कालेज नहीं था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात् उसके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं था। उसके पिताजी के नाम राजस्व अभिलेखों में लगभग 10बीघा जमीन थी। पिताजी की मृत्यु के पश्चात् एक बार जमीन बेची गयी है लेकिन वह नहीं बता सकती कि कितनी जमीन बेची गयी थी। वर्ष 2015 में उसने महामंत्री पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान कालेज के छात्र एवं छात्राओं से उसका सम्पर्क हुआ। उसने उनसे स्वयं को जिताने का प्रयत्न किया। छात्र-छात्राओं ने चुनाव प्रचार में उसकी मदद किया। उसने किसी छात्र से

WWW.LIVELAW.IN

चुनाव लड़ने के लिये आर्थिक मदद नहीं लिया। सत्यम प्रकाश राय को वह जानती है। यह उदय प्रताप कालेज में उपाध्यक्ष हुये थे। अमृतेश सिंह उर्फ सबल इसी कालेज में अध्यक्ष हुये थे। यह सही है कि अतुल राय ने छात्रसंघ चुनाव में उसकी मदद की थी। थाना शिवपुर वाराणसी में अमितेश सिंह उर्फ सबल पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.04.2015 के समय 21.40 बजे पंजीकृत कराया था जो कि अपराध संख्या 98/2015 धारा 506, 354 ख भा०दं०सं० में दर्ज होकर विवेचना जारी हुयी थी। यह सही है कि संदीप स्वर्णकार पुत्र घनश्याम, निवासी म.न. K 4/70 राजमन्दिर, थाना कोतवाली वाराणसी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर अपना मोबाइल नं०- 9235661410 बताते हुये यह आरोप लगाया है कि आपने अपने भिन्न-भिन्न मोबाइल नं. वाट्सअप एवं फेसबुक के जरिये भिन्न-भिन्न तारीखों पर मैसेज, पेंटिंग/चित्र भेजा है। यह सही है कि मु०अ०सं० 629/2019 थाना लंका, वाराणसी धारा 388 IPC व 67 I.T. Act में दिनांक 06.04.2019 की घटना के संबंध में प्राथमिकी दिनांक 24.05.2019 को दर्ज करायी गयी है जिसके वादी नवीन कुमार राय पुत्र विनय कुमार राय नि. बी. 21/48 बी. भोगाबीर, लंका वाराणसी ने उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है। मो०नं०- 08756052270 चुनाव के समय उसका रहा है जब वह महामंत्री का चुनाव लड़ रही थी। इसी नम्बर का 24.012016 से 04.02.2016 तक उसके द्वारा वाट्सअप पर प्रयोग किया गया है। मो.नं.- 9506292088 भी उसका है जिसका प्रयोग उसके द्वारा 16.11.2015 से 04.01.2016 तक किया गया है। मो.नं.- 9598313813 के बारे में वह नहीं कह सकती कि यह कभी उसका था या नहीं। मो.नं.- 9026943743 दिनांक 11.01.2019 को उसके द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। मो.नं.- 8957689911 उसका हो सकता है क्योंकि FIR दर्ज कराने के बाद उसने कई मोबाइल नम्बर चेंज किये। मो.नं. 9899925349 का प्रयोग वह करती थी। इस मोबाइल नम्बर से दिनांक 25.07.2019 को उसने बात किया था या नहीं, याद नहीं है। दिनांक 25.07.2019 को उसने विवेचक से बात किया था या नहीं वह नहीं बता सकती। विवेचक को उसने जरिये फोन अनुज राय का नम्बर मोबाइल 9889882211 बताया था जिस रात उसने फेसबुक पर अपनी आपबीती बताया था उस रात इसी नम्बर से कई बार फोन आया था तथा मैसेज भी आया था। इसी मैसेज में यह लिखा था वह वीडियो डिलीट कर दे। तुम्हारे व भईया के लिये अच्छा होगा। यह वीडियो उसने अपने फेसबुक आई.डी. से अपलोड किया था। उसमें नम्बर की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट से वाईफाई के जरिये किया था। मोबाइल से किया था। मो. नं.- 9899925349 था। अनुज राय का मैसेज इसी मोबाइल नम्बर पर वीडियो अपलोड करने के बाद आया था। उसने मो०नं० 8957689911 से अनुज राय के मो०नं० 9889882211 से कभी कोई बातचीत नहीं हुयी। दिनांक 06.04.2019 को उसके पास कोई न कोई मो०नं० था। उसने इस तारीख को कोई मो०नं० प्रयोग करने के संबंध में विवेचक को नहीं बताया था।

प्रश्न- काल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06.04.2019 को प्रातः पांच बजे से रात्रि 12 बजे तक आपकी उपस्थिति सिगरा चौराहे पर नहीं पायी गयी। **उत्तर**- विवेचक ने उसका मो०नं० 8957689911 किस आधार पर डाला है वह नहीं बता सकती। दिनांक 06.04.2019 को वह दिन में दोपहर से शाम के बीच सिगरा चौराहे पर थी। यह कहना सही है कि निश्चित रूप समय वह नहीं बता सकती कि दिनांक 06.04.2019 को वह सिगरा चौराहे पर किस समय थी।

WWW.LIVELAW.IN

दिनांक 06.04.2019 को सिगरा चौराहे जो सफारी उसके पास आयी थी उसका रंग काला था नम्बर पर वह ध्यान नहीं दे पायी। दिनांक 06.04.2019 समय अज्ञात सिगरा चौराहा वाराणसी में घटित घटना के बाबत कोई लिखित सूचना संबंधित थाने में नहीं दिया था। दिनांक 06.04.2019 को घटना के बाबत उसने दिनांक 01.05.19 तक अपनी मुंह बोली दीदी लकी राय एवं उनके पति को नहीं बताया था बल्कि अपनी मम्मी को बताया था। मार्च 2018 की घटना के बाद जब वह बनारस छोड़कर घर चली गयी तो वह चुप-चुप रहती थी तो मम्मी ने पूछा कि क्यों अचानक चली आयी तुम तैयारी करने गयी थी, तब उसने सारी बात बतायी कि उसके साथ ऐसे-ऐसे हुआ। तब मम्मी ने सत्यम प्रकाश राय को फोन करके उसकी सारी बातें बतायी। सत्यम प्रकाश राय के द्वारा जब अनभिज्ञता जतायी गयी तब उन्होंने उससे पूछा। उसने उन्हें सारी बातें बतायी। साथ ही उसने उन्हें यह भी बताया कि जिस रात को उसके साथ यह घटना घटी उस रात उसके नम्बर पर सत्यम राय का भी फोन आया था। लेकिन उसका फोन अतुल राय के पास था। इसलिये उठ नहीं पाया।

प्रश्न- क्या आपने इस वीडियो के जरिये जनता को यह बताया था कि अतुल राय रावण है, राक्षस है, बालात्कारी है। अपील करती हूं कि इसे चुनाव में जनता वोट न दे। उत्तर- उसने वीडियो में क्या कहा था इस संबंध में याद नहीं है। कुछ बता पाने में असमर्थ है। उक्त वीडियो उसने विवेचक को नहीं दिया था किंतु विवेचक व डी.जी.पी. को दिखाया था। वह वीडियो उसके वाट्सअप पर पड़ा है। विवेचक ने उससे नहीं मांगा था।

जब बी.ए. के प्रवेश के लिये यू.पी.कालेज का रिजल्ट निकला था उस दौरान नोटिस बोर्ड पर वह अपना रोल नम्बर देखना चाहती थी। लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी। उस दौरान सत्यम प्रकाश राय ने उसकी मदद की थी। यह बात सन् 2013 की है। तब सत्यम प्रकाश राय से उसकी मुलाकात हुयी थी। कॉलेज में वह सीनियर थे। वह जूनियर थी। कालेज में आने-जाने पर मुलाकात होती रहती थी। वह न्यायालय आते हैं परंतु उसके साथ नहीं आते हैं। सत्यम प्रकाश राय आपके साथ प्रत्येक तारीख पर इस न्यायालय में आते हैं और आज भी आये हैं। मुकदमा लिखवाना उसका व्यक्तिगत फैसला था। जब सत्यम प्रकाश राय को उसके फैसले का पता चला तथा मुकदमा लिख गया था तब वह उसकी मदद को आगे आये। वह उसके पैरोकार हैं। दिनांक 01.05.2019 को वह अपनी कम्प्लेंट लेकर गयी। कम्प्लेंट लिखी गयी। विवेचना कब शुरू हुयी वह नहीं बता सकती। दिनांक 01.05.2019 को शाम के समय वह थाने पहुंच गयी थी। ठीक-ठाक समय उसे याद नहीं है। लगभग 06-08 बजे शायं के मध्य वह थाने पहुंची थी। जब वह थाने पहुंची थी कम्प्लेंट लेकर तो कुछ लोग सिपाही की तरह मौजूद मिले लिखित कम्प्लेंट दिया तथा पूछने पर घटना के बारे में मौखिक बताया। घटना दिनांकित 07.03.18 के बाबत पहली बार मौखिक और लिखित शिकायत थाने में दिनांक 01.05.19 को दिया। दिनांक 01.05.19 को वह थाना लंका वाराणसी एक ही बार गयी है। दुबारा नहीं गयी थी। उसे दिनांक 02.05.19 को बयान लेने के लिये थाना बुलाया गया था। कितने बजे गयी थी यह नहीं बता पायेगी लेकिन वह थाने गयी थी। वह थाने अकेले गयी थी। सत्यम प्रकाश राय दरोगा जी के बुलवाने पर बाद में आये थे। दिनांक 02.05.19 को वह थाने पर कितनी देर तक रूकी रही याद नहीं है। वहां जाने पर उसका बयान लिया गया। छात्रसंघ चुनाव के दौरान जब अतुल राय से उसकी मुलाकात हुयी तो उन्होंने उससे उसका मोबाइल नम्बर मांगा था जो उसने

WWW.LIVELAW.IN

उन्हें दिया। वह नहीं बता पायेगी कि कौन-सा नम्बर दिया था। उस समय 2-3 नम्बर थे। अतुल राय ने उसे अपना मोबाइल नम्बर दिया था। मोबाइल से उन लोगों की आपस में कभी-कभी चुनाव के संबंध में बातचीत होती थी। अतुल राय के महमूरगंज रोड स्थित कार्यालय पर चुनाव के दौरान कभी-कभी वह जाती थी। जब अतुल राय का ऑफिस सिगरा शिफ्ट होने के बाद वहां भी एक-दो बार अतुल राय से मिलने वह गयी थी। महमूरगंज वाले कार्यालय पर अतुल से मिलवाने अनुज राय लिवाकर गये थे। वर्ष 2015 से 07.03.2018 के पहले तक जितनी भी बार उसकी अतुल राय से मुलाकात हुयी इन मुलाकातों में वह उसे पूर्ण सम्मान देते थे। हरकतें नहीं करते थे। जबरन हाथ पकड़कर नहीं खींचते थे। इस दौरान कभी उन्होंने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं किया। उसके पास कभी 3-4 मोबाइल नम्बर एक साथ नहीं रहा। अपने साथ में केवल एक मोबाइल लेकर जाती थी। वर्ष 2015 से 07.03.2018 के पूर्व तक उसके पास कौन-सा मोबाइल नम्बर था याद नहीं है। अतुल राय के पास 7408000009 था। इस दौरान फोन से बातचीत पर अतुल राय ने कभी उससे इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे। वर्ष 2015 से 07.03.2018 के पूर्व तक उसकी अतुल राय से मुलाकात केवल उनके कार्यालय पर हुयी है। होली के लगभग एक हफ्ते पहले अतुल राय ने अपनी पत्नी से मिलवाने के लिये फोन पर कहा था। अतुल राय ने अपने मो०नं०- 7408000009 से उसके नम्बर पर फोन किया था। उस समय उसका नम्बर क्या था याद नहीं। 07.03.2018 मिलवाने की तिथि अतुल ने स्वयं तय किया था, उसने नहीं। विवेचना के दौरान विवेचक को अतुल राय का नम्बर दिया था। परंतु अपना नम्बर नहीं दिया था। दिनांक 07.03.2018 को जब वह अतुल राय के घर उनके बुलाने पर भाभी से मिलने व खाने के लिये जा रही थी तो यह बातें उसने मकान मालिक व मुंह बोली बहन लकी राय व उनके पति को नहीं बताया था लेकिन मम्मी को बताया था कि एक भइया हैं उनकी पत्नी से मिलने जाना है। दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय के फ्लैट पर अकेले जाने के पहले कितने बजे अपनी मम्मी के किस मो०नं० पर अपने किस मो०नं० से फोन करके बताया था। उसे उस समय का अपना मो०नं० याद नहीं है। मम्मी का नम्बर वह नहीं बता सकती क्योंकि जब ये लोग वीडियो डालने पर डायरेक्ट उसके घर पहुंच जा रहे तथा उन्हें उठाकर कहीं ले भी गये थे। सुरक्षा कारणों से वह उनका नम्बर नहीं देना चाहती। जो ड्राइवर उसे लेने आया था उस ड्राइवर का मोबाइल नम्बर भी अतुल राय ने दिया था। ड्राइवर ने स्वयं उसे फोन किया था या उसने ड्राइवर को फोन किया था यह इस समय उसे याद नहीं है। ड्राइवर का नाम उसे नहीं बताया गया था। ड्राइवर का मो०नं० भी याद नहीं है Text message या whatsapp पर आया था। गाड़ी का नम्बर इस समय याद नहीं है। शायद छोटी गाड़ी थी। रंग सफेद था। जब वह अपने किराये वाले कमरे से अतुल राय के फ्लैट पर मिलने जा रही थी तो गाड़ी में वह तथा ड्राइवर था। रास्ते में उसने ड्राइवर से उसका नाम नहीं पूछा था। ड्राइवर ने उसे अमरोशिया रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी से छोड़ा तथा बिना उसके पूछे व बोले कहा कि नौकर आ रहा होगा कोई रिसीव करने। वह काफी जल्दबाजी में था। गाड़ी का नम्बर उसने जाते समय देखा था। ड्राइवर का नाम नहीं पूछ पायी। गाड़ी का नम्बर इस समय याद नहीं है। दिनांक 07.03.2018 शाम के सात बजे के बाद जब उनका ड्राइवर आया तब वह अपने कमरे से निकली थी। अतुल राय के फ्लैट पर कब पहुंची समय नहीं बता सकती। अंदाज से भी नहीं बता सकती।

अतुल राय के फ्लैट पर जब पहुंची तो उसके पास वही मो०नं० था जो वह घर से लेकर चली थी। याद न होने की वजह से वह मोबाइल नं० उसने विवेचना के दौरान विवेचक को नहीं बताया। वह मोबाइल जो उसके पास था उस समय तक खो चुका था। मोबाइल खोने के बाबत उसने थाने में कोई लिखित सूचना नहीं दिया था। जब वह अतुल राय के फ्लैट पर पहुंची तो वहां केवल उनका नौकर था अन्य कोई नहीं था। अकेले 10.00 बजे रात्रि तक इंतजार करने के बाद उसने उसी मोबाइल नं. से अतुल राय को फोन किया। अतुल राय को जब उसने फोन किया तो उन्होंने पहले उसका फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अतुल राय ने Whatsapp पर काल किया था। उसने एफ.आई.आर व 161 CrPC के बयान में यह सही बयान दिया है कि "देरी होने पर उसने अतुल राय को फोन किया तो वह मैसेज किये।" यह मैसेज उसी मोबाइल पर आया था जो उसने घटना वाले दिन अपने साथ लिया था। उसने विवेचक को उक्त मोबाइल फोन, जिस पर मैसेज आया था नहीं दिया क्योंकि तब तक वह मोबाइल खो चुका था। घटना वाले दिन अतुल राय का फोन नं० 7408000009 था तथा दिनांक 07.03.2018 को उसने अतुल राय के मोबाइल नम्बर 7408000009 पर ही फोन किया था। अतुल का नम्बर इसलिये याद है कि क्योंकि वर्ष 2015 से 07.03.2018 तक उनके द्वारा इसी नम्बर से उससे बातचीत किया गया तथा इसके बाद भी इसी नम्बर से लगातार 07.03.2018 की घटना के बाद भी अधिकांश इसी नम्बर से उसे प्रताड़ित किया गया। दिनांक 07.03.2018 से लेकर FIR कराने के दिन तक जो भी बात हुयी व जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सब उसने थाने पर बताया तथा अतुल राय का उक्त नम्बर विवेचक को दिया तथा समस्त चैट विवेचक को दिखाया एवं कापी भी निकालकर दिया जिसमें उन्होंने धमकी भी दिया था कि दिखा और सुना देंगे। दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय रात्रि 10.30 बजे जब अपने फ्लैट पर आये तो उनके साथ 3-4 गनर थे। फ्लैट में घुसने के बाद एक छोटा-सा हॉल टाइप उसमें मेज व कुर्सी लगी हुयी थी। वहीं पर बैठी हुयी थी। हॉल का दरवाजा खुला था या बंद उसे ध्यान नहीं है। उनका नौकर दरवाजा शायद बंद करके गया था बाहर से बंद किया था या नहीं वह नहीं बता सकती। जहां वह बैठी थी वहां अतुल राय के आने के बाद पहले दरवाजा खटखटाया। जब तक वह दरवाजे पर पहुंचती तब तक वह अंदर आ गये थे। अतुल राय के साथ जो गनर आये थे वे दरवाजे के बाहर बैठे थे। अतुल राय के फ्लैट के अगल-बगल रिहायशी फ्लैट थे। उसमें कोई रह रहा था या नहीं वह नहीं बता सकती। वह दरवाजे के करीब जैसे ही पहुंचने वाली थी तभी अतुल राय अंदर आ गये। जैसे ही वह उनको देखा तो वह प्रणाम किया और पूछा कि भाभी कहां है। इसके बाद वे लोग उसी हाल में नहीं बैठे बल्कि उन्होंने कहा कि आओ दोनों बैठकर पहले बात करते हैं फिर उसने कहा कि भाभी कहां है जब उसने दोबारा पूछा कि भाभी कहां हैं तो उसने पूछते ही उसका हाथ खींचकर मुख्य दरवाजे के बायीं तरफ जो कमरा था उसमें ले गये। जब वह उसे अंदर लेकर गया वह हाथ छुड़ाने में असमर्थ थी इससे पहले कि वह चिल्लाती उसने उसका पीछे से पकड़कर मुंह बंद कर दिया। इस पूरे दौरान वह कई बार उसका बलात्कार किये। उस कमरे में पलंग था या नहीं उसे नहीं पता लेकिन कुछ बिस्तर टाइप था। बिस्तर जमीन पर नहीं लगा। बन्दूक के बल पर जबरदस्ती उसका बलात्कार किया गया। रात वाली घटना के बाबत किराये वाले कमरे में पहुंचने पर वह पुलिस को लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित नहीं किया। न ही मोबाइल से पुलिस को सूचित किया। महिला हेल्पलाइन पर भी उसने सूचित नहीं

WWW.LIVELAW.IN

किया। जो व्यक्ति उसे धमकी देकर जा रहा है कि तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा जो आदमी उसके पिता के न होने का फायदा उठा रहा है वह उस समय नहीं सोच पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिये। उसे डर लग रहा था। फटे हुये कपड़े कुछ दिन उसके पास थे। बाद में घर जाते समय ट्रेन से फेंक दिया था। दिनांक 07.03.18 से लगातार 15 दिन तक भी उसने न तो पुलिस को लिखित रूप से न मौखिक रूप से न टोलीफोन से सूचित किया क्योंकि अतुल राय के पास घटना का वीडियो था। वह धमकाता था। दिनांक 07.03.18 की घटना के कुछ दिन बाद वह उसे अपने फ्लैट पर बुलाता था। यह सही है कि घटना के बाद वह लगभग हर 15-20 दिन बाद उसे बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था और बलात्कार करता था यह सब अक्टूबर सन् 2018 तक चलता रहा। लगभग हर 15-20 दिन बाद जब भी वह उसे बुलाता था। अपने ऑफिस से उसे लेकर जाता था। वह जहां भी ले जाता था यही कहता था कि यह उसकी प्रापर्टी है। सम्पत्तियों का लालच भी देता था और कहता था कि मौज से रहो विरोध करने पर मना करता था। घटना दिनांक 07.03.2018 के 15-20 दिन बाद वह उसे अपने ऑफिस से अपनी जिस भी जगह ले जाता था अधिकांश समय DLW सुन्दरपुर का क्षेत्र होता था। ठीक-ठाक जगह नहीं बता सकती। वह उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिये बुलाता था तथा शारीरिक संबंध बनाता था। अतुल राय अपने लड़कों के माध्यम से उसे उसके कमरे तक छोड़वाता था। पहली घटना के बाद अतुल राय उसे कमरे तक छोड़ने गया था। दूसरी घटना के बाद उसे अपने लोगों से छोड़वाया था। दूसरी घटना के बाद अपने कमरे तक पहुंचने के बाद जब नहाया होगा तो कपड़े धुले होंगे। दूसरी घटना के बाद भी उसने पुलिस को लिखित या मौखिक या दूरभाष मोबाइल से कोई सूचना नहीं दिया क्योंकि उसके पास उसका वीडियो था। यह वही वीडियो था जो उसे अपने पत्नी से मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलपूर्वक बलात्कार किया था। वह उसे अपने ऑफिस पर बुलाता था। चाहे वह उसे अपने लड़कों से बुलाये या उसे खुद धमकी देकर बुलाये। आफिस पर बुलाने के बाद वह नीचे रहती थी तो आता था अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे अलग-अलग जगहों पर ले के जाता था। अधिकांश वह खुद लेकर जाता था जब कभी पीछे बैठने को होता था तो ड्राइवर लेकर जाता था। जब वह पीछे बैठती थी। रास्ते में जाते समय आने-जाने वाले दिखायी पड़ते थे। वह जहां भी जिस फ्लैट/घर में लेकर जाता था वहां उस जगह पर कोई नहीं रहता था। 7 मार्च 2018 की घटना के बाद हर बार जब भी उसने उसे बुलाया, बुलाने की तारीख, महीना व स्थान नहीं बता पायेगी। लेकिन अधिकांशतः मडुवाडीह DLW व सुन्दरपुर का क्षेत्र होता था। हर बार जगह अलग-अलग हुआ करती थी। पहली, दूसरी व तीसरी व चौथी घटना के बाद भी उसने अपनी मुंह बोली बहन लकी राय, उसके पति व मकान मालिक को नहीं बताया क्योंकि वह उसके कौन थे जिन्हें वह बताती। जितनी बार उसके साथ ऐसा हुआ उसने गिना नहीं लेकिन जब तक वह बनारस छोड़कर अपने गांव नहीं चली गयी तब तक उसे हर कुछ दिन पर ऐसे बुलाता था। सात तारीख के बाद जब भी वह उसे बुलाता था date fix कर नहीं बुलाता था कभी भी या तो अपने लड़कों को भेज देता था या डायरेक्ट बुलाता था। वह प्रत्येक घटना की तिथि, स्थान व महीना नहीं बता सकती क्योंकि वह अचानक से बुलाता था जितनी बार भी वह जाती थी वापस आने पर नहाती व कपड़े धोती थी। उसके पास उसका वीडियो था जानता था कि उसके परिवार में उसकी मां व उसका छोटा भाई व छोटी बहन है। उसे डर लगता था कि

WWW.LIVELAW.IN

इसलिये बार-बार उसके साथ हो रही घटनाओं के बाद भी वह कोई कदम नहीं उठा पाती थी। वह पुलिस को न लिखित, न मौखिक न मोबाइल/दूरभाष से कोई शिकायत कर पायी। सत्यम प्रकाश राय से कभी-कभी बात होती थी लेकिन किस नम्बर से बात होती थी यह नहीं बता पायेगी। सत्यम प्रकाश राय का मोबाइल नम्बर वह सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकती। जब वह अतुल राय के लड़कों की प्रताड़ना से तंग आ गयी तब उसने स्वयं अतुल राय को एक दिन फोन किया था। दिनांक 01.05.2019 को वह दिल्ली से लखनऊ आयी थी। ट्रेन से आयी थी। शायद सुबह पहुंची थी, समय याद नहीं है। उसके साथ सत्यम प्रकाश राय नहीं थे। उसने मम्मी को दिल्ली से लखनऊ आने के बारे में बताया था। उन्होंने सत्यम प्रकाश राय को लखनऊ भेजा था। सत्यम प्रकाश राय से उसकी मुलाकात स्टेशन पर हुयी थी। दिनांक 01.05.2019 को वह सत्यम प्रकाश राय के साथ लखनऊ में दो-तीन बड़े अधिकारियों से मिली थी। DGP एवं प्रमुख सचिव (गृह) से मिली थी। वह प्रमुख सचिव गृह से जब पहली बार दिनांक 01.05.2019 को मिली तो वह अपना प्रार्थनापत्र लिखकर ले गयी थी। प्रार्थनापत्र प्रमुख सचिव (गृह) को दिया था। वह उन्हीं को सम्बोधित होगा। सत्यम प्रकाश राय टाइप कराने के बाद मिले थे या पहले ठीक-ठीक याद नहीं है। यह प्रपत्र कहां टाइप कराया था, नहीं बता पायेगी। उसने एक ही प्रार्थनापत्र टाइप कराया था परंतु उसका 4-5 प्रिंटआउट निकलवाया था। वह स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता सकती कि उक्त प्रार्थनापत्र प्रमुख सचिव गृह को सम्बोधित था या पुलिस महानिदेशक उ०प्र० शासन को। उसने प्रार्थनापत्र प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक दोनों लोगों को दिया था। जिस समय वह प्रमुख सचिव गृह से मिली थी उस समय उनके केबिन में वह तथा सत्यम प्रकाश राय थे। एक-दो पुलिस वाले भी थे। उनका ऑफिस बहुत बड़ा था। प्रमुख सचिव गृह के केबिन में मिलते समय का वीडियो उसने नहीं बनाया था। प्रमुख सचिव गृह ने उसका प्रार्थनापत्र लेकर उसके सामने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया कहे कि संबंधित थाने जाओ उचित कार्यवाही होगी। वह नहीं बता पायेगी की प्रमुख सचिव गृह ने वह प्रार्थनापत्र अपने पास रख लिया था या उसे वापस कर दिया था। जब वह DGP महोदय से मिली थी तो उस समय वहां पर उसके साथ सत्यम प्रकाश राय थे। प्रदर्श क-1 जो प्रिंटआउट है वह स्कैन्ड वाई Cam Scanner से निकाला गया है। वह यह नहीं बता सकती जो प्रार्थनापत्र उसने DGP को दिया था वह मूल टाइप प्रार्थनापत्र DGP कार्यालय में रह गया या नहीं। DGP से मिलने के बाद सत्यम प्रकाश राय के साथ वह वाराणसी आयी। वह अपने घर चले गये। वह सीधे लंका थाने गयी, उसने थानाध्यक्ष लंका वाराणसी को कोई प्रार्थनापत्र हस्तलिखित/टंकित नहीं दिया था। न देने का कोई कारण नहीं बता सकती। जो प्रार्थनापत्र/प्रिंट आउट उसने डी.जी.पी. को दिया था उसके अंतिम पेज पर हस्ताक्षर बनाया था। दिनांक 01.05.2019 को लखनऊ से कितने बजे उसने सत्यम प्रकाश राय के साथ प्रस्थान किया था, समय नहीं बता पायेगी। अंदाज से भी नहीं बता पायेगी। सत्यम प्रकाश राय के साथ दिनांक 01.05.2019 को वाराणसी शाम को पहुंची थी। अंधेरा हो चुका था। थाने के लोगों ने दिनांक 01.05.19 की रात्रि में वाराणसी में उसके रूकने की व्यवस्था किसी होटल में करायी गयी थी। कहा गया था कि अगले दिन बयान के लिये थाने आना है। थाने वालों ने किस होटल में, किस कमरे में, किस स्थान पर आपके रूकने की व्यवस्था दिनांक 01.05.2019 को रात्रि में करायी थी वह नाम व कमरा नम्बर नहीं बता पायेगी। सुबह पुलिस वाले लिवाकर गये थे। कमरे में

WWW.LIVELAW.IN

लेने दो लोग आये। एक प्रीति रावत तथा एक अन्य सर थे। होटल के कमरे में प्रीति रावत ने उसका बयान नहीं लिया था। इन्हीं पुलिस वालों के साथ दिनांक 02.05.2019 को होटल से वह लंका थाने गयी थी। दिनांक 02.05.19 की रात्रि में वाराणसी में वह अपने एक परिचित के यहां रूकी थी। वह सत्यम प्रकाश राय के यहां नहीं रूकी थी। वह सिर्फ उसके पैरोकार एवं गवाह हैं। यह कहना भी गलत है कि लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान वह सत्यम प्रकाश राय के हाथ में खेल रही थी एवं अतुल राय को हराने व हरि नारायन राजभर को जिताने के लिये एक साजिश के तहत खेल रही थी। दिनांक 06.04.19 की घटना के बाद गुस्से में दुखी होकर अतुल राय को जिस नम्बर से फोन एवं मैसेज किया था वह मोबाइल नम्बर उसे याद नहीं है। उस दिन उसने क्या मैसेज किया था याद नहीं है। उन मैसेज में उसने यह भी लिखा था कि उसे कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दिनांक 06.04.19 को जिस मोबाइल नं. से उसने अतुल राय को फोन एवं मैसेज किया था वह मोबाइल नम्बर विवेचक को उसने नहीं दिया था। बनारस छोड़ने के बाद यह मैसेज उसने डिलीट कर दिया था। दिनांक 06.04.2019 को जिस मोबाइल नम्बर से अतुल राय को उसने फोन एवं मैसेज किया था वह दूसरा था। दिनांक 07.03.18 का जो मोबाइल नम्बर उसके पास था वह दूसरा था। दिनांक 06.04.2019 को जो मोबाइल नम्बर उसके पास था उसे उसने बदल दिया। दिनांक 24.04.19 को दिल्ली प्रवास के दौरान जो वीडियो तैयार कर उसने अतुल राय को भेजा था वह अपने मोबाइल फोन पर तैयार किया। उस वीडियो को उसने हास्टल क वाई-फाई से कनेक्ट करके अपने वाट्सअप नम्बर 9506292088 को अतुल राय को भेजा था। 9506292088 केवल उसका वाट्सअप नम्बर था, मोबाइल नम्बर नहीं था। जब वह वीडियो दिनांक 24.04.2019 को उसने बनाया तो केवल अतुल राय लिये बनाया था। इस उद्देश्य से बनाया था कि उसे रहम या शरम कुछ तो आयेगा। वीडियो अपलोड करने के बाद जिन-जिन लोगों के फोन आये वह उन्हें लिखकर रखी है। उनके नाम इस समय नहीं बता पायेगी। एक-दो दिन में उनके नम्बर वह उपलब्ध करा सकती है। उनमें से एक अनुज राय हैं। उक्त फोन व मैसेज उसके मोबाइल नम्बर 9899925349 पर आये थे। जिस मो० नम्बर से उसकी छोटी बहन ने उसके मोबाइल नम्बर पर यह बताया कि अनुज राय मां-भाई के साथ बतमीजी कर रहे हैं एवं धमका रहे हैं और कहीं उठा भी ले गये हैं। वह सुरक्षा कारणों से उक्त नम्बर नहीं बता सकती। ब्लैकमेलिंग वाला वीडियो उसके मोबाइल पर अतुल राय ने नहीं भेजा था। जब वह उसे उसके कमरे पर अपनी गाड़ी से छोड़ने आया था तब गाड़ी से उसके उतरने के ठीक पहले वह वीडियो दिखाया था। कागज संख्या 15अ/2-15अ/4 में अंकित अन्तर्वस्तु उसके तथा अतुल राय (फोन नम्बर 7408000009) के मध्य वाट्सअप पर हुयी वार्ता का अंश है। इस वार्तालाप में अभियुक्त ने यह कहा था कि गलत आरोप मत लगाओ। उसके ऊपर राजीव राय के कहने पर उसके इमेज पर गलत आरोप मत लगाओ। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। कागज संख्या 15अ/1 में यह लिखा है कि "घोषी लोकसभा सीट से गठबन्धन के तहत बसपा प्रत्याशी अतुल राय पर एक युवती ने छेड़छाड़ के गम्भीर आरोप लगाये हैं। युवती ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगायी है।" वह इसे न तो झूठ कह सकती है न सच कह सकती है क्योंकि समाचार वालों ने अपने अनुसार शब्दों को लिखा है। इस पेपर में समाचार वालों ने छेड़खानी की बात लिखी है, बलात्कार की बात नहीं लिखी है। प्राथमिकी दर्ज

WWW.LIVELAW.IN

हो जाने के पश्चात् विवेचक को साथ लेकर वह उस स्थान पर गयी थी जहां पर पहली बार उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसे लिफ्ट से ले जाया गया था। उसने उस दौरान फ्लोर का ध्यान नहीं दिया था। विवेचना के दौरान जब वह वहां गयी तो उसने विवेचक को बताया तो सबसे पहले प्रथम तल पर ले गये। वहां एक-दो फ्लैट थे। उससे पहचान करायी गयी, वह नहीं थे। उसने जिस प्रकार कमरे के अंदर का नक्शा बताया वह कमरा वहां के लोगों द्वारा बंद फ्लैट में बताया गया जो अतुल राय का था। उसने अमृतेश सिंह सब्बल के विरूद्ध धारा 354 भा०दं०सं० के तहत जो प्राथमिकी दर्ज कराया था। वह सही दर्ज कराया था। दिनांक 07.03.18 की घटना के बाद जितनी भी बार उसके व अतुल राय के मध्य शारीरिक सम्बन्ध बने एवं जहां पर भी बने उन-उन स्थानों को दौरान विवेचना विवेचक को उसने नहीं दिखाया था। विवेचक ने उससे यह जानना चाहा था कि किन-किन स्थानों पर उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसने उन्हें बताया था कि 7 मार्च को घटना के बाद वह उस जगह पर दोबारा कभी लेकर नहीं गया अक्सर वह रात को बुलाता था वह ठीक-ठीक स्थान नहीं बता सकती एरिया बताया था।

9- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.2 के रूप में परीक्षित साक्षी सत्यम प्रकाश राय द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वादिनी मुकदमा/पीड़िता को वह जानता है। परास्नातक शिक्षा हेतु वाराणसी स्थित उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय (U.P. College) में प्रवेश सन् 2013 में लिया था। पीड़िता से उसकी मुलाकात बी.ए. प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट आने के दौरान उदय प्रताप कालेज प्रांगण में हुई। पीड़िता उससे जूनियर थी। उन्होंने बी.ए. प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। उसके कालेज से निकलने के बाद पीड़िता उदय प्रताप कालेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ी थी। घटना दिनांक 07.03.18 की जानकारी पीड़िता की मम्मी के द्वारा उसे दी गयी। दिल्ली से वापस बनारस आ जाने तथा गांव आते-जाते समय पीड़िता से उसकी मुलाकात हुयी थी। उसकी बात लगभग हर दिन होती रहती थी। पीड़िता के मोबाइल से उसकी मम्मी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि अतुल राय ने पीड़िता से कुकर्म व अश्लील हरकत की है। जब पीड़िता का फोन आया तो उसने बताया कि मार्च 2018 में अतुल राय ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उदय प्रताप कालेज में मात्र एक वर्ष तक बतौर छात्र उसने अध्ययन किया। जिस समय यानी 2013-14 में वह उदय प्रताप कालेज का छात्र रहा। उसी दौरान पीड़िता से उसका सम्पर्क हुआ। छात्र जीवन में चुनाव लड़ने के बाद उसने 2015 में जिला पंचायत का चुनाव, भावरकोल से लड़ा था। सोलह प्रत्याशियों में वह पांचवे नम्बर पर था और चुनाव हार गया था। राजीव राय जो घोसी लोक सभा से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जरिये मीडिया वह इनके बारे में जाना और इनसे मुलाकात हुयी। परंतु लोगों द्वारा वे उसे इनका प्रतिनिधि बताये जाने लगा। जब इसी घोसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव चल रहा था तभी इस घटना की FIR थाना लंका वाराणसी में दर्ज की गयी। रपट लिखे जाने के दूसरे दिन 02.05.19 को थाना लंका में इसी मकुदमे के सिलसिले में वह गया था। जब पीड़िता को लेकर कचहरी गये तब वह गेट तक था। कचहरी से निकलने के बाद वह पीड़िता के साथ नहीं था। इस घटना के बाबत पहली बार जानकारी पीड़िता की मां ने अपने फोन से दिया था। तभी उसने पीड़िता से भी बात कराने को कहा। जिस मोबाइल नम्बर से उसे पीड़िता की मां ने उसे पहली बार जानकारी दी, उस मोबाइल नम्बर की जानकारी नहीं है। उसके जिस

WWW.LIVELAW.IN

मोबाइल नम्बर पर पीड़िता की मां ने फोन किया था वो मोबाइल नम्बर याद नहीं है। पीड़िता ने भी अपनी मम्मी के उसी नम्बर से उसे फोन किया था जिस नम्बर से पीड़िता की मां ने फोन किया था और पीड़िता ने फोन पर घटना की जानकारी दिया। वह इस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। इसकी जानकारी उसे पीड़िता और उसकी मां ने फोन पर दिया था। जिस नम्बर से पीड़िता ने फोन किया था और उसने जिस नम्बर से पीड़िता का फोन रिसीव किया था वो नम्बर उसे याद नहीं है। घटना की पहली बार सूचना जरिये मोबाइल पीड़िता व उसकी मां के द्वारा संभवतः उसे बनारस में मिला था। नंवबर 2018 के प्रथम सप्ताह में घटना की सूचना पहली बार पीड़िता व उसकी मां से प्राप्त हुयी थी। सही तारीख व दिन याद नहीं है। घटना की तिथि 07.03.2018 को उसके पास कौन सा मोबाइल नम्बर था, याद नहीं है। 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन-सा मोबाइल नम्बर था, यह भी उसे याद नहीं है। दिनांक 07.03.2018 को उसका कौन सा मोबाइल था, उसे याद नहीं है। पीड़िता दिनांक 06.04.2019 दिल्ली गयी थी। इसकी जानकारी उसे बाद में हुयी। दिनांक 01.05.2019 को जब पीड़िता दिल्ली से लखनऊ लौटी तो उसने उसे रिसीव नहीं किया था। लेकिन जब वह स्टेशन के बाहर आ रही थी तब मुलाकात हुयी। पीड़िता जो दिल्ली से रिपोर्ट तैयार करके लायी थी, उसे उसने टाईप नहीं कराया था। पीड़िता जहां-जहां जिस-जिस अधिकारी के पास दिनांक 01.05.2019 को गयी उन-उन स्थानों और अधिकारी के पास गया। पीड़िता के साथ वाराणसी पहुंचने पर उन दोनों के रिश्तेदार संजय राय के घर रात्रि 01.05.2019 पहुंचा था फिर कहा कि दिनांक 01.05.2019 को थाने वालों ने रात्रि के रूकने की व्यवस्था की थी और दिनांक 02.05.2019 को रिश्तेदार संजय राय के यहां रूके थे।

10- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.3 के रूप में परीक्षित साक्षी अमित श्रीवास्तव (सेकेट्री सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट सोसायटी) द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वह सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट की सोसाइटी का वह सेकेट्री है। यह अपार्टमेंट कंचनापुर, मंडुआडीह, वाराणसी में है। इस आपार्टमेंट में दो ब्लाक बने हैं। अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिये अपार्टमेंट में 8 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं। प्रवेश गेट पर दो कैमरे लगे हैं- एक फ्रंट गेट और दूसरा अन्दर की तरफ। मुख्य प्रवेश गेट पर एक कैमरा लगा है। लिफ्ट को कवर करने के लिये भी कैमरा लगा है। शेष कैमरे बिल्डिंग के बाहर की सुरक्षा के तौर पर लगे हुये हैं। इस संबंध में पुलिस ने उसका बयान लिया था। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि अतुल राय ने अपने माता-पिता के लिये फ्लैट नम्बर 108 व 109 लिया है। अतुल राय ने अपने व्यक्तिगत नाम से फ्लैट नहीं लिया है। सेकेट्री होने के नाते सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा है। अतुल राय फ्लैट नम्बर 108 में परिवार सहित कभी भी नहीं रहे हैं। घटना दिनांक 07.03.18 को सायं 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शिवकुमार गार्ड की ड्यूटी गेट पर थी। कोई भी आदमी फ्लैट में मिलने के लिये आयेगा तो वह CCTV कैमरे में कैद हो जायेगा। कौन आदमी कितने बजे प्रवेश कर रहा है, ये सभी विवरण CCTV में आ जायेगा। इसी तरह अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का भी अपने जाने का CCTV फुटेज आ जाता है। अपार्टमेंट में जो भी बाहरी कोई व्यक्ति फ्लैट में मिलने आता है तो मुख्य प्रवेश द्वार पर उसका नाम, पता, मोबाइल नम्बर रजिस्टर में नोट किया जाता है। रजिस्टर में इन्ट्री करने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार पर इन्टरकाम लगा हुआ है, उस इन्टरकाम से संबंधित फ्लैट में काल करके अनुमति लिया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

उसके बाद ही भेजा जाता है। दिनांक 07.03.18 को सायं 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच पीड़िता अतुल राय से उनके माता-पिता के फ्लैट नम्बर 108 पर मिलने आयी थी, इस बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है क्योंकि गेट के रजिस्टर (मुख्य प्रवेश द्वार) पर उनके प्रवेश की इन्ट्री के बाबत उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर अंकित नहीं है। दिनांक 06.03.18 व 07.03.18 को उसने अतुल राय को अकेले या उनके परिवार सहित फ्लैट नं०- 108 में आते व निकलते नहीं देखा। 29.06.19 के लगभग दोपहर 1 बजे प्रभारी निरीक्षक लंका/विवेचक भारत भूषण तिवारी सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में उसकी मौजूदगी में आये थे। उसे बुलवाकर फ्लैट नम्बर 108 का ताला खोलवाया था। उस समय सोसायटी के सदस्य अमित सिंह, वह व गार्ड शिवकुमार गौड़ मौजूद था। कमरा खोलवा कर देखा तो यह पाया गया कि उनके कमरे में CCTV कैमरा नहीं लगा था तथा उसमें पहले से न तो कोई CCTV कैमरा लगा था और न ही पहले से लगे होने का निशान ही था। फ्लैट नम्बर 108 के बायीं तरफ कोई कमरा अतुल राय के मां-बाप के नाम से नहीं है, बल्कि मनोज भारती का फ्लैट है। बायीं तरफ फ्लैट नम्बर 108 का कोई कमरा नहीं है। फ्लैट नम्बर 108 में बाये तरफ कोई कमरा नहीं है, यह प्रवेश द्वार से है। उसके सामने ही दिनांक 29.06.2019 के मुकदमे के विवेचक ने फ्लैट नम्बर 108 का नक्शा नजरी तैयार किया था और पूरी जांच समाप्त करने के बाद उसके सामने ही चले गये। दिनांक 02.05.19 को 12 बजे दिन में लेकर सायं 8 बजे तक वह सोसायटी में ही रहा। इसी दिनांक को इसी समय के बीच दरोगा जी एक लड़की को लेकर जांच के लिये आये थे। पुलिस ने उस दौरान उसे भी बुला लिया। उस दौरान दरोगा जी के साथ जो लड़की आयी थी उससे उसकी बातचीत नहीं हुयी। दरोगा जी के साथ आयी लड़की सीधे अरूण कुमार के फ्लैट पर पहुंची और यह बताया कि यही अतुल राय का फ्लैट है। लड़की ने अरूण कुमार के फ्लैट के दरवाजा को खटखटाया तो कल्पना कुमारी (अरूण कुमार की पत्नी) निकली। उन्होंने यह बताया कि यह फ्लैट उसका है और अतुल राय का फ्लैट आगे है। उस समय फ्लैट नम्बर 106 में रहने वाले कृष्ण कुमार भी आ गये थे। अरूण कुमार की पत्नी के बताने के आधार पर वे लोग फ्लैट नम्बर 108 पर आये जो ताला बंद था। बाहर से ही दरोगा जी ने जांच पड़ताल कर ली। यह कहना सही है कि मुकदमे के विवेचना के दौरान विवेचक ने सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे की फुटेज उससे नहीं मांगी और न ही उन्होंने देखा। फ्लैट नम्बर 108 को उसने अंदर से देखा है उसमें Single एक रूम है। जब उससे चाभी लेकर दरोगा जी ने फ्लैट नम्बर 108 में प्रवेश किया था तब उसने भी प्रवेश किया था। दरोगा जी ने उसके सामने कोई भी चीज अपने कब्जे में नहीं लिया था। सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में आता है, न कि लंका थाना क्षेत्र में।

11- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.4 के रूप में परीक्षित साक्षी राघव राय (हेड कां०) द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> दिनांक 01.05.2019 को वह थाना लंका जिला वाराणसी में हेड कास्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन उसने थानाध्यक्ष महोदय से मौखिक आदेश से वादिनी मुकदमा/पीड़िता की तहरीर के आधार पर बोल-बोल कर चिक किता कराया था। चिक रिपोर्ट कागज संख्या 5 अ जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर अंकित है जिसे वह तसदीक करता है जिस पर प्रदर्श क-1 के पृष्ठ भाग पर अंकित तसकीरा कायमी को देखकर बताया कि वह तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के लेख व हस्ताक्षर में है जिनका नाम भरत भूषण तिवारी

WWW.LIVELAW.IN

था। उन्हें उसने पढ़ते-लिखते देखा है। इनके लेख व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। इस घटना एवं मुकदमा कायमी का खुलासा रोजनामचा में उसी दिन समय 22.44 बजे जी.डी. नम्बर 47 में कम्प्यूटर में बोल-बोल कर किता कराया था जो कि कागज संख्या 11अ/1 को पत्रावली में शामिल मिसिल है जो कि कम्प्यूटर की प्रति है जिसे वह प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर बनाया है जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि घटना दिनांकित 07.03.2018 की बाबत FIR थाने पर पहली बार दिनांक 01.05.2019 को प्राप्त हुयी। इस घटना के संबंध में दिनांक 01.05.2019 के पूर्व लिखित या मौखिक सूचना थाने पर प्राप्त नहीं हुयी। इस घटना के लगभग 1 वर्ष 2 माह (420 दिन) बाद थाने पर घटना की तहरीर पहली बार प्राप्त हुयी। तहरीर प्रदर्श क-1 थानाध्यक्ष लंका को संबोधित नहीं है। परंतु DGP लखनऊ द्वारा FIR दर्ज कराने का आदेश प्रदर्श क-1 पर पारित नहीं किया गया है। इस प्रदर्श क-1 तहरीर के अलावा अन्य कोई तहरीर पीड़िता ने इस घटना के बाबत थानाध्यक्ष लंका को संबोधित करके नहीं दिया है। प्रदर्श क-1 तहरीर पर DGP लखनऊ व थानाध्यक्ष लंका पर FIR दर्ज करने का लिखित आदेश नहीं दिया है। यह तहरीर कम्प्यूटर टाइप है। तहरीर पर नीचे Scanned by cam Scanner अंकित है। तहरीर में तहरीर दिये जाने का दिनांक टाइप नहीं है। इस Scan Copy के अलावा तहरीर की मूल कापी उसे प्राप्त नहीं हुयी है और उसने इसी Scan Copy के आधार पर FIR दर्ज किया था। वह थाना लंका में घटना के एक वर्ष पहले से इसी पद पर तैनात था। घटनास्थल फ्लैट अमरौशिया, रेस्टोरेंट, चितईपुर थाना लंका में आता है। रपट में विलंब का कारण इसलिये नहीं लिखा गया क्योंकि तहरीर में विलंब का कारण अंकित नहीं था। जिस दिन थाने में तहरीर दर्ज होती है उसमें चिक के कालम नम्बर 14 पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर कराया जाता है, पर इस चिक में हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि जिस तारीख पर थाने में चिक दर्ज हुयी उसी तारीख व समय पर वादिनी का दस्तखत चिक के पुश्त पर करा लिया गया। दस्तखत करने के बाद वादिनी ने अपने हस्ताक्षर के नीचे उसके सामने तारीख भी अंकित की थी। गवाह ने चिक रिपोर्ट की पुश्त पर पीड़िता के दस्तखत को देखकर बताया कि उस दस्तखत पर दिनांक 02.05.19 की तारीख अंकित है। दिनांक 01.05.19 के मुकदमे की स्पेशल रिपोर्ट उसके द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं दी गयी थी। उसका बयान विवेचक ने 02.05.19 को लिया था।

12- प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.5 के रूप में परीक्षित साक्षी रमेशचन्द्र पाण्डेय (विवेचक) द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 01.05.2019 को वह थाना लंका जनपद वाराणसी में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उस दिन उसे थाना हाजा कार्यालय से मु०अ०सं० 548/2019 धारा-420,376,504,506 IPC बनाम अतुल राय की विवेचना प्राप्त हुयी थी। दौरान विवेचना पर्चा नम्बर 01 दिनांक 02.05.2019 को किता किया था, जिसके नकल चिक, नकल रपट का तस्करा किया था तथा एफ.आई.आर लेखक H.C. राघव राय का बयान दर्ज किया था। पर्चा नम्बर 2 उसने 02.05.2019 को ही किता किया था जो कि कम्प्यूटर में बोल-बोलकर किता कराया था जिसमें मुकदमा वादिनी/पीड़िता का बयान दर्ज किया था। पीड़िता ने एफ.आई.आर में अंकित कथनों का समर्थन करते हुये अपना बयान दर्ज कराया था। उसी दिन पीड़िता/वादिनी द्वारा अभियुक्त के साथ फेसबुक की, की

गयी चैटिंग की छायाप्रति उसे उपलब्ध करायी थी, जिसे उसने सी.डी. पर संलग्न किया था तथा महिला का. प्रीति रावत के साथ चिट्ठी-मजरूबी देकर पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय रवाना किया था। पर्चा नम्बर 3 दिनांक 02.05.2019 को ही किता किया था, जिसमें पीड़िता की डॉक्टरी के बाद पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 CrPC दर्ज कराने हेतु कार्यवाही का तस्करा किया था, तथा उसी दिन बयान दर्ज करवाने के उपरांत बयान का अवलोकन किया था। इसके उपरांत वादिनी मुकदमा के साथ घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण, वादिनी की निशानदेही पर किया था तथा नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो कागज संख्या 8 अ/1 है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। पर्चा नम्बर 4 दिनांक 03.05.2019 को किता किता था। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि इस मुकदमे की विवेचना उसने दिनांक 02.05.19 साढ़े सात बजे सुबह शुरू किया। मुकदमा शुरू करते समय दिनांक 02.05.19 को साढ़े सात बजे कायमी मुकदमा GD कायमी और रपट चिक प्राप्त करायी गयी। उसे जानकारी नहीं है कि वादिनी पीड़िता को उसके थाने की पुलिस ने किस होटल में और रात्रि में कहां ठहराया था। उसे इस बात की जानकारी है कि प्रीति रावत महिला कास्टेबल और एक दरोगा पीड़िता वादिनी को दिनांक 02.05.19 को होटल से थाना ले आये। यह बात सही है कि वादिनी पीड़िता इन्हीं लोगों के साथ दिनांक 02.05.19 को थाने पर सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर आयी। प्रीति रावत ने उनके बयान को अपने हस्तलेख में लिखा और बयान के वक्त वीडियोग्राफी भी हुयी। वीडियोग्राफी की उसने CD तैयार कराया था। उस बयान की CD को उसने विवेचना में सम्मिलित किया था। उक्त CD को उसने अपने समक्ष सीलबंद मुहर, अपने नाम की किया था। उसने CD को सील मोहर दुरस्त भेलूपुर CO कार्यालय भेजा था। जिस समय उसने उक्त सील मोहर दुरूस्त CD सी.ओ. कार्यालय भेजी थी, उस समय वह CD टूटी नहीं थी। उक्त वादिनी पीड़िता का बयान लिखा हुआ CD कैसेट न्यायालय में आने से पहले टूटी हुयी थी। वह कहां टूटी, कैसे टूटी और क्यों तोडा गया था, इस बारे में वह कुछ नहीं बता सकता। घटना की सत्यता की जानकारी हेतु उसने विवेचना के दौरान दादा-दादी व उसकी माता, उसके भाई और उसके बहन का बयान नहीं लिया। वह इस मुकदमे की विवेचना लगातार 04 दिन तक करता रहा। बहुमूल्य साक्षियों का बयान इसलिये नहीं लिया क्योंकि उसे समय नहीं मिला। इस दौरान वादिनी के द्वारा अभियुक्त के साथ चैटिंग की छायाप्रतियां दिया गया था। चैटिंग वार्ता की छायाप्रति पीड़िता ने कहां से लाकर दिया इसका उसने विवेचना के दौरान पता नहीं किया। चैटिंग वार्ता की जो छायाप्रति दिया था, वह इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य में आता है चैटिंग वार्ता का ओरिजनकल डाक्यूमेंट, इस दौरान उसे पता नहीं चल पाया। उसने समय न होने के कारण उसने इन बातों का पता नहीं लगाया कि छायाप्रतियों की सत्यता क्या है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान उसने यह पाया कि घटनास्थल थाना मण्डुवाडीह के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। घटनास्थल सूर्या-गुरूग्राम अपार्टमेंट थाना मण्डुवाडीह के क्षेत्र में पड़ता है। उसने विवेचना के दौरान यह रिपोर्ट किसी अधिकारी को प्रेषित नहीं किया कि घटनास्थल दूसरे थाने के अंतर्गत आता है, इसलिये तफ्तीश वहां से करायी जाये। उसने दौरान विवेचना, यह जानने की कोशिश नहीं की, कि घटना के समय या घटना के दिन पीड़िता किस नम्बर के मोबाइल का प्रयोग किया करती थी। घटना वाले दिन या उन दिनों मुल्जिम अतुल राय किस नम्बर के मोबाइल का प्रयोग करते थे, उसने जानने

WWW.LIVELAW.IN

की कोशिश नहीं की। पीड़िता ने उसे यह नहीं बताया कि पहली घटना के बाद उसका शारीरिक संबंध किन-किन तारीखों पर किन-किन स्थानों पर लगातार बनता रहा। पीड़िता ने उन-उन स्थानों को नहीं बताया जहां उसके संबंध अतुल राय से बनते रहे। उसने समय न मिल पाने के कारण पीड़िता की मुहबोली बहन लकी राय व उसके पति का बयान, विवेचना के दौरान घटना की सत्यता को जानने के लिये नहीं लिया, बयान इसलिये नहीं लिया क्योंकि विवेचना उसके पास मात्र 03 दिन थी। उसने उस चार पहिया गाड़ी का भी पता नहीं लगाया, जिसके द्वारा पीड़िता अतुल राय के घर जाना बताती है। उसने अमरेशिया रेस्टोरेंट के मालिक या किसी कर्मचारी का बयान यह जानने के लिये नहीं लिया कि पीड़िता कार से इसी रेस्टोरेंट पर उतरी थी। पीड़िता ने जो यह कहा कि अमरेशिया रेस्टोरेंट से अतुल राय के नौकर ने पीड़िता को लेकर अतुल राय के घर पहुंचाया, उस नौकर का भी बयान उसने नहीं लिया। पीड़िता के बयान से उसने यह अवलोकित किया था कि अतुल राय जब आये, तो उनके पास दो गार्ड भी थे, लेकिन उसने उन दो गार्डों का भी बयान भी नहीं लिया, क्योंकि समय कम था। उसने सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के मंत्री अमित श्रीवास्तव का भी बयान यह जानने के लिये कि घटना सही है या गलत नहीं लिया था। वह सूर्या गुरूग्राम सोसायटी घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान गया है। सोसायटी में बने फ्लैटों में प्रवेश करने के लिये एक मुख्य प्रवेश द्वार बना है और सोसायटी चारों तरफ से बाउन्ड्रीवाल से घिरी है। उसने मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. लगे हुये थे, उसने देखा। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड था सोसायटी का, उससे भी उसकी मुलाकात हुयी। उसने गार्ड से बताया कि उसे किससे-किससे मिलना है और किस कारण आया है। मुख्य प्रवेश द्वार पर उसने रखे हुये रजिस्टर को देखा और यह पाया कि फ्लैट में प्रवेश करने के लिये अपना नाम, अपनी रैंक, अपना वल्दियत, नाम पता तथा मोबाइल नम्बर नोट करना पड़ता है। पीड़िता दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय से मिलने सूर्या गुरूग्राम सोसायटी में मिलने गयी थी, इसकी जानकारी के लिये उसने सी.सी.टी.वी. की फुटेज प्राप्त नहीं की। विवेचना के दौरान उसने महिला कास्टेबल प्रीति रावत का भी बयान नहीं लिया। जिस समय घटना की रिपोर्ट दिनांक 01.05.2019 को करायी गयी, उन दिनों लोकसभा का चुनाव चल रहा था। अतुल राय उस 2019 के लोकसभा वाले चुनाव में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी लोकसभा सीट से भाजपा के हरि नारायन राजभर भी चुनाव लड़ रहे थे। इसी लोकसभा सीट से अतुल राय विजयी घोषित हुये। यह सही है कि उसने पीड़िता का बयान स्वयं नहीं लिया था, उसका बयान महिला आरक्षी प्रीति रावत ने लिया था, और जो बयान प्रीति रावत ने उसे लिखकर दिया, उसी की कापी उसने केस डायरी में किया। वह यह नहीं बता सकता कि पीड़िता ने महिला आरक्षी प्रीति रावत को अपने बयान में क्या-क्या बताया और क्या-क्या नहीं बताया तथा प्रीति रावत ने बयान सही लिखा या गलत लिखा वह नहीं बता सकता।

13- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.6 के रूप में परीक्षित साक्षी डॉ रश्मि गुप्ता ई.एम.ओ. महिला जिला चिकित्सालय वाराणसी द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> दिनांक 02.05.2019 को वह जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी में आकस्मिक चिकित्सक अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन 12:20 pm पर महिला कॉस्टेबल प्रीति रावत थाना लंका द्वारा पीड़िता को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। पीड़िता के शरीर पर पहचान के निशान के रूप में एक छोटा काला

तिल ठुड्डी पर मौजूद था। पीड़िता ने अपने को अविवाहित होना बताया। पिछली माहवारी की तिथि 20.04.2019 बतायी गयी। पीड़िता चैतन्य अवस्था में थी। पल्स रेट 86 पीएम थी। बीपी 110/80 था। हाइट 5 फीट 2 इंच वजन 54.5 किलोग्राम था। पीड़िता के बाह्य परीक्षण में उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई। हाइमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वेजाइनल स्मियर की दो स्वपूड बनाकर शुक्राणु के परीक्षण हेतु पैथोलॉजी में भेजा गया था। उम्र निर्धारण हेतु पीड़िता के C.M.O के पास भेजा गया था। पीड़िता का परीक्षण 12:30 pm से शुरू होकर 12:40 pm समाप्त हुआ था। परीक्षाण आख्या कागज संख्या 9अ/1 उसने अपने लेख में हस्ताक्षर में तैयार कर कराया था तथा उस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा बनाकर उसे प्रमाणित किया था। परीक्षण की पूर्व पीड़िता को परीक्षण हेतु सहमति प्राप्त की गई थी तथा संबंधित कॉलम में उसके हस्ताक्षर कराए थे। परीक्षण आख्या पर प्रदर्श क-6 डाला गया। पूरक परीक्षण आख्या उसने एक्स-रे व पैथोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 08.5.19 को 7:00 pm पर अपने लेख में हस्ताक्षर में तैयार किया था। एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ वाराणसी द्वारा पीड़िता की उम्र 21 से 22 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया था। पूरक परीक्षण संख्या कागज संख्या 9अ/4 को वह तस्दीक करती है जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

14- प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.7 के रूप में परीक्षित साक्षी भारत भूषण तिवारी द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 26.08.2018 से 12.06.20 धारा 420,376,504,506, भा०दं०सं० थाना लंका वाराणसी की विवेचना को स्पेशल रिपोर्ट (SR) प्रेषित होने के उपरांत स्वयं ग्रहण किया था जो दिनांक 07.05.2019 को किया था तथा उसी दिन उसने पर्चा नम्बर 7 कम्प्यूटर से किता कराया था, जिसमें पूर्व किता पर्चो का अवलोकन कर तस्कीरा किया था। पर्चा नंबर 8 दिनांक 9.5.19 को किता किया था जिसमें पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका तस्कीरा किया था तथा महिला कॉन्स्टेबल प्रीति रावत का बयान दर्ज किया था। पर्चा नंबर 9 दिनांक 10.05.19 को किता किया गया था, जिसमें वादिनी मोबाइल से की गई वार्ता का तस्कीरा किया था तथा साक्षी सत्यम प्रकाश का बयान दर्ज किया था तथा अभियुक्त अतुल राय की गिरफ्तारी हेतु दी गई दबिश व तलाश का तस्कीरा किया था। पर्चा नंबर 10 दिनांक 13.05.19 को किता किया गया था जिसमें अभियुक्त अतुल राय की तलाश का तस्कीरा किया था। पर्चा नंबर 11 दिनांक 16.05.19 को किता किया गया था जिसमें अभियुक्त की तलाश हेतु दबिश तथा 82 भारतीय दंड संहिता की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किए जाने का तस्कीरा किया था। पर्चा नंबर 12 दिनांक 18.05.19 को किता किया गया था जिसमें अतुल राय के विरूद्ध धारा 82 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्राप्त होने का तस्कीरा किया था। पर्चा नम्बर 13 दिनांक 20.05.19 को किता किया था, जिसमें अतुल राय के विरूद्ध यूनिग्रेनान डिपार्टमेंट द्वारा लुक आउट नोटिस जारी किये जाने का तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 14 दिनांक 05.06.19 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त की तलाश हेतु पंजिका का तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 15 दिनांक 06.06.19 को किता किया था, जिसमें उसके अवकाश में जाने के कारण अतुल राय के विरूद्ध जारी 82 भा०दं०सं० के तामीला हेतु एस.आई सूरज कुमार तिवारी, एस.आई मनोज कुमार राय को मूल आदेश देकर अतुल राय के मूल निवास फ्लैट नम्बर 108 सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट थाना

WWW.LIVELAW.IN

मडुवाडीह जनपद वाराणसी तथा बीरपुर थाना भावर कोल जिला गाजीपुर में नियमानुसार तामीला कराने हेतु निर्देशित कराने का तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 16 दिनांक 16.06.19 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध जारी 82 भा०दं०सं० के आदेश के तामील शुदा रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त होने पर उसका तसकीरा किया था तथा अतुल राय के गाजीपुर वाले मकान पर डुगडुगी बनवाकर 82 भा०दं०सं० की तामीला के संबंध में एस.आई. श्री मनोज कुमार राय का बयान दर्ज किया था तथा अभियुक्त के तलाश का तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 17 दिनांक 21.06.19 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध धारा 83 भा०दं०सं० की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 18 दिनांक 22.06.19 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त अतुल राय द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर तथा पर्चा हाजिरी प्राप्त होने का उसका तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 19 दिनांक 28.06.19 को किता किया था, जिसमें न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कारागार के अंदर नियमानुसार समय 13.40 बजे प्रवेश कर अतुल राय का बयान दर्ज किया था। पर्चा नम्बर 20 दिनांक 29.06.19 को किता किया था, जिसमें उसके द्वारा अभियुक्त अतुल राय के निवास स्थान सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में फ्लैट सेकेट्री अमित श्रीवास्तव व सोसायटी के सदस्य अमित कुमार सिंह के समक्ष सी.सी.टी.वी. लगे होने के बाबत अभियुक्त के फ्लैट का ताला खुलवाकर निरीक्षण किया गया था जिसमें सी.सी.टी.वी. लगे होने का कोई प्रमाण नहीं है तथा उसी दिन अमित श्रीवास्तव व अमित कुमार सिंह व शिव कुमार गौड़ का बयान दर्ज किया गया था महिला चिकित्सालय कबीरचौरा वाराणसी आकर डॉ रश्मि गुप्ता का बयान दर्ज किया था तथा 82 भा०दं०सं० की तामीला के संबंध में एस.आई सूरज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी सुन्दरपुर का बयान दर्ज किया था। पर्चा नम्बर 21 दिनांक 30.06.19 को किता कराया था, जिसमें उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध प्राप्त साक्ष्य संकलन से उनके विरूद्ध आरोप धारा 420,376,504,506 भा०दं०सं० का जुर्म साबित पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाने का तसकीरा किया था। आरोप पत्र कागज संख्या 4अ उसने कम्प्यूटर पर बोल-बोल कर किता कराया था, जिस पर वह अपने लेख व हस्ताक्षर की तसदीक करता है जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया है। पर्चा नम्बर 22 दिनांक 10.07.19 को किता किया था जिसमें क्षेत्राधिकार भेलूपुर द्वारा अभियुक्त अतुल राय के संबंध में कोई साक्ष्य न होने के बिन्दु पर अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित किया गया था जिसका तसकीरा उसने पर्चे में किया था। पर्चा नम्बर 23 दिनांक 25.7.19 को किता किया था जिसमें वादिनी मुकदमा ने अतुल राय का मोबाइल नम्बर प्राप्त होने पर उसका तसकीरा किया था। पर्चा नम्बर 24 दिनांक 05.08.19 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त अतुल राय के मोबाइल का काल डेटेल एवं कैंप प्राप्त होने हेतु एस.पी. क्राइम को रिपोर्ट प्रेषित करने का तसकीरा किया था तथा CDR व कैंप प्राप्त होने का उसका तसकीरा किया था उसी दिन उसने स्वतंत्र गवाह कृष्ण कुमार व यमन गुप्ता का बयान दर्ज किया था तथा सिगरा चौराहा पर दुकानदारों से जानकारी प्राप्त होने का तसकीरा प्राप्त किया था। पर्चा नम्बर 25 दिनांक 16.08.19 को किता किया था जिसमें साक्षी शिवेन्द्र प्रताप सिंह तथा अनुज राय का बयान भी लिया। दोनों के बयानात व दोनों के मोबाइल के काल डिटेल्स के आधार पर यह पाया गया कि घटना दिनंकित 06.04.2019 झूठी है तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। <u>दौरान</u>

WWW.LIVELAW.IN

<u>प्रतिपरीक्षा</u> साक्षी द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 26.06.2019 को अतुल राय के फ्लैट सूर्या गुरूग्राम में स्थित पर गया उसने वहां पहुंचने पर सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव तथा सोसायटी के सदस्य अमित कुमार सिंह को बुलवाया और अमित श्रीवास्तव सेकेट्री ने अतुल राय के फ्लैट की चाबी दिया। चाबी मिलने के बाद अतुल राय के फ्लैट संख्या 108 का ताला खोला और फ्लैट के अंदर घुसे। उसके द्वारा घटनास्थल का द्वारा निरीक्षण करते समय सेकेट्री अमित श्रीवास्तव, सदस्य अमित कुमार सिंह व सोसायटी का सिक्योरिटी गार्ड शिव कुमार गौड़ भी मौजूद था। उसने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि फ्लैट नम्बर 108 में कोई भी सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगा है तथा पूर्व में सी.सी.टी.वी. के कैमरे लगे होने का कोई भी निशान नहीं है। निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि फ्लैट नम्बर 108 केवल एक कमरे का फ्लैट है और उस एक कमरे के फ्लैट के मुख्य दरवाजे के दायें व बायीं, उत्तर, दक्षिण कोई भी दूसरा कमरा नहीं है। इस कमरे के उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम लगा हुआ कोई अन्य कमरा नहीं है। उस एक कमरे के फ्लैट में मेज, कुर्सियां, अलमारी, कागज-पत्र मौजूद थे, जो ऑफिस जैसा कमरा लग रहा था। निरीक्षण के दौरान उसने उस एक कमरे के फ्लैट में पलंग या बिस्तर टाइप के सामान नहीं देखा। उसने विवेचक के क्रम में ही दिनांक 29.06.19 को सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव का धारा 161 CrPC के तहत बयान लिया था। इसी साक्षी ने अपने बयान में यह बताया कि सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के किसी भी फ्लैट के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगा है। विवेचना के दौरान, जिस अश्लील वीडियो को दिखाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया है, इस संबंध में उसने गहन विवेचना किया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पीड़िता ने भी उसके द्वारा बार-बार मांगने पर भी कथित बनाये गये अश्लील वीडियो के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, तथा इस संबंध में उसे भी कोई इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उसने I.T. Act के किसी भी धारा के तहत आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया। सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में बने फ्लैटों में प्रवेश करने के लिये एक मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ था, जहां उसने दो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुये देखे थे तथा इस तथ्य को सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव तथा अन्य दो गवाहों ने भी बताया कि कथित घटना के पहले से मुख्य प्रवेश द्वार पर दो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं और ये हमेशा चालू हालत में रहते हैं तथा उसने भी उस दिन इन्हें चालू हालत में पाया। मुख्य प्रवेश द्वार से सटा हुआ एक कार्यालय भी है, उस कार्यालय में एक रजिस्टर भी रखा जाता है, जो व्यक्ति फ्लैट में किसी से मिलने जाता है, तो उस रजिस्टर में उसका नाम, वल्दियत, पता तथा मिलने वाले का मोबाइल नम्बर लिखा जाता है, तथा उस व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जाता है। यह प्रक्रिया उसके द्वारा भी फ्लैट में प्रवेश करने के पहले पूरी की गयी। इन सबके अलावा मिलने की तारीख व समय का उल्लेख भी रहता है तथा उस व्यक्ति का नाम भी लिखा जाता है, जिससे मिलने जाना है। उसने मुख्य द्वार पर लगे सी.सी.टी.वी. की जांच इस तथ्य की जानकारी के लिये कि दिनांक 07.03.2018 को सायं 04.00 बजे से लेकर 10.00 बजे रात्रि के बीच पीड़िता, अतुल राय के फ्लैट नम्बर 108 पर मिलने गयी थी, नहीं की थी तथा उसने उस तारीख का रजिस्टर भी नहीं देखा, इन सबकी उसने आवश्यकता नहीं समझी। घटना दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन-सा मोबाइल नम्बर था, इसकी जानकारी का उसने अथक प्रयास किया मगर उनके द्वारा नम्बर नहीं बताया गया। घटना के समय पीड़िता कितने मोबाइल नम्बरों का

WWW.LIVELAW.IN

प्रयोग करती थी, यह भी पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। मोबाइल नम्बर उनके द्वारा न बताने के कारण वह, न तो उनका कॉल डिटेल निकाल पाया, और न ही इसके विषय में जानकारी हासिल कर पाया कि मोबाइल किस दुकान से खरीदा गया था और किसके द्वारा खरीदा गया था। मोबाइल नम्बर न मिलने के कारण वह विवेचना के दौरान यह पता नहीं लगा पाया कि दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता की लोकेशन कहां-कहां थी। पीड़िता ने अपने किस मोबाइल नम्बर से अपनी मां के किस मोबाइल नम्बर पर घटना की बात बतायी। इसके बाबत बार-बार पूछने पर न तो उसने अपना मोबाइल नम्बर बताया और न ही अपनी मां का मोबाइल नम्बर बताया। पीड़िता ने उसे यह भी नहीं बताया कि घटना वाले दिन दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय के फ्लैट से उसने स्वयं किस मोबाइल whatsapp से अतुल राय को कॉल किया था और मैसेज भेजा था, यह भी उसे नहीं बताया था। पीड़िता ने जो मोबाइल नम्बर 7408000009, अतुल राय का होना बताया है, उस मोबाइल के बारे में उसने यह जांच में पाया कि वह अतुल राय का मोबाइल नम्बर नहीं था और वो उसे न ही प्रयोग करते हैं। पीड़िता द्वारा किया गया यह कथन कि 24.04.2019 को व 29.04.2019 को जो वीडियो बनाकर वायरल किया जाना बताया गया है, इस संबंध में उसने गहन विवेचना किया और कोई भी साक्ष्य नहीं पाया। पीड़िता ने भी उसके मांगने के बावजूद कोई साक्ष्य इस संबंध में नहीं दिया। विवेचना के दौरान पीड़िता के मां और भाई को 29.04.2019 को घर से उठा ले जाने वाली बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला तथा इस संबंध में डराने और धमकाने का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। पीड़िता घटना वाले दिन किस चारपहिया गाड़ी से अतुल राय के घर गयी थी, उसका कोई नम्बर उसने नहीं बताया था। पीड़िता ने अतुल राय के नौकर का नाम व पता नहीं बताया था इसलिये उसका बयान नहीं लिया था। फ्लैट पर आते समय जिन तीन गनरों का वहां रहना बताया था, उसके संबंध में कोई जानकारी उसे प्राप्त नहीं हुयी। कथित घटना के बाद जिस मोबाइल नम्बर से सत्यम प्रकाश राय, पीड़िता के जिस मोबाइल नम्बर पर बाते करता रहा, उन दोनों मोबाइल नम्बरों को न तो पीड़िता ने बताया, न तो सत्यम राय ने बताया, इसलिये कोई जानकारी नहीं हुयी। दिनांक 06.04.2019 को सत्यम राय और पीड़िता दोनों अपने-अपने मोबाइल नम्बरों से एक-दूसरे से बात किये या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं हो पायी। विवेचना के दौरान उसने रामचन्द्र गुप्ता का भी बयान लिया था, इन्होंने अपने बयान में कथित दिनांक 07.03.2018 की घटना को झूठा बताया। कथित घटना दिनांक 07.03.2018 के बाद अतुल राय ने पीड़िता को बुलवाया और जगह-जगह, भिन्न-भिन्न स्थानों व समय पर शारीरिक संबंध बनाया, इसके संबंध में विवेचना के दौरान उसने कोई साक्ष्य नहीं पाया। विवेचना के दौरान उसे पीड़िता ने यह नहीं बताया कि दिनांक 07.03.2018 की घटना के बाद किन-किन तारीखों पर और किस समय और किन-किन स्थानों पर अतुल राय ने उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया, यह न तो उसने बताया और न ही दिखाया। इस मुकदमे में पीड़िता के बयान के समर्थन में न तो कोई चश्मदीद साक्षी मिला और न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही मिला। आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात् C.O. के आदेशानुसार सिगरा चौराहे की कथित घटना के बाबत अग्रिम विवेचना शुरू किया। पीड़िता की शिकायत के बाबत कि उसे सिगरा चौराहे से अनुज राय व उसके साथियों ने अपहरण करने का प्रयास किया था, इस संबंध में उसने काल डिटेल निकाली थी और काल-डिटेल के आधार पर कथित घटना के समय व दिन,

अनुज राय की मौजूदगी सिगरा चौराहे पर नहीं पायी गयी थी, इसी साक्ष्य संकलन के क्रम में उसने दिनांक 05.08.2019 को सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के फ्लैट नम्बर 106 के निवासी कृष्ण कुमार पुत्र राजनाथ का बयान लिया था। और उन्होंने ही बताया कि अनुज राय एक लड़का चौक क्षेत्र में रहता है। उन्होंने यह भी बताया था कि एक दिन पुलिस के साथ पीड़िता आई थी और अतुल राय के बगल वाले फ्लैट को अतुल राय का फ्लैट बता रही थी, जो अरूण कुमार सिंह का फ्लैट था। इसी क्रम में उसने शिवेन्द्र प्रताप सिंह व अनुज राय का बयान भी लिया। उसने दोनों के बयानात व दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि दिनांक 06.04.2019 की जो घटना कही जा रही है वह झूठी है, और कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिये अनुज राय की नामजदगी गलत पायी गयी और उनके खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया गया।

15- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.8 के रूप में परीक्षित साक्षी शिव कुमार गौड़ (सुरक्षागार्ड सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट सोसायटी) द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> आज से लगभग 3 वर्ष पहले वह सूर्य गुरुग्राम अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। सूर्य गुरुग्राम अपार्टमेंट में उसने 3-4 वर्षों तक कार्य किया है। सूर्य गुरुग्राम अपार्टमेंट के गेट पर उसकी ड्यूटी थी। अपार्टमेंट में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे परिसर की निगरानी की जाती है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व उसने बीमारी के कारण उक्त अपार्टमेंट से सुरक्षा गार्ड का काम छोड़ दिया है। इस वक्त इस वक्त वह अपने गांव में निवास कर रहा है इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी वह उसका बयान लिया था। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> साक्षी द्वारा कथन किया गया कि सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के गेट पर उसकी ड्यूटी दिनांक 07.03.2018 को सायं 6 बजे से लेकर सुबह 08.03.2018 को 6 बजे तक थी। वह प्रतिदिन लगातार बारह घण्टे ड्यूटी करता था और दिनांक 07.03.2018 को भी उसकी ड्यूटी 12 घंटे सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे 08.03.2018 तक थी। दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में अतुल राय से मिलने नहीं आयी थी। जब तक उसकी ड्यूटी थी, तब तक नहीं आयी थी। अगर आती तो पीड़िता का मोबाइल नम्बर, उसका वल्दियत, उसका पता, गेट पर रखे रजिस्टर पर जरूर नोट करता व उसका हस्ताक्षर बनवाता, क्योंकि वह आई नहीं थी, लिहाजा गेट के रजिस्टर पर उसकी एंट्री नहीं हुयी थी। दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय अपने सुरक्षा गार्डों के साथ फ्लैट नम्बर 108 पर नहीं आये थे। पहली बार दरोगा जी जब दिनांक 02.05.2019 को पीड़िता को लेकर जब सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट पर आये थे, तब उनके साथ सत्यम प्रकाश राय एवं विवेक राय उर्फ गोलू भी आये थे। ये दोनों अंदर आना चाहते थे, तब उसने कहा कि गेट पर रखे रजिस्टर पर अपनी एंट्री करवाइये, तभी अंदर आने देंगे। इन दोंनो ने गेट पर रखे रजिस्टर पर अपने नाम, पता बल्दियत की इंट्री नहीं किया, इसलिये उसने इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया। ये दोनों गेट के बाहर ही खड़े थे। जब दरोगा जी अपनी कार्यवाही करके जाने लगे तब ये दोनों लड़के जो गेट के बाहर खड़े थे। दरोगा के साथ-साथ चले गये। जब दोबारा दरोगा जी दिनांक 29.06.2019 को सूर्य गुरूग्राम अपार्टमेंट में आये, तब उस समय सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव व सदस्य अमित सिंह तथा वह स्वयं मौजूद था। दरोगा जी आये और उन्होंने उसके सामने सोसायटी के सचिव अमित श्रीवास्तव से फ्लैट नम्बर 108 की चाभी लिया और उन तीनों के सामने फ्लैट खोलकर कमरे में

घुसे और उन्होंने यह देखा कि कमरे में कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा अंदर मौजूद नहीं था। फ्लैट नम्बर 108 तथा सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट के किसी भी फ्लैट में सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगा था। फ्लैट नम्बर 108 केवल एक कमरे का फ्लैट था। इस कमरे के बायें तरफ या दाहिने तरफ कोई भी कमरा नहीं था। यह एक कमरे का फ्लैट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। कमरे के सामने कंपनी का बोर्ड भी लगा है। वह इतना जानता है कि सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में कुल 08 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुये हैं, इनमें से दो गेट पर हैं, तथा दो कैमरे लिफ्ट पर लगे हुये हैं तथा बकाया सुरक्षा की दृष्टि से बाहर लगे हुये हैं। जब गेट पर रखा हुआ रजिस्टर पूरा इण्ट्री से भर जाता है, तब उसे सोसायटी के सचिव अमित श्रीवास्तव के कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। उसने जो न्यायालय में यह बयान दिया है, वह सब सही है, क्योंकि वह वहीं पर सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। यह कहना सही है कि दिनांक 07.03.2018 को उसकी ड्यूटी के दौरान पीड़िता, सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में अतुल राय से मिलने नहीं आयी थी।

16- <u>प्रश्नगत मामले में पी.डब्लू.9 के रूप में परीक्षित साक्षी महिला कॉस्टेबल प्रीति रावत सी.पी. नम्बर 2993 द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> पीड़िता को वह जानती है। पीड़िता का उसने 161 सीआरपीसी का बयान दर्ज किया था। जो उसने बोला था हुबहु वहीं उसने अंकित किया था, जिसे पीड़िता ने पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर उसके सामने बनाए थे। साक्षी को कागज संख्या 13 अ/1 दिखाया गया, देख कर साक्षी ने बताया कि यह उसके हस्तलेख में है और उसने इसपर अपने हस्ताक्षर भी बनाए हैं जिसे वह तस्दीक करती है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने वह राजकीय जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी, उसी दिन लेकर गई थी जहां उसका डॉक्टरी मुआयना हुआ था। विवेचक ने इस घटना के बाबत उसका बयान नहीं लिया था। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उसने लिखित बयान लेते समय पीड़िता से यह पूछा था कि घटना वाली तारीख और समय तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल नम्बर था, लेकिन पीड़िता ने उसके पूछने के बावजूद भी अपना मोबाइल नम्बर घटना के समय वाला नहीं बताया था। बयान देते समय पीड़िता से उन कपड़ों को मांगा था, जो घटना के समय पहने गये थे, इस पर पीड़िता ने यह कहा कि वह कपड़े उसके पास नहीं है। पीड़िता ने उसे वह अश्लील वीडियो वाला मोबाइल नहीं दिखाया था। जो पीड़िता ने दो-बार वीडियो वायरल किया था, वह भी उसने नहीं दिखाया था। वीडियो वायरल करने से संबंधित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उसे नहीं दिये थे। बयान लेते समय सत्यम प्रकाश राय के अलावा कोई दरोगा थे या नहीं, यह उसे याद नहीं है। मुकदमे की घटना दिनांक 07.03.2018 को 10 बजे रात्रि की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 420 दिन बाद थाने पर दर्ज की गयी। इतने विलम्ब से रिपोर्ट लिखवाने का कोई भी कारण पीड़िता ने नहीं बताया था। उसने पीड़िता का बयान लिया, उसके बाद उसने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराया, फिर उसी दिन पीड़िता का धारा 164 CrPC के तहत न्यायालय में बयान कराया और उसी दिन पीड़िता के साथ घटनास्थल पर गयी थी। पीड़िता के साथ एक लड़का था, उसका नाम वह नहीं जानती है और पीड़िता उसको अपना मित्र बताती थी। अदालत में पीड़िता का बयान धारा 164 CrPC का होते समय वह लड़का अदालत के बाहर था। जब वह घटनास्थल पर गयी थी, तो उस समय साथ में उपरोक्त लड़का/मित्र पीड़िता के साथ था। जिस दिन मुकदमा कायम हुआ, उस दिन वह एक

दरोगा के साथ होटल में जाकर पीड़िता को थाने लेकर आयी और मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद उसने उसका बयान लिया। पीड़िता ने वीडियो अपलोड करने के बाद जिन-जिन लोगों के फोन आये और SMS आये, उन-उन लोगों का नाम और मोबाइल नम्बर बयान देते समय उसे नहीं बताया। किस मोबाइल से क्या-क्या SMS आये, यह सारी चीजें उसे पीड़िता ने नहीं बतायी। जब वह दरोगा जी के साथ पीड़िता को लेकर घटनास्थल पर गयी थी, तब वह और पीड़िता गाड़ी पर बैठे थे, तब विवेचक गाड़ी से उतरकर सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के गेट पर गये और प्रवेश की औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे और पीड़िता को अंदर ले गये। पीड़िता जब वहां गयी, तब वह अतुल राय का फ्लैट ढूंढ नहीं पा रही थी, फिर एक औरत के बताने पर अतुल राय के फ्लैट पर गयी। पीड़िता कह रही थी, शायद यह फ्लैट है, शायद वह फ्लैट है और कन्फ्यूज थी कि कौन-सा फ्लैट है। उसे और विवेचक को पीड़िता यह नहीं बता पा रही थी कि यह फ्लैट है या वह फ्लैट है। पीड़िता ने बताया कि यह फ्लैट लग रहा है, इसलिये विवेचक ने उसी फ्लैट का नक्शा-नजरी बना लिया। लगभग आधे घंटे के बाद वे सभी लोग वापस थाने पर आ गये और पीड़िता अपने मित्र के साथ थाने से चली गयी।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्ष्यः</u>

17- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित साक्षी अमरेश कुमार सिंह बघेल द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> मार्च में वर्ष 2020 में एस.पी.सिटी आफिस के माध्यम से अतुल राय के पिता श्री भरत सिंह पुत्र स्व० भगवती सिंह, निवासी बीरपुर, थाना भावंरकोल जनपद गाजीपुर के द्वारा दिये गये शिकायती प्रा०पत्र, जांच हेतु C.O. भेलूपुर पदेन नामित हुयी थी। उक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रा०पत्रों का अवलोकन तथा उपलब्ध साक्ष्यों व प्रार्थना पत्रों का अवलोकन तथा उपलब्ध साक्ष्य आडियो-वीडियो क्लिप, कॉल डिटेल, CAF व बैक का डिटेल का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 08.08.2020 को उसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त मु०अ०सं० 548/2019 थाना लंका वाराणसी, अंतर्गत धारा- 420,376,504,506 भा०दं०सं० में प्रतिकूल साक्ष्य आने के कारण मुकदमा उपरोक्त को अंतर्गत धारा 173 (8) दं०प्र०सं० के अंतर्गत पुनः अग्रिम विवेचना कराया जाना समीचीन होगा। प्रार्थिनी/पीड़िता पुत्री ने अपने स्व० हस्तलिखित बयान दिया जिनमें एक आडियो क्लिप को सुनकर उसने अपनी मां की आवाज व दूसरे में सत्यम प्रकाश की आवाज को तसदीक किया। सत्यम प्रकाश राय ने भी अपना स्व० हस्तलिखित बयान प्रस्तुत किया, जिसके उसने आडियो क्लिप में अपनी आवाज व उसके रिश्तेदार की आवाज व एक वकील की आवाज को तसदीक किया। तदोपरांत दोनों के बयान की पूरक आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी गयी। जिसको तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श ख-1 डाला गया। कार्यालय द्वारा जन-सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी गयी जांच-आख्या पर प्रदर्श ख-2 डाला गया, तथा जांच आख्या पर प्रदर्श ख-3 डाला गया। मौजूद कागज संख्या 98ब/21 लगायत 98ब/23 जो पूरक आख्या है जिस पर उसका हस्ताक्षर मौजूद है देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। जिस पर प्रदर्श ख 101, 102 और 103 डाला गया। तत्कालीन एसपी सिटी वाराणसी विकास चन्द्र त्रिपाठी के साथ काम किया था। उनको लिखते-पढ़ते देखा था तथा उनके हस्ताक्षर को वह पहचानता है। पत्रावली पर कागज संख्या 138ब/4 लगायत 138ब/36 पर विकास चन्द्र त्रिपाठी की हस्ताक्षर की

WWW.LIVELAW.IN

शिनाख्त करता है जिस पर प्रदर्श ख-104 लगायत प्रदर्श ख 136 डाला गया। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि जिस प्रार्थनापत्र की जांच उसने किया था, वह प्रार्थनापत्र ए.डी.जी. जोन व एस.एस.पी. वाराणसी के यहां पड़ी थी। 173(8) CrPC का प्रार्थनापत्र कहां पड़ा उसे जानकारी नहीं है। जिस प्रार्थनापत्र पर उसने जांच की थी वह प्रार्थनापत्र भरत सिंह द्वारा दिया गया था। पूरक रिपोर्ट के जांच में सत्यम प्रकाश राय व पीड़िता का बयान अंकित है जो पत्रावली में मौजूद है। उसे जांच के दौरान ऑडियो क्लिप और एक-दो वीडियो भी मिला था। यह प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न होकर आया था। प्रार्थनापत्र भरत सिंह ने दिया था। जब उसे जांच मिली थी उस समय पत्रावली पर ऑडियो और वीडियो संलग्न थी। एस.एस.पी वाराणसी के माध्यम से उसके कार्यालय को जांच, ऑडियो व वीडियो प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान उसे जो ऑडियो व वीडियो प्राप्त हुआ था उसका उसने श्रवण व अवलोकन किया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली से ऑडियो व वीडियो की जांच रिपोर्ट भरत सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी।

18- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.2 के रूप में परीक्षित साक्षी भरत सिंह द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। इस मुकदमे में जेल में निरूद्ध अतुल राय उसका पुत्र है। उसके पुत्र अतुल राय की राजनैतिक जीवन को बर्बाद करने के लिये सत्यम प्रकाश राय पुत्र चन्द्रबली राय, नि. ग्राम सियाढ़ी, थाना भांवरकोल जिला गाजीपुर और अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय नि. ग्राम शेरपुर, जिला गाजीपुर जो कि आजीवन कारावास की सजा जिला जेल सोनभद्र भुगत रहा है। इन दोनों लोगों ने पीड़िता को मोहरा बनाकर साजिश के तहत रेप का फर्जी मुकदमा उसके पुत्र अतुल राय के विरूद्ध अपराध संख्या 548/2019 अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC का फर्जी मुकदमा थाना लंका में पीड़िता से दर्ज करवाया था। उसके लड़के के विरूद्ध रची गयी साजिश की जानकारी उसे आकाश शर्मा पुत्र सूर्य प्रकाश शर्मा निवासी फरीदपुर थाना रोहनिया वाराणसी द्वारा बताया गया था। यह साजिश लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 के दौरान ही रची गयी थी, इसलिये रची गयी थी कि उसके लड़के को अरेस्ट करा लिया जाये तथा उसका निर्वाचन रद्द करा दिया जाये जिससे उसका राजनैतिक जीवन बर्बाद हो जाये। आकाश शर्मा ने उसे यह बताया था कि उसका मोबाइल नम्बर 6386855351 का उपयोग सत्यम प्रकाश राय जो कि उसके मित्र विवेक राय का मामा लगता है, सत्यम प्रकाश राय आकाश शर्मा के मोबाइल नम्बर 6386855351 का प्रयोग माह फरवरी 2019 से लेकर नवम्बर 2019 तक किया था। सत्यम प्रकाश राय जेल में बंद अंगद राय के मोबाइल नम्बर 7634828514 व 6392335822 के द्वारा जेल से सत्यम प्रकाश के मोबाइल पर उसके लड़के को झूठे मुकदमे में फँसाने के लिये आपस में वार्ता किया तथा अंगद राय ने पीड़िता की मां मिथिलेश राय के मोबाइल नम्बर 6307906128 वह लगातार वार्ता किया। इसी वार्ता के दौरान पीड़िता को तैयार किया कि वह उसके पुत्र के विरूद्ध थाना लंका में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दे। अंगद राय व सत्यम प्रकाश राय तथा पीड़िता की मां मिथिलेश राय के बीच रची गई साजिश का ऑडियो-वीडियो व पेन ड्राइव उसे प्राप्त कराया था। उसने आकाश शर्मा द्वारा दिये गये ऑडियो-वीडियो व पेन ड्राइव चलाकर पूरी साजिश की जानकारी प्राप्त किया। अंगद राय पहले से ही उसके पुत्र अतुल राय से राजनैतिक द्वेष रखता था तथा अंगद राय का साला विजय शंकर भी इस साजिश में शामिल था। वीडियो चलाकर उसने अंगद राय की आवाज को पहचान लिया व सत्यम

WWW.LIVELAW.IN

प्रकाश राय की आवाज को भी पहचान लिया। पीड़िता की मां से जो बात हुयी थी उसको भी सुनकर उसने पहचान लिया। यह सारे ऑडियो-वीडियो को देखन व सुनने के बाद उसने पाया कि उसके पुत्र अतुल राय को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गयी थी। इस बात की पूरी जानकारी होने के बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को दिनांक 05.03.2020 को प्रार्थनापत्र के साथ 12 ऑडियो 02 वीडियो की पेन ड्राइव दिया। उसने 12 ऑडियो 02 वीडियो का सत्यापन प्राइवेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला Sherlock Institute of Forensic Science of India, जो कि अधिकृत संस्था है से FSL रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु 12 ऑडियो 02 वीडियो पहली बार भेजा था। उसे यह रिपोर्ट विधि प्रयोगशाला से जो 12 ऑडियो के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी, उसमें 02 मूल प्रतियां तैयार करके उसके पास भेजी गयी थी। दो मूल प्रतियों में से 01 प्रति उसके पास है और 01 प्रति उसने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भेलूपुर को सौंप दी थी, जिसमे जो 01 मूल प्रति वह आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है तथा उसके पास सील C.D. व पेन ड्राइव वह आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है। जांच आख्या C.O. भेलूपुर द्वारा की गयी, को उसने जन-सूचना अधिकार के तहत प्राप्त किया था, जिसकी प्रति मुकदमे की पत्रावली में प्रदर्श ख-1 दाखिल है। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि आकाश शर्मा ने जो उसे बताया था वही उसे पता चला था। जो ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग उसने दाखिल किया है उसे सत्यम प्रकाश राय ने रिकार्ड किया था और वह रिकार्ड आकाश शर्मा के मोबाइल से किया गया था। जिस मोबाइल से वह रिकार्डिंग की गयी थी, वह मोबाइल उसने न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। सन् 2010 में अंगद राय की पत्नी भांवरकोल ब्लाक से ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी। इनकी पत्नी अपने समर्थकों के साथ उसके पुत्र के पास आयी, उस समय उसका पुत्र पवन कुमार सिंह ग्राम प्रधान था और ब्लाक प्रमुख चुनाव में समर्थन मांगी, क्योंकि उसके पट्टीदार भी ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे तो उन लोगों ने समर्थन देने से इंकार कर दिया। इस बात की रंजिश रखते हैं। आकाश शर्मा के मोबाइल से पेन ड्राइव व सीडी आकाश शर्मा द्वारा ही बनवायी गयी थी। आकाश शर्मा के उस मोबाइल को जिसमें ऑडियो वीडियो क्लिप बना था, जांच हेतु नहीं भेजा था।

19- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.3 के रूप में परीक्षित साक्षी आकाश शर्मा द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> उसके मित्र विवेक राय के सत्यम प्रकाश राय सगे मामा हैं। उसका विवेक राय के घर आना जाना रहता था और वहीं पर सत्यम प्रकाश राय से मुलाकात होती रहती थी। इसलिये सत्यम प्रकाश राय से भी परिचित हूं। उसने त्रिमूर्ति मोबाइल दुकान, झुल्लनपुर थाना लोहता वाराणसी से अपनी I.D. पर विवेक राय के मामा सत्यम प्रकाश राय को 16,000/- रूपये का मोबाइल फाइनेंस कराया था। उसने सत्यम प्रकाश राय को उसी मोबाइल के साथ अपनी ID पर सिम लिया था जिसका नम्बर 6386855351 है। मोबाइल की किस्त सत्यम प्रकाश राय द्वारा अदा न करने की दशा में वह सत्यम प्रकाश राय से अपना मोबाइल वापस मांगा तथा दबाव बनाने पर सत्यम प्रकाश राय ने मोबाइल दिनांक 15.11.2019 को वापस कर दिया। उसने जब उस मोबाइल को देखा तो उस मोबाइल के फाइल मैनेजर में 19 ऑडियो व 2 वीडियो तथा वाट्सअप में दो ऑडियो था। इन ऑडियो को उसने सुना तो इसमें अंगद राय व सत्यम प्रकाश राय की आवाजें थी। इन दोनों की वार्ता में यह था कि अतुल राय को फर्जी केस में फसाने के लिये पीड़िता

WWW.LIVELAW.IN

को ढाल बनाया जा रहा है। अंगद राय, सत्यम प्रकाश राय की आपस में की गयी बात की वीडियो रिकार्डिंग भी दिखायी पड़ी। उसने उसी दौरान मोबाइल का वाट्सअप रिकार्ड देखा। वाट्सअप में अंगद राय का सत्यम को भेजे गये तमाम मैसेज दिखायी पड़े, जिसमें फोटोग्राफ वाला मैसेज भी था। फोटोग्राफ वाले मैसेज के नीचे लिखा था कि उसने लिखित तहरीर लिखी है, उसी में थोड़ा बहुत एडिट करके टाइप कराकर पीड़िता के दस्तखत बनवाकर थाने में दे दीजियेगा। उसे वापस प्राप्त मोबाइल में अंगद राय नाम से वही मोबाइल नम्बर सेव था जिसका नम्बर 6392335822 व 7634828514 है। एक नम्बर पीड़िता मदर के नाम से सेव था जिसका नम्बर 6307906128 था। इन तीनों मोबाइल नम्बरों में सत्यम प्रकाश राय का वार्ता करते हुये सुना व देखा। वह समस्त ऑडियो, वीडियो व तहरीर का प्रिंटआउट भरत सिंह को दे दिया। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि उसकी दुकान का G.S.T रजिस्ट्रेशन नहीं है। व्यापार कर विभाग में उसकी दुकान उसके चाचा के नाम से रजिस्टर्ड है। उसने अपनी दुकान का पंजीकरण प्रमाण-पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। उसने आज तक सिर्फ एक ही मोबाइल फाइनेंस कराया है, इसके अलावा उसने किसी को फाइनेन्स नहीं कराया है। सत्यम प्रकाश राय से उसकी मुलाकात वर्ष 2017 में विवेक के माध्यम से हुयी थी, क्योंकि वो विवेक के मामा थे। उसने जो मोबाइल फाइनेन्स कराया था वो त्रिमूर्ति मोबाइल झुल्लनपुर लोहता वाराणसी से करवाया था। मोबाइल फाइनेन्स के संबंध में उसने कोई प्रपत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। उसने अपने आई.डी. पर जो सिम लिया था उसका नम्बर 6386855351 है। उसने फरवरी 2019 में फाइनेन्स कराकर सत्यम प्रकाश राय को दिया था। सत्यम प्रकाश राय ने उसे आजतक उस फाइनेन्स की सिर्फ एक किस्त 1800 रूपये दिया है। उसने उसकी कोई रसीद नहीं जारी किया है। 15 नवम्बर 2019 को पहली बार रिकार्डिंग सुनने के बाद उसे अतुल राय को केस में फंसाने की साजिश का पता चला था। चूंकि मोबाइल में अंगद राय के नाम से नम्बर सेव था, इसलिये उसे पता चला कि उस आडियो में अंगद राय की आवाज है। उक्त मोबाइल में जो नम्बर अंगद राय के नाम से सेव था, उसने उस नम्बर पर बात करने का प्रयास नहीं किया था। कुल तीन नम्बर सेव थे, जो कि अंगद राय के नाम से दो नम्बर और एक नम्बर पीड़िता मदर के नाम से सेव था। उसने उक्त मोबाइल की कोई काल डिटेल दाखिल नहीं किया है। उक्त मोबाइल में जो ऑडियो, वीडियो थे वह उसके सामने नहीं, बल्कि पहले से ही उक्त मोबाइल में रिकार्डेड थे। उसने उक्त मोबाइल से उक्त ऑडियो, वीडियो जरिये OTG Cable मोबाइल से पेन ड्राइव में किया था। उसने उक्त OTG Cable न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही उक्त मोबाइल ही न्यायालय में दाखिल किया है क्योंकि उक्त मोबाइल SSP वाराणसी ने अपने पास रख लिया था। प्रश्न- प्रदर्श ख-1 जांच आख्या दिनांकित 08.08.20 में C.D. अमरेश सिंह बघेल के द्वारा आपके लिये गये बयान में यह बाते लिखी हैं कि "कि मेरी मोबाइल 20-25 नवंबर के बीच मेरे बच्चे से गिरकर थोड़ी टूट गयी थी। उसके एक सप्ताह बाद सत्यम प्रकाश राय के साथ दो लड़के ओर आये और मेरी मोबाइल देखने के लिये मांगे और मोबाइल को फारमेट कर दिये तथा पटककर तोड़ दिये।" जबकि न्यायालय के समक्ष दिये बयान में यह बताया कि उक्त मोबाइल उसने SSP वाराणसी को दिया था। उक्त प्रश्न पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गयी तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रक दिनांकित 22.10.2021 में यह अंकित किया गया है कि प्रश्न पर की गयी आपत्ति को

WWW.LIVELAW.IN

साक्ष्य के विश्लेषण/बहस/निर्णय के समय निस्तारित किया जायेगा। प्रश्नगत मामले में अंतर्गत धारा 173(8) CrPC के दौरान अंकित बयान के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गयी है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रश्न सुसंगत व ग्राह्य है तथा उसका मोबाइल टूट गया था, लेकिन उसका डिस्पले चल रहा था, और जांच के समय उसने सी.ओ. साहब को मोबाइल दिया था, जो उन्होंने देखने के बाद वापस कर दिया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि जब उसने मोबाइल सी.ओ. अमरेश सिंह बघेल को दिया था तो उन्होंने उसकी Forensic जांच करायी थी या नहीं। मोबाइल में जो नम्बर फीड थे, उन नम्बरों को सी.ओ साहब ने उसके सामने तस्दीक किया था। उसने कम्प्यूटर की मदद से मोबाइल में मौजूद फोटोग्राफ का प्रिंटआउट निकाला था, वह न्यायालय में दाखिल नहीं किया है, सी.ओ. साहब को दिया था। स्वयं कहा कि प्रमाणपत्र 65B सूची के साथ न्यायालय में दिनांक 18.10.2021 को सूची कागज संख्या 194ब/1 लगायत 194 ब/2 दाखिल किया था। उसके उस मोबाइल में 19 ऑडियो और 02 वीडियो के अलावा एक फोटोग्राफ था, और 02 वाट्सअप ऑडियो था।

20- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.4 के रूप में परीक्षित साक्षी अम्बरीश कुमार राय द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वह विगत 04-05 वर्षों से प्रापर्टी डीलिंग करता है। वह अंगद राय को जानता है। उनकी पत्नी सरिता राय 2010 से भांवरकोल ब्लाक से ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ी थी। उसने इनका प्रचार-प्रसार किया था, तब से ही वह इनको जानता है। उनकी पत्नी चुनाव जीती थी। अंगद राय का गांव उसके गांव से तीन किलोमीटर दूर स्थित है, उसका नाम शेरपुर है। अंगद राय को वह जब से जानता है, वह जेल में ही है, राजेन्द्र राय हत्याकाण्ड में आजीवन कारावास की सजा, सोनभद्र जिले की जेल में भुगत रहे हैं। कौस्तुभ राय उसके पड़ोसी हैं, उनके पिता का नाम ओंकारनाथ राय है। अपने मित्र कौस्तुभ राय के सिम नम्बर 6392335822 का वह प्रयोग करता है। इसी बीच विजय शंकर तिवारी ने वही सिम उससे मांगा, उसने विजय शंकर तिवारी को वही सिम दे दिया। विजय शंकर तिवारी, जिसने उससे सिम लिया था, वो अंगद राय का साला है। यही सिम 6392335822 को विजयशंकर तिवारी ने अपने बहनोई अंगद राय को दे दिया था। इसी सिम से उसके मोबाइल पर फोन आया था, जिसका नम्बर 8115939999 है। फोन आया और अंगद राय ने बताया कि वह इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर रहा है और इसकी उसे जरूरत थी, फोन से बातचीत के दौरान ही अंगद राय ने बताया कि तुम्हारे पास विजय तिवारी से पैसे भिजवा रहा हूं, सत्यम राय को कुछ पैसे की जरूरत है और उससे कहा कि आप जाकर यह पैसे सत्यम राय को दे देना। अंगद राय के कहने पर उसने दिनांक 01.05.2019 को रात्रि में 12.30 बजे लंका थाने के पास पहुंचकर सत्यम राय को नगद 5 लाख रूपये दिया, जिसे विजय शंकर तिवारी ने दिया था। पैसा देते समय सत्यम राय के साथ उनके भांजे विवेक राय भी थे। अंगद राय और उससे जो वार्ता होती थी उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे पैसे प्राप्त होते गये वैसे-वैसे भिन्न-भिन्न तिथियों पर सत्यम प्रकाश के UPI a/c no-2988001500011746@PU में अपने a/c no- 45720100003061, बैंक ऑफ बढ़ौदा, कुंडेसर गाजीपुर से ट्रांसफर करता रहा, उसने भिन्न-भिन्न तिथियों पर अपने उपरोक्त a/c no- से अमन राय के कथन अनुसार सत्यम राय के उपरोक्त खाते में कुल 79,000 रूपये ट्रांसफर किया। एक दिन रात्रि के वक्त जब अंगद राय का फोन उसके फोन पर आया तो उसने अंगद राय से पूछा कि आप किन कारणों से सत्यम

राय के खाते में उसके खाते से पैसा ट्रांसफर करा रहे है और नगद दिलवा रहे हैं। इसके जवाब में फोन पर ही अंगद राय ने बताया कि सत्यम प्रकाश राय से मिलकर उसकी दोस्त पीड़िता को तैयार करके, उसने अतुल राय के खिलाफ साजिश के तहत बालात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। अतुल राय ने 2010 में अंगद राय की पत्नी ब्लाक प्रमुख का चुनाव, ब्लाक भावंरकोल से लड़ा था, तब अतुल राय ने अपने गांव के ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी तेज नारायन का समर्थन किया था और उसकी पत्नी को हराना चाहता था। फोन पर अंगद राय ने यह भी बताया कि वर्ष 2015 में बिरजू हत्याकाण्ड में बसपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार बोमड़ी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल बनाकर एस.पी और डी.एम पर दबाव बनाकर अतुल राय ने पुलिस विवेचना में उसका व उसके संबंधियों का नाम डलवाया था और मुल्जिम बनवाकर पैरवी किया था। अंगद राय ने फोन पर यह भी बताया कि अतुल राय को झूठे मुकदमे में फसांना जरूरी था और उसे मुकदमे में सजा होने तक उसे 25 लाख रूपये सत्यम राय व पीड़िता को देना है। फोन पर यह भी बताया कि जो धनराशि 50,000/- से कम की है, उसे बैंक अकाउंट से विवेक राय पुत्र संजय राय के भाई के एकाउंट से दिलवा देता हूं, बल्कि जो 50,000/- से ऊपर की धनराशि होती है, उसे वह सत्यम राय व पीड़िता को नगद दिलवा देता हूं। अंगद राय और सत्यम राय ने पीड़िता को मोहरा बनाकर अतुल राय के विरूद्ध बालात्कार का जो फर्जी केस थाना लंका में दर्ज कराया, उस रची गयी साजिश की जानकारी उसने स्वयं अंगद राय से फोन पर वार्ता करके जाना था और उन्होंने उसे पूरी जानकारी अपना हितैषी समझकर दिया था। अंगद राय के कहने पर उसने उसका चुनाव प्रचार भी किया था तथा सत्यम राय से उसकी फोन पर कई बार बातचीत हुयी थी। साजिश की पहली जानकारी उसे अंगद राय ने फोन द्वारा बता दिया था। दूसरी जानकारी C.O. कार्यालय में ऑडियो रिकार्डिंग को सुनने के बाद हुयी। उसने C.O.साहब के सामने दोनों की आवाज पहचानने की बात बताई तथा दोनों की आवाज तस्दीक भी किया। जब C.O. कार्यालय से बयान देकर घर वापस आया तभी विजय शंकर तिवारी का उसके पास फोन आ गया और उन्होंने कहा कि तुमने C.O. साहब को सही-सही क्यों बता दिया, तथा उसका नाम क्यों बता दिया। विजय शंकर तिवारी ने फोन पर कहा कि तुमने उसे जो सिम दिया था, उसे उसने अंगद राय को दिया था। उसने जवाब दिया कि क्षेत्राधिकारी के सामने झूठ क्यों बोलू कि जिसे सिम दिया था, उस लड़के की दो महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। सही बात बताने के कारण विजय शंकर तिवारी ने उसे फोन पर ही धमकी दिया और उसके बाद लगातार धमकी देता रहा और दबाव बनाता रहा कि वह अपने मोबाइल का डेटा ऑन करके वाट्सअप पर अंगद राय से बात कर लूं। उसने विजय शंकर तिवारी द्वारा फोन पर की गयी वार्ता की रिकार्डिंग तुरंत C.O. महोदय के कार्यालय में भेज दिया था, तथा अपने मोबाइल से स्वयं OTG के माध्यम से उस वीडियो को पेन ड्राइव में करके भरत सिंह को दे दिया था। उसका मोबाइल Redmi कंपनी का है जिसका IMEI NO-865021045604907, 865021045604915 है। उसके बैंक अकाउंट नम्बर 45720100003061 बैंक ऑफ बड़ौदा, कुंडेसर ब्रांच में है। इसी अकाउंट से विभिन्न तिथियों पर तिथियों पर सत्यम प्रकाश राय के खाता संख्या 2988001500011746@PU पर प्राप्त पैसों को वह भेजता रहा, जिन-जिन तारीखों को उसके अकाउंट में चैक आया तथा जिन-जिन तारीखों से उसने अपने अकाउंट से सत्यम राय के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, उसके बैंक एकाउंट स्टेटमेंट में दर्ज है

WWW.LIVELAW.IN

जिसकी प्रमाणित प्रति आज वह न्यायालय में बतौर साक्ष्य दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख-4 डाला गया तथा धारा 65B साक्ष्य अधि० का प्रमाणपत्र दाखिल कर रहा है, जिसमें उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसकी मोबाइल की File Manager से एक ऑडियो बिना किसी छेड़छाड़ के OTG द्वारा Pendrive में लिया गया जिस पर प्रदर्श ख-5 डाला गया, न्यायालय में दाखिल कर रहा है। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि कौस्तुभ राय ने उसे सिम दिया था, इसके अलावा और किसको सिम दिया है, यह उसे नहीं मालूम। कौस्तुभ राय के ही आई.डी. पर उक्त सिम लिया गया था और उसे दिया गया था। उक्त सिम को उसे देने के संबंध में कौस्तुभ राय ने कोई Recieving नहीं लिया था। कौस्तुभ राय ने उसे उक्त सिम वर्ष 2018 के अंत में दिया था। इसके बाद उसने उक्त सिम को उसने 1-2 महीने तक अपने पास रखा। इसके बाद अंगद राय के साले विजय शंकर तिवारी ने सिम मांगा तो उसने उक्त सिम उसे दे दिया। विजय शंकर तिवारी ने उक्त सिम अंगद राय को कब दिया था, इसकी पहली बार जानकारी उसे मई वर्ष 2019 मे हुयी थी, तारीख याद नहीं है। अंगद से उसका पैसों का कोई लेन-देन नहीं था, क्योंकि वह जेल में बंद था। लंका थाने रात्रि 12.30 बजे पहुंचा था तो उसने सत्यम राय को नगद पांच लाख रूपया दिया था। पैसा देते समय सत्यम राय से कोई बातचीत नहीं हुयी थी। UPI से उसने अपने खाते से जो पैसा सत्यम प्रकाश को अंतरण किया था, किस उद्देश्य से किया था इस संबंध में उसने कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया है। अंगद राय उसके खाते में रूपया डलवाते थे और कहते थे कि इसे सत्यम राय को दे दो, यह रूपया किस खाते से उसके खाते में आता था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। बैंक द्वारा उसके खाते की पासबुक जारी की गयी है। उक्त पासबुक न तो वह आज न्यायालय में लाया है और न ही दाखिल किया है। गवाह ने खुद कहा कि स्टेटमेंट दाखिल किया है। साजिश की जानकारी होने के बाद उसके खाते में रूपया आया था। जब उसके खाते में रूपया आया था तब भी उसने S.H.O को नहीं बताया था, जांच के समय बताया था। जब बयान के समय C.O. भेलूपुर के पास गया तो उन्होंने उक्त मोबाइल मांगा नहीं था। उसने उक्त मोबाइल की फोरेंसिक जांच नहीं करायी थी। उक्त मोबाइल की जांच C.O. भेलूपुर ने फोरेंसिक जांच करायी थी या नहीं, उसे नहीं मालूम है विजय शंकर तिवारी ने जब धमकी दिया था तो उसने C.O. भेलूपुर के संज्ञान में ला दिया था, लेकिन एफ.आई.आर नहीं करायी थी। विजय शंकर तिवारी के फोन से वार्ता की ऑडियो रिकार्डिंग उसने OTG में निकाली थी। यह OTG पेन ड्राइव की तरह ही होती है। वह OTG उसने न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। उसे उक्त मोबाइल की IMEI नम्बर याद नहीं है, देखकर बता सकता हूं। सत्यम प्रकाश राय के जिस खाते में उसने रूपया Transfer किया था उसका खाता नम्बर 2988001500011746@PU है। इस खाते में किस-किस तारीख को रूपया अंतरित किया था तिथि याद नहीं है, उसने Statement दाखिल किया है। उसने जो Bank Statement दाखिल किया है उस पर प्रदर्श ख-4 अंकित है।

21- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.5 के रूप में परीक्षित साक्षी कौस्तुभ राय द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि उसके घर के बगल में रहने वाले उसके पड़ोसी मित्र अम्बरीश राय उर्फ बसंत राय को जानता है। उसने अपनी ID से अम्बरीश को एक सिम दिया था, उसका नम्बर 6392335822 है। उससे अम्बरीश राय ने सिम मांगा था, इसलिये उसने दिया था। उसके द्वारा दिये गये इस सिम को

अम्बरीश राय ने विजय शंकर तिवारी को दे दिया था और उसे यह बताया भी था। जुलाई/अगस्त 2020 के बीच C.O. भेलूपुर वाराणसी ने उसे सम्मन देकर जांच के लिये बुलाया था। सी.ओ. साहब ने उसे अपने कार्यालय में यह दिखाया कि उसकी आई.डी. से सिम नम्बर 6392335822 जारी हुआ था। उसने उनके सामने अपनी आई.डी. पहचानकर बताया कि यह उसकी आई.डी. है। सी.ओ. ने ही उसे अपने कार्यालय में यह बताया था कि उसने जो उपरोक्त सिम अपने नाम से जारी कराया था, उसका प्रयोग सजायाफ्ता बंदी अंगद राय कर रहा था। जब उसे जानकारी हुयी कि उसने नाम से जारी सिम सजायाफ्ता बंदी अंगद राय प्रयोग कर रहा था, तो उसने उस सिम को बंद करा दिया था। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि उसने अम्बरीश राय के अलावा अपनी आई.डी. से ओर किसी दूसरे को सिम नहीं दिया है। आज से 6-7 महीने पहले अंबरीश ने बताया था कि उक्त सिम अंगद राय प्रयोग कर रहे थे। जब उसे सी.ओ आफिस से पता चला तो 3-4 दिन उसने अपना उक्त सिम बंद करा दिया। उसने कभी उक्त सिम का काल डिटेल निकलवाकर यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उक्त सिम का प्रयोग किस-किस के द्वारा किया गया है। उक्त सिम के संबंध में उसने न्यायालय में कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया है।

22- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.6 के रूप में परीक्षित साक्षी विवेक राय द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि सत्यम प्रकाश राय उसके नाना इन्द्रबली राय का लड़का है, व रिश्ते में उसके मामा है। घोसी लोकसभा सीट 2019 के चुनाव के लिये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय का नाम 14 जनवरी 2019 को इनके नाम की घोषणा हुई। जैसे ही अतुल राय को घोसी लोकसभा सीट 2019 के लिये प्रत्याशी घोषित किया गया, वैसे ही उसके मामा, सत्यम प्रकाश राय अत्यधिक परेशान हुये और उन्होंने घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीव राय, जिनके उसके मामा सत्यम प्रकाश राय प्रतिनिधि हुआ करते थे, को फोन किये। तब राजीव राय ने यह बताया कि अब घोसी लोकसभा सीट से बसपा-सपा, गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय ही घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगे और वह चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। इतना सुनते ही उसके मामा अत्यधिक परेशान हो गये और शाम को अपने फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुये, यह लिखा कि "दुनिया इधर की उधर हो जायेगी, परंतु अतुल राय चुनाव नहीं लड़ पायेगा। अतुल राय को इशारों में टट्टा नाम से फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग करते थे। इसी तरह आये दिन उसके मामा सत्यम फेसबुक पर पोस्ट करते रहे। उसने अपने मामा सत्यम राय से पूछा कि किसके लिये लिख रहे हो, तब मामा ने बताया कि अतुल राय को किसी भी कीमत पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने देना है, जिससे वहां फिर से राजीव राय चुनाव लड़ सके। जिसके लिये वह मामा का फेसबुक प्रोफाइल चित्र, उनके द्वारा किये गये फेसबुक पोस्ट, फेसबुक प्रोफाइल चित्र अखिलेश यादव व राजीव राय के साथ एवं पीड़िता एवं राजीव राय का चित्र, सत्यम एवं पीड़िता के फेसबुक प्रोफाइल से डाउनलोड करके उसने निकाला था। माह फरवरी 2019 को उसके मामा सत्यम प्रकाश राय ने एक मोबाइल फाइनेन्स कराने के लिये तथा एक सिम दिलाने के लिये उससे कहा। सत्यम राय एक राजनैतिक व्यक्ति है, वह यू.पी.कालेज, वाराणसी के छात्रसंघ का उपाध्यक्ष रह चुका है तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है। मामा के राजनैतिक होने के कारण, यह सोचा कि लोकसभा चुनाव की वजह से मामा को नये मोबाइल व

WWW.LIVELAW.IN

नये सिम की आवश्यकता है, जिसे उन्होंने फाइनेन्स पर दिलाने हेतु उससे कहा। उस समय उसके पास बैंक में खाता नहीं था, व बनारस की आई.डी. नहीं थी तथा उस समय आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिये वह अपने नाम से फाइनेंस नहीं करा पाया। उसने अपने मित्र आकाश शर्मा पुत्र सूर्य प्रकाश शर्मा, निवासी फरीदपुर थाना रोहनिया, वाराणसी से कहकर उन्हीं के नाम पर Oppo की मोबाइल फाइनेन्स कराया तथा आकाश शर्मा ने अपने नाम से ही सिम नम्बर 63868855351 दिया, जिसे उसने अपने मामा सत्यम राय को किस्त पर दिला दिया। लेकिन मोबाइल लेने के बाद उसके मामा किस्त नहीं जमा करते थे। इसलिये आकाश ने अपना मोबाइल मांगा लेकिन उसके मामा सत्यम राय ने मोबाइल वापस नहीं किया, जिसके कारण आकाश शर्मा ने उपरोक्त सिम नम्बर को कस्टमर केयर से बन्द करवा दिया। सिम बन्द होने के बाद भी उसके मामा सत्यम राय, उस मोबाइल को वाई-फाई/हाट-स्पाट से कनेक्ट करके वाट्सएप यूज करते थे। बाद में उसके द्वारा, तथा आकाश शर्मा के बार-बार कहने पर उसके मामा सत्यम राय ने नवम्बर 2019 में मोबाइल को आकाश शर्मा को वापस कर दिया। उसके मामा सत्यम राय ने फाइनेन्स की हुई मोबाइल और उसके मित्र आकाश शर्मा की सिम का प्रयोग फरवरी 2019 से लेकर नवम्बर 2019 तक किया। चार-पांच दिन बाद आकाश शर्मा ने उसे, उसके पास आकर ऑडियो सुनाकर तथा वीडियो फोटोग्राफी दिखाकर यह बताया कि उसके मामा सत्यम राय ने पीड़िता और अंगद राय से मिलकर सांसद अतुल के खिलाफ साजिश करके बलात्कार का फर्जी मुकदमा थाना लंका में दर्ज करवाया। मोबाइल की फाइल मैनेजर, व्हाट्सएप पर मिले ऑडियो-वीडियो एवं फोटोग्राफ को देखने से साजिश की जानकारी हो गई। उसे आकाश शर्मा ने यह भी बताया कि वह यह वीडियो-ऑडियो एवं लिखी हुई तहरीर की फोटोग्राफ, अतुल राय के घर जाकर उनके परिवार वालों को दे देंगे। उसने भी आकाश शर्मा को यही सलाह दी कि यह साजिश वाली बात की सूचना अतुल राय के घर वालों को दे दीजिए। उसे बाद में पता चला कि आकाश शर्मा ने सत्यम प्रकाश राय व पीड़िता तथा अंगद राय ने मिलकर अतुल राय को फर्जी केस में फंसाने की साजिश से संबंधित ऑडियो-वीडियो फोटोग्राफ को उनके पिता भरत सिंह व उनके भाई पवन को दे दिया है उसके मामा के इस खराब कृत्य की जानकारी अपने पिता को दिया तो पिताजी ने उसके मामा सत्यम राय से सवाल-जवाब किया था। मामा सत्यम राय के साथ उन्हीं के कहने पर दिनांक 01.05.2019 को लखनऊ गया था, उन्होंने उससे यह बताया कि पीड़िता दिल्ली से आ रही है, उसका कुछ काम लखनऊ में है, इसलिए लखनऊ चलना है। उस दिन लखनऊ पहुंचकर उसके मामा ने चारबाग लखनऊ स्टेशन पर पीड़िता को रिसीव किया। उसके मामा सत्यम ने पीड़िता से उसका परिचय करवाया और कहा कि यह उसकी मित्र है। मामा, पीड़िता और उसे बैठाकर गाड़ी/टैक्सी में, बगल के ही साइबर कैफे में ले गये और मामा ने वाट्सएप पर अंगद राय द्वारा भेजी गयी तहरीर की फोटो को पढ़-पढ़कर, थोड़ा बदलवाकर करके, बोल-बोलकर टाइप कराया और उसकी पांच प्रतियां निकलवाई। उस समय पीड़िता गाड़ी में ही बैठी रही। टाइप कराने के बाद जब वह उसके मामा सत्यम प्रकाश राय और पीड़िता टैक्सी गाड़ी पर बैठे, तब गाड़ी में ही टाइप करायी गयी तहरीर को पीड़िता को देते हुये कहा कि इसे याद कर लो। वह, उसके मामा व पीड़िता पुलिस महानिदेशक लखनऊ एवं प्रमुख सचिव गृह से मिले, इस दौरान वह बाहर बैठा था। सत्यम मामा ने आकर उसे बताया कि एफ.आई.आर वाराणसी में लिख ली गयी है, यह बाते उसे

मामा ने, उसके पूछने पर बताया कि अधिकारियों ने यह बताया कि मुकदमे की रपट दर्ज की जा चुकी है और आप लोग लंका थाना, वाराणसी के एस.एच.ओ से जाकर मिल लीजिए। लखनऊ से वे लोग 10-11 बजे रात के आस-पास बनारस पहुंचे। अंगद राय द्वारा सत्यम मामा से कहा गया कि आप थाने के बगल में होटल में चले जाओ। विजय शंकर तिवारी द्वारा वहां पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी गयी है। एक-आध घण्टे के बाद उसी होटल के बाहर अम्बरीश राय उर्फ बसन्त राय, उसके मामा सत्यम से मिलने पहुंचे और वहां उन्होंने उसके सामने रूपयों से भरा एक छोटा बैग, उसके मामा सत्यम राय को दिया। वहीं पर उसके मामा ने उसका परिचय अम्बरीश राय उर्फ बसंत राय से करवाया। अगले दिन दिनांक 02.05.2019 को लंका थाना, वाराणसी वे लोग गये और एफ.आई.आर की कापी प्राप्त किये। थाने पर दरोगा जी ने पीड़िता से कहा कि आपका धारा 164 का बयान, मेडिकल परीक्षण होगा तथा घटना स्थल का निरीक्षण कराना होगा। घटनास्थल के निरीक्षण की बात सुनकर पीड़िता व सत्यम राय परेशान हो गये और गाड़ी में बैठकर अंगद राय से फोन पर बात करने लगे। इसके बाद चार बजे के आस-पास सत्यम राय, पीड़िता अमरेशिया रेस्टोरेंट, चितयी पुर गये जहां अंगद राय के रिश्तेदार विजय शंकर तिवारी मिले और उन्होंने ही अमरेशिया रेस्टोरेंट से लेकर सूर्या गुरूग्राम सोसायटी तक का रास्ता दिखाया तथा इशारों में सोसायटी में पड़ने वाले अतुल राय के फ्लैट को दिखाते हुये कहा कि दरोगा जी के पूछने पर इसी रास्ते से जाकर, अतुल राय के फ्लैट को दिखला देना। सायं 8.00 बजे के लगभग जब दरोगा जी ने घटनास्थल पहचान करने के लिये पीड़िता से कहा, तब पीड़िता ने दूसरे के फ्लैट को अतुल राय का फ्लैट बताया, बाद में फिर वापस आकर अपार्टमेंट में दरोगा जी के साथ अन्दर गयी। उसने और सत्यम मामा ने फ्लैट के अन्दर जाने का प्रयास किया तो सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के गार्ड ने उन लोगों को रोक लिया और कहा कि रजिस्टर की इण्ट्री करके ही आप-लोग अंदर जा सकते है, तब सत्यम मामा ने रजिस्टर में इंट्री करने से मना कर दिया और वे लोग सोसायटी के बाहर ही रहे। जरूरत पड़ने पर सत्यम मामा उससे पैसा लेते थे और यह पैसा अंगद राय से बात कराकर लेते थे। उसने अपने भाई के अकाउंट से सत्यम मामा के अकाउंट से कुल 47,000/- रूपये कई बार में ट्रांसफर किया था जिसे विजय शंकर तिवारी द्वारा नगद उसे बाद में चुक्ता किया गया। अगस्त 2019 में वह अपने मामा सत्यम के साथ, अंगद राय से सोनभद्र जेल में मिलने गया था। इसी साजिश के संबंध में क्षेत्राधिकारी भेलूपुर ने उसे समन भेजकर बुलवाया था। उन्होंने ऑडियो रिकार्डिंग भी उसे सुनवायी थी। ऑडियो रिकार्डिंग सुनते ही वह अपने मामा सत्यम राय व अंगद राय की आवाज को पहचान लिया। उसका बयान क्षेत्राधिकारी भेलूपुर ने लिया था। उसने सी.ओ. कार्यालय में रिकार्डिंग सुनने के बाद यह पाया कि उसके मामा सत्यम ने उसके संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुये, उसके घर पर रहकर, उसके मित्र आकाश शर्मा के नाम मोबाइल व सिम लेकर, अंगद राय से पैसे लेकर, पीड़िता को ढाल बनाकर अतुल राय के विरूद्ध झूठा बालात्कार का मुकदमा रची हुयी साजिश के तहत दर्ज कराया। इस साजिश में उसके मामा सत्यम राय व अंगद राय की मुख्य भूमिका रही। उसके भाई विकास राय का खाता, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वसई (ईस्ट) पालघर शाखा में है जिसका खाता संख्या 20344954593 है। उसके मामा सत्यम राय का U.P.I. ID है- UPI/DR/913716765835/4897678162092, इसी सत्यम के खाते में उसके भाई के खाते से पैसे का ट्रांसफर किया जाता था।

WWW.LIVELAW.IN

स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट की छायाप्रति जरिये फेहरिस्त न्यायालय में दाखिल की जा रही है तथा सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपने फेसबुक पर जो अनाप-शनाप बातें अतुल राय को कहीं थी, उसका फेसबुक प्रोफाइल चित्र, उनके द्वारा किये गये फेसबुक पोस्ट, फेसबुक प्रोफाइल चित्र, अखिलेख यादव व राजीव राय के साथ चित्र, पीड़िता एवं राजीव राय का चित्र, सत्यम एवं पीड़िता के फेसबुक प्रोफाइल से, तथा अंगद राय द्वारा जरिये मोबाइल भेजी गयी तहरीर की स्क्रिप्ट की प्रति को जरिये फेहरिस्त साक्ष्य हेतु न्यायालय में आज दाखिल की जा रही है। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सत्यम प्रकाश रायकी कभी अतुल रायसे मुलाकात हुयी या नहीं। वह सत्यम प्रकाश राय के फेसबुक अकाउंट में पहले Add था पर अब नहीं। सत्यम प्रकाश राय द्वारा दो सिम प्रयोग करने के बारे में जानकारी है। वो दोनों मोबाइल नम्बर बता सकता हूं- (1) 6386855351 (2) 9415490022 है। इनमें से मोबाइल नम्बर 6386855351 सत्यम प्रकाश राय फरवरी 2019 से प्रयोग कर रहे थे और यह सिम आकाश शर्मा से लिया था। एक मोबाइल फरवरी 2019 से सत्यम प्रकाश राय प्रयोग कर रहे थे, जो कि आकाश शर्मा ने फाइनेंस किया था। जो मोबाइल फाइनेंस कराया गया था, उसकी कोई लिखा-पढ़ी में वह गवाह नहीं था और न ही कोई लिखा-पढ़ी हुयी थी। आकाश शर्मा ने उसे उक्त ऑडियो-वीडियो नवम्बर 2019 में दिखाया व सुनाया था। वह स्कार्पियो से लखनऊ गया था। यह स्कार्पियो अंगद राय ने ही भेजा था। वह 1 मई 2019 को भोर में लखनऊ गया था। गाड़ी पंकज राय चला रहा था। उक्त स्कार्पियो का नम्बर याद नहीं है। सत्यम प्रकाश ने वाट्सएप पर भेजी गयी तहरीर को मोबाइल में उसे नहीं दिखाया था। मैसेज प्रिन्ट बोलकर निकलवाया था, उसे दिखलाया था। प्रमुख सचिव गृह से पीड़िता व सत्यम राय जब मिलने गये थे तब उसे इसलिये लिवाकर नहीं ले गये थे क्योंकि उसका पास नहीं बना था और वह गाड़ी में बैठा था। अन्दर जो बातचीत हुयी थी, वह मामा ने बाहर आकर बताया और यह बताया कि गृह सचिव ने बोला कि आप लोगों की एफ.आई.आर लिख चुकी है। आप लोग एस.ओ से जाकर मिल लीजिए।

23- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.7 के रूप में परीक्षित साक्षी अमृतेश कुमार सिंह द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि सत्यम प्रकाश राय 2014 में यू.पी. कालेज में उपाध्यक्ष चुने गये। दिनांक 23.04.2015 को पीड़िता ने उसके खिलाफ थाना शिवपुर वाराणसी में अ.सं. 98/15 धारा 354B, 506 IPC का दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराये जाने के पहले उसने कभी पीड़िता को नहीं देखा था। जब कालेज में पीड़िता मिली तो उसके पूछने पर कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा क्यों लिखवाया। यह पूछने पर उन्होंने कहा कि जाकर सत्यम प्रकाश राय से बात कर लीजिए। सत्यम प्रकाश ने पैसे की मांग की। उससे 5 लाख रूपये मांगा था। सत्यम प्रकाश राय ने कहा कि पैसे दे दो नहीं तो पाक्सो में जेल जाओगे। उसने 3,25,000/- रूपये सत्यम को दिया। पैसा देने के बाद सत्यम से मिलने पर उन्होंने कहा कि आपका नाम मुकदमा से निकल जायेगा। उसने कोर्ट में बता दिया तो उसका नाम बयान में नहीं था। पीड़िता के बयान में उसका नाम नहीं था। पैसा देने पर उसका नाम निकाला गया। अ०सं० 98/2015 धारा 354बी., 506 भा.दं.सं. थाना शिवपुर वाराणसी के मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. की प्रमाणित प्रति दाखिल कर रहा है था हाईस्कूल परीक्षा

WWW.LIVELAW.IN

2011 के प्रमाणपत्र मार्कशीट की छायाप्रति दाखिल कर रहा है। सत्यम प्रकाश ने राजनीति में छवि धूमिल करने के लिये झूठा मुकदमा दर्ज कराया, यह उसके पूछने पर सत्यम ने बताया। इसलिये पैसा लेकर उसका नाम मुकदमा से बाहर किया। उसने 2015 में जिला पंचायत का सदस्य लड़ा था। झूठे आरोप की सूचना अखबारों में छपी थी। वह चुनाव हार गया था। इस समय उसकी पत्नी जिला पचांयत की सदस्य है। सी.ओ. अमरेश कुमार सिंह ने अतुल राय के विरूद्ध बालात्कार के मुकदमे की जांच के दौरान उसे कार्यालय में बुलाया था, उन्होंने उसका बयान लिया था। जो बातें क्षेत्राधिकारी भेलूपुर को जांच के दौरान बतायी थी, वहीं बातें आज न्यायालय में बता रहा है। उसका बयान एस.पी.सिटी ने भी लिया था अंतिम जांच के समय। सूची 22 ख से प्रस्तुत बयान 164 दं.प्र.सं. की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श ख-6 एवं प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श ख-7 डाला गया। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि सत्यम प्रकाश राय व उसके गांव के बीच की दूरी कितनी है नहीं बता सकता। उसे यह याद नहीं है कि पीड़िता से किस तारीख को मुलाकात हुयी थी नहीं याद है। उसकी मुलाकात कॉलेज कैम्पस में हुयी थी। पीड़िता से जब उसकी मुलाकात हुयी थी तब वह छात्रसंघ का पूर्व अध्यक्ष था। सत्यम राय से उसकी मुलाकात पहली बार हुयी थी, कहां हुयी थी नहीं याद है। वह सत्यम को चुनाव लड़ने के समय से पहली बार जाना। 23.04.2015 को उसके विरूद्ध अ०सं० 98/15 दर्ज कराया गया। इस मुकदमे के विवेचक संतोष थे। अ०सं० 98/15 के विवेचक ने उसका बयान कभी नहीं लिया था। 24/25.04.2015 को अखबार में मुकदमा दर्ज होने की बात निकली। पेपर में निकलने पर पहली बार उसे जानकारी हुयी कि उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। पेपर में निकलने के अगले दिन वह पीड़िता से कालेज में मिला था। उसने पीड़िता से जब कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया तब उन्होंने कहा कि तुम सत्यम से बात कर लो। पीड़िता ने उससे पैसे की कोई मांग नहीं की थी। पीड़िता से मिलने के दो दिन बाद उसकी सत्यम से कालेज में मुलाकात हुयी। जब उसने सत्यम से कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों कराया तब उसने 5 लाख की मांग की। उसने सत्यम से कहा कि वह नहीं कमाता है और उसने 3,25,000 रूपये दे दिये। उसे ब्लैकमेल करके सत्यम द्वारा पैसा लिया गया। उसने कोई लिखित या मौखिक शिकायत ब्लैकमेलिंग के संबंध में किसी भी अधिकारी से 2015 में नहीं की थी। सत्यम द्वारा पैसा मांगने के तीसरे दिन उसने पैसा दिया था। उसने पैसा बैंक से नहीं निकाला था। उसने पैसा नगद दिया था। कुछ पैसा घर से लिया था, कुछ दोस्तों, रिश्तेदारों से लेकर दिया था। उसके भाई ने नगद पैसा लाकर दिया था, वह नहीं जानता कि किससे कितने पैसा उन्होंने लिया था। पैसा देने की कोई लिखित पावती नहीं लिया था। उसने पैसा देने की कोई मोबाइल या कैमरा से वीडियोग्राफी नहीं करायी थी।

24- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.8 के रूप में परीक्षित साक्षी विनोद कुमार बागड़ी द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि वह बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था। वह बिरजू राय को जानता है जो सेक्टर अध्यक्ष थे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। विरजू राय की हत्या 28.05.2015 को थाना भांवरकोल में हुयी थी। 4 या 5.06.2015 को वह उनके घर शोक संवेदना के लिये गया था। जब वह वहां 6-7 बजे शाम पहुंचा तो वहां पूर्व से ही अतुल राय वहां मौजूद थे जो जमनिया विधानसभा जमनिया विधानसभा के प्रत्याशी थे। अतुल राय ने उनलोगों से कहा कि घटना का खुलासा और अपराधी की पकड़ नहीं हो रहा है इसके लिये

WWW.LIVELAW.IN

प्रतिनिधि मंडल बनाकर अपने नेतृत्व में S.P. तथा D.M. से मुलाकात करे जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके। अपराधी अंगद राय के इस हत्या के केस में संलिप्तता के बाबत जांच करने के लिये निवेदन करने के लिये भी कहा। वे लोग दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडल लेकर मिलने गये। वे लोग 8-10 की संख्या में थे। इसका नेतृत्व उन्होंने किया था। वे लोग S.P. तथा D.M. से उनके कार्यालय में 11-12 बजे दिन में मिले। उन लोगों ने मिलकर प्रत्यावेदन दिया। इसके बाद वे लोग घर वापस आए। घर में वापस आने के बाद उससे मिलने हरि नारायण यादव 8-9 बजे शाम को उसके आवास पर आए। इनके साथ अमरीश कुमार राय उर्फ बसंत राय भी आए। हरि नारायण यादव ने अपना मोबाइल देकर उससे कहा कि अंगद से बात कर लो। उसने कहा कि ऐसे लोगों से बात मत कराइए। अंगद जेल में थे। उसने बात नहीं की। बाद में उसने फोन पर उसी समय अंगद से स्पीकर पर बात की। अंगद राय की पत्नी सरीता उसके ब्लाक से ब्लाक प्रमुख रही है इसलिये उन्हें पहले से जानता हूं। अंगद राय से फोन पर उसने कहा कि उसने अतुल राय से बसपा के नेतागण के कहने पर प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। तब अंगद राय ने कहा कि आप लोग उसे फसाने की मंशा से मिले थे। अंगद राय ने कहा कि अतुल राय के कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं। कप्तान साहब ने जब घटना का खुलासा किया तब अंगद राय व तीन चार नामों को प्रकाश में लाया गया जो उस समय अखबार में भी निकला। अशीष राय जो अतुल राय का भतीजा है का भी नाम आया था। जो आरोप पत्र विरजू राय हत्याकांड में दाखिल किया गया उसकी सत्यापित प्रति लाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां भी लाया है जिसे उसे विशेष न्यायालय न्यायालय एम.पी./एम.एल.ए कोर्ट में दाखिल कर रहा है जिसे सूची 23ख/1 से 23ख/2, 23ख/3, 23ख/4, 23ख/5 व 23ख/6 के रूप में पत्रावली पर शामिल किया गया। इस घटना के बाद से अतुल राय से अंगद राय दुश्मनी रखने लगे। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि जिस समय विरजू राय की हत्या हुयी वह उस दिन उस समय मोहमदा बाद में था। अंगद राय से बातचीत हुयी थी जब से वह उन्हें जानता है। हरि नारायण के कहने पर बात की थी। उनकी आवाज नहीं पहचानता था। अंगद राय ने उससे जो कहा वह धमकी के रूप में था। विरजू राय की हत्या की एफ.आई.आर अज्ञात में दर्ज की गयी थी। विरजू राय के घरवालों ने अंगद राय का नाम नहीं लिया गया था।

25- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.9 के रूप में परीक्षित साक्षी संदीप सिंह द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में वह समाजवादी पार्टी छात्र सभा का राष्ट्रीय महासचिव है। सन् 2015 में वह समाजवादी पार्टी में छात्र सभा का प्रदेश सचिव था। उसके पार्टी का पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में स्थित है। जिस पार्टी कार्यालय से सभी विंग के समाजवादी पार्टी के लोग बैठते हैं। 2015 में चूंकि वह समाजवादी पार्टी छात्र सभा से जुड़ा हुआ था उसकी नैतिक जिम्मेदारी पार्टी द्वारा यह दी गयी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व विद्यालयों/महा विद्यालय में छात्र संघ के होने वाले प्रत्याशियों का चयन करना और समाजवादी पार्टी की ओर से छात्र संघ चुनाव करवाना व चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव करवाने की नैतिक जिम्मेदारी थी। जिस समय वह पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ था बैठकर वहां पर अन्य लोगों से वार्ता कर कर रहा था कि उसी दौरान पार्टी कार्यालय में सत्यम प्रकाश राय और पीड़िता नाम के लड़के लड़की

आये थे। सत्यम प्रकाश राय ने जो उनके साथ लड़की आयी थी उनका परिचय पीड़िता के रूप में करवाया था। सत्यम प्रकाश राय ने कहा कि पीड़िता यू.पी. कालेज से महामंत्री पद का चुनाव लड़ना चाहती हैं इनको आप अपने पैनल से चुनाव लड़वाइये। इस पर उसने यह कहा कि यू.पी. कालेज में हमारा पैनल (समाजवादी छात्र सभा) चुनाव नहीं लड़ता है। इस पर वो मान नहीं रहे थे लगातार वो अपने साथ आये महिला को अपनी छात्रसभा का अधिकृत प्रत्याशी बनाने के लिये कह रहे थे। उसने उनको मना कर दिया। संभवतः यू.पी. कालेज का चुनाव अक्टूबर 2015 में हुआ था। चुनाव के तुरंत बाद ही उसे फोन आया उसे मो. नं० 9235661410 पर 9506292088 से काल आया था उसने काल करने वाले ने बातया कि वह पीड़िता बोल रही है। फोन करने पर पीड़िता उससे पालीटिकल बातें नहीं कर रही थी बल्कि उससे कह रही थी आप उसे बहुत अच्छे लगे जब वह आपसे मिली थी और कह रही थी कि आपसे मिलना चाहते हैं आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उसने उनको मना कर दिया कि दोबारा इस तरह की बातें करने के लिये फोन नहीं करीयेगा। इसके बाद उनका फोन आना बंद नहीं हुआ बल्कि लगातार फोन आता रहा। कभी-कभार वह उनके नंबर को रिसीव कर लिया था बाद में उनके नम्बर को उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था क्योंकि उनका नंबर उसके पास सेव नहीं था। जब इनका फोन आना बंद नहीं हुआ बाद में उन्होंने बदल-बदल के कई नये नम्बरों से फोन किया। फिर उसके बाद इनके टेक्स्ट मैसेजेस उसे फिर आने लगे। टेक्स्ट मैसेजेस मो नं 9506292088 से सबसे ज्यादा टेक्स्ट मैसेज आया है। ओर नम्बर से भी उसे मैसेज आते थे वो सब उसे याद नहीं है। जो टेकेस्ट मैसेजेस आये थे उन मैसेजों का प्रिंटआउट आज वह न्यायालय में लेकर आया है। वह न्यायालय में वो मोबाइल भी आज ले आया है उसके जिस मोबाइल पर पीड़िता द्वारा टेक्स्ट मैसेजस भेजे गये थे वो मूल रूप से आज भी उसके मोबाइल में मौजूद हैं। वह मोबाइल को, सैमसंग का मोबाइल कीपैड वाला जिसमें पीड़िता के सारे मैसेजस मूल रूप से मौजूद हैं आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर वस्तु प्रदर्श ख-8 डाला गया। जो मैसेजस उसे भेजे गये थे उन सभी मैसेजस का उसने प्रिंटआउट सत्यभानू आर्य के प्रभात प्रेस के नाम से प्रेस है के यहां से प्रिंटआउट निकलवाया वो प्रिंटआउट उसने अपने दूसरे फोन से फोटो खींचकर निकलवाया है। चूंकि उसके सैमसंग के की पैड मोबाइल में स्क्रीनशाट का आप्शन नहीं है। जो उसने प्रिंटआउट प्रभात प्रेस से निकलवाया था उसके भुगतान की रसीद 65 बी के प्रमाणपत्र के साथ आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है। पीड़िता द्वारा भेजे गये सभी मैसेजों का प्रिंटआउट सबूत फार्म पर चढ़ाकर 48 पृष्ठों में आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख-9 लगायत 67 डाला गया। कुछ दिनों बाद समाचार पत्रों के माध्यम से उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि पीड़िता और सत्यम राय ने पूर्व में भी यू.पी. कालेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अमितेश सिंह सब्बल पर भी उन्होंने यौन उत्पीड़न का या ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था। बाद में उसे यह भी सुनने में आया कि अमितेश सिंह सब्बल से पीड़िता व सत्यम राय ने पैसा लेकर समझौता कर लिया था। उसे जून 2016 में शिवपुर थाने से फोन आया था और फोन करने वाले ने बताया कि वह शिवपुर थाने से बोल रहा है आप संदीप सिंह बोल रहे हैं उसके यह कहने पर कि वह संदीप सिंह बोल रहा हूं तो फोन करने वाले ने कहा कि वह शिवपुर थाने से बोल रहा है पीड़िता ने आपके खिलाफ यौन उत्पीड़न का प्रार्थनापत्र दिया है शिवपुर थाने पर आकर मिलये। इस पर उसने पीड़िता के नंबर

WWW.LIVELAW.IN

पर फोन किया और उनसे कहा कि आपने उसके खिलाफ शिवपुर थाने में झूठी तहरीर क्यों दी हैं इस पर पीड़िता ने फोन पर वार्ता करने से मना करते हुये हुआ कि सत्यम प्रकाश राय आपसे मिलेंगे। इस पर दूसरे दिन सुबह 10 बजे दिन में सत्यम प्रकाश राय उसके घर पर आकर उससे मिले। सत्यम प्रकाश राय उसके घर पर आकर उससे कहे कि उसे दस लाख रूपये आपसे चहिये अगर आप दस लाख रूपये नहीं देते हैं तो आज उसके खिलाफ शिवपुर थाने में मुकदमा हो जायेगा। उसका राजनैतिक कैरियर जो आप इतना उछल रहे हैं बरबाद कर देंगे। इस पर उसने सत्यम प्रकाश राय को पीड़िता द्वारा उसे भेजे गये सम्पूर्ण मैसेजस को दिखाया गया और ये कहा गया कि उसके पास इतना प्रमाण है कि तुम्हारे और पीड़िता के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर तुम लोगों को ठीक कर देंगे। मैसेज देखने के बाद सत्यम प्रकाश राय गिड़गिड़ाने लगा और ये कहा कि वे लोग ऐसे ही कर रहे थे उन्हें माफ कर दीजिये गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसने मन बनाया कि इन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर कराना चाहिये और वह एफ.आई.आर कराने का मन बनाने लगा। फिर दूसरे दिन उसे शिवपुर थाने से फोन आया और शिवपुर थाने द्वारा यह कहा गया कि अब आपको शिवपुर थाने में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीड़िता द्वारा आपके खिलाफ यौन उत्पीड़न का प्रार्थनापत्र वापस ले लिया गया है। इस थाने की सूचना के बाद उसने यह सोचा कि वह राजनैतिक व्यक्ति है जब पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र अपना वापस ले लिया गया था इसलिये उसने एफ.आई.आर नहीं लिखवायी। लेकिन वह इस घटना के बाद से सचेत हो गया था और उसके द्वारा पीड़िता द्वारा उसके जिन मोबाइल पर मैसेजेस भेजे गये थे उनको वह तब से सुरक्षित रख लिया था जिसको उसने आज न्यायालय में मोबाइल सहित दाखिल कर दिया। चूंकि वह दो फोन शुरू से यूज करता है जो दूसरा फोन है एड्रायंड है जिसका मो नं०- 9236833333 कुछ मैसेज उस पर भी आये थे जिसको उसने अपने प्रिंटर से निकालकर सुरक्षित रख लिया था जिन मैसेजसों का प्रिंटआउट को भी आज वह न्यायालय में दाखिल कर दिया है जिसका भी 65 बी आज वह न्यायालय में दाखिल कर रहा है। जो उसका एंड्रायड फोन था जो चोरी हो गया था उसका भी उसने एफ.आई.आर कराया था जिसकी एफ.आई.आर की कापी भी वह न्यायालय में दाखिल कर रहा है। पीड़िता का पुनः उसे फोन 11 जनवरी 2019 को मो नं०- 9236833333 पर 9026943743 से उसे फोन आया था फोन के साथ साथ टेकेस्ट मैसेज व वाट्सअप मैसेज भी आया था। जिसका प्रिंटआउट भी उसने प्रिंटर से निकवाया था जिसकी छायाप्रति भी आज उसने न्यायालय में दाखिल कर दिया है। पीड़िता उसे फोन करके गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि वह और सत्यम राय जो गैंग बनाकर हनी ट्रैपिंग का काम करते हैं और लोगों से रूपया वसूलते हैं सत्यम राय को इस बात का शक हो गया है कि जिन लोगों के साथ वे लोग ऐसा करते हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ पीड़िता का अवैध संबंध है जिसके कारण वो उसे गैंग से बाहर करना चाहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि वह सत्यम राय का नम्बर वाट्सअप कर रही है जिनका नम्बर उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किये गये मैसेजेस में सत्यम राय का नम्बर अंकित है। पीड़िता ने उससे कहा कि सत्यम राय को जो टेकस्ट मैसेज किया गया है उसको फोन करके समझा दिये कि उसका और आपका कोई अवैध संबंध नहीं रहा है उसने आपको मैसेज करके परेशान ही किया है यह उन्हें बता दीजिये क्योंकि सत्यम राय को यह शक हो गया है कि उसके और उनके द्वारा मिलकर जिन लोगों के साथ हनी ट्रैपिंग का खेल खेला जाता है उनमें से कुछ लोगों

WWW.LIVELAW.IN

के साथ नाजायज संबंध है उनमें से वह भी एक है जिस शंका के कारण सत्यम राय उसे अपनी गैंग से निकालने की धमकी दे रहे हैं उसका चूंकि पूरा परिवार और वह सत्यम राय पर आश्रित है अगर वो उसे निकाल देगा तो वह भूखे मर जायेगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि एक बार उसकी मदद कर दो कुछ बड़ा काम होने वाला है इसके बाद वह कभी आपको तंग नहीं करेगी। उसने पीड़िता के इस फोन और चैटिंग पर और मैसेज पर उसने सत्यम राय को कोई फोन नहीं किया। साथ ही उसे यह भी कहा कि वह कितनी बड़ी साइको है किस तरीके से उसने आपको परेशान किया यह भी उनको बता दीजिये। उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन बचे हैं उसकी मदद कर दीजिये। जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि इस मुकदमे के अभियुक्त अतुल राय जो कि घोषी के नेता है और घोषी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़े थे उसकी पार्टी का जिस दल से वो चुनाव लड़ रहे थे उस दल से गठबंधन भी था चूंकि वह प्रदेश स्तर का नेता भी वह प्रदेश का दौरा भी करता है। जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि अतुल राय के ऊपर पीड़िता द्वारा फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है तो इस जानकारी पर चूंकि अतुल राय की छवि अच्छी थी अतुल राय एक सामाजिक व्यक्ति थे तो उसने भी अपना सामाजिक दायित्व समझा और फिर वह जाकर अतुल राय के पिता भरत राय से जाकर मिला। वह अतुल राय के पिता से मिलकर अपने साथ 2015 और 2016 में जो पीड़िता द्वारा घटना कारित की गयी थी और जो मैसेजस भेजे गये थे उसकी सम्पूर्ण जानकारी उसने अतुल राय जी के पिता को दिया और साथ ही यह भी बताया कि जब जरूरत होगी वह मदद करेगा और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुयी थी। यह सही है कि न्यायालय द्वारा सम्मन प्राप्त होने पर जो भी पीड़िता द्वारा उसे मैसेजस भेजे गये थे वो सम्पूर्ण मैसेजस मय मोबाइल जिसमें मेसेजस भेजे गये थे कुछ उसके एंड्रायड द्वारा स्क्रीनशाट द्वारा प्रिंटआउट निकाले गये मैसेजस आज उसने न्यायालय में दाखिल किया गया है। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि वह 2005 में एम.कॉम. फर्स्ट इयर का छात्र था। वह जब 2005 एम.काम फर्स्ट इयर में था तब उसकी राजनीतिक कैरियर की शुरूआत हुई। वह अक्टूबर 2005 में समाजवादी छात्र सभा का महानगर महासचिव नियुक्त हुआ था। वह 2015 में छात्र सभा का प्रदेश सचिव था। वर्तमान समय में वह समाजवादी छात्रसभा का राष्ट्रीय महासचिव है। उसके संगठन की ही जिम्मेदारी छात्र संघों के संबंध में ही होती है। उसे समाजवादी पार्टी से छात्रसभा का चुनाव कराने की लिखित जिम्मेदारी मिलती है। आज उसके पास समाजवादी पार्टी से छात्रसभा का चुनाव कराने की लिखित पत्र उपलब्ध नहीं है जरूरत पड़ने पर वह उपलब्ध करा सकता है। 2015 के पहले उसकी पीड़िता व सत्यम प्रकाश राय से मुलाकात नहीं हुयी थी। पीड़िता से उसकी मुलाकात एक बार जब सत्यम प्रकाश पीड़िता को लेकर आये थे तब हुयी थी। सत्यम राय से उसकी दो बार मुलाकात हुयी है एक बार पार्टी कार्यालय में और एक बार जब वो उसके घर आये थे। पीड़िता से उसकी मोबाइल पर कितनी बार बात हुयी है उसे याद नहीं है क्योंकि वो नम्बर बदल बदल कर फोन करती थी वह डाटकर फोन काट देता था। जब उसे पता चलता था कि फोन पीड़िता का है तो वह अक्सर फोन काट देता था। पीड़िता फोन नंबर बदल बदल कर काल करती थी उसने बाद में फोन नम्बर की डिटेल्स निकलवायी थी। उसने लगभग तीन चार नम्बरों का नाम पता डिटेल्स निकलवाया था। ये चारों नम्बर में से जहां तक उसे याद है एक नम्बर किसी और का था और बाकी नम्बर पीड़िता के नाम

WWW.LIVELAW.IN

के थे। उसने अश्लील बातों के संबंध में कोई भी शिकायत किसी भी थाने में नहीं की थी कि पीड़िता द्वारा उसे अश्लील बातें उसके मोबाइल पर भेजी जा रही हैं। पीड़िता ने उसे अश्लील व सामान्य मैसेज किये हैं। ये मैसेज 2015 से लगभग मई 2016 तक उसके बाद जनवरी 2019 में फिर से मैसेज व वाट्सअप पर मैसेज आया था। मई 2016 से जनवरी 2019 के बीच में पीड़िता का कोई मैसेज नहीं आया। उसके मोबाइल पर कितना मैसेज आया उसे याद नहीं है लगभग 150 के आसपास होंगे। जो भी मैसेज उसने उसको पढ़ा। उसने पीड़िता द्वारा भेजे गये मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया कभी कभार उसने पीड़िता को समझाने व मना करने हेतु कुछ मैसेज किया। उसने पीड़िता को मैसेज के जवाब में कितना मैसेज किया उसे याद नहीं है। जो उसने न्यायालय में दिनांक 17.01.2022 को मैसेज की फोटोप्रति दाखिल किया है उसमें उसके द्वारा दिये गये मैसेज नहीं है। उससे जब सत्यम प्रकाश राय द्वारा दस लाख रुपये की मांग की गयी थी तो उसने शिकायत नहीं की थी क्योंकि पीड़िता द्वारा दी गयी फर्जी तहरीर शिवपुर थाने से वापस ले ली गयी थी। उसने जनवरी 2019 का मैसेज व वाट्सअप का मैसेज अपने प्रिंटर से निकालकर दाखिल किया है। पीड़िता द्वारा अन्य किसी व्यक्ति पर 376 का कोई मुकदमा किया गया है की नहीं उसे नहीं मालूम लेकिन यू.पी. कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अम्रतेश सिंह सब्बल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत या मुकदमा किया गया था। यौन उत्पीड़न से संबंधित मुकदमा लगभग अप्रैल 2015 का था उसे धारा की जानकारी नहीं है। सांसद अतुल राय 2019 का चुनाव घोषी संसदीय क्षेत्र से लड़े थे। उसकी पार्टी समाजवादी के गठबंधन से लड़े थे। उसने कोई मदद नहीं की थी उसकी पार्टी ने मदद की थी वह इनके चुनाव में नहीं गया था। उसकी मुलाकात अभी तक अतुल राय से नहीं हुयी है न ही बातचीत हुयी है। उसकी अतुल राय के पिता से मुलाकात हुयी है।

26- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.10 के रूप में परीक्षित साक्षी सत्यभानू आर्य द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि </u>उसका प्रिटिंग प्रेस गोला दीनानाथ में स्थित है। यह प्रिटिंग प्रेस मकान नम्बर के 64/97 में स्थित है। यह प्रेटिंग प्रेस प्रभात उसका प्रेस के नाम से है। यह प्रिटिंग प्रेस उसका जी.एस. टी के तहत रजिस्टर्ड है। वह संदीप सिंह स्वर्णकार पुत्र घनश्याम सिंह निवासी लालघाट वाराणसी में उसके प्रेस में आने जाने के कारण जानता व पहचानता है। संदीप सिंह स्वर्णकार 04.09.21 को उसके प्रिटिंग प्रेस में आये थे। संदीप सिंह स्वर्णकार सैमसंग मोबाइल लेकर उसके प्रेस पर आये थे जिनके मोबाइल से उसने 48 पेज का मैसेज प्रिंटआउट निकालकर उसने दिया था। उसने उस प्रिंटआउट का 273 रूपये शुल्क के रूप में लिया था। उसका रसीद उसने उनको दिया था। जो पत्रावली पर प्रदर्श ख 10 के रूप में दाखिल है। उसका उसने एक 65 बी के तहत प्रमाणपत्र के रूप में बनाकर उन्हें दिया था जो पत्रावली में पहले से दाखिल है जिस पर प्रदर्श ख- 9 पूर्व से पड़ा हुआ है। जो उसने रसीद उन्हें 283 रूपये का दिया था उसका कार्बन प्रति आज वह न्यायालय में लाया है कार्बन प्रति न्यायालय में दिखाकर कार्बन की छायाप्रति उसके द्वारा प्रमाणित करके आज न्यायालय में दाखिल किया जा रहा है जिस पर प्रदर्श ख- 68 जो कार्बन प्रति की फोटोस्टेट न्यायालय में दाखिल किया गया है वो मूल के हिसाब से सही है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि संदीप ने मोबाइल से जो मैसेज उसे निकालने के लिये कहा उसका उसने प्रिंट निकाल कर दे दिया। उसके प्रिंटिग प्रेस में बिल वाउचर, लेबर स्टीकर, डिब्बा,

WWW.LIVELAW.IN

तथा सभी तरह के प्रिंटआउट निकालने का कार्य किया जाता है। जो भी ग्राहक उसके यहां से काम कराते हैं उस काम की रसीद वह सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराता है और उस रसीद पर वह हस्ताक्षर करता है। प्रिंटिग चाहे छोटा हो या बड़ा वह सबकी रसीद देता है। ग्राहक उससे रसीद मांगे न मांगे प्रिंटिग का जो खर्च है वह उसकी रसीद देता है। उसे अदालत से नोटिस गयी और जब वह कचहरी आया तो ऐसा-ऐसा मामला है जिसमें वह गवाही देने आया है। इस मुकदमे के बचाव पक्ष के गवाह संदीप सिंह स्वर्णकार जो मैसेज प्रिंटआउट दे रहे थे उस मैसेज को देखा था लेकिन पढ़ा नहीं था।

27- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.11 के रूप में परीक्षित साक्षी ग्यासुद्दीन खां द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि 7 मार्च 2018 को उसके भतीजे नेक मो०खां पुत्र सलाउद्दीन खां का दावते वलीमा था। दावते वलीमा में अतुल राय को भी आमंत्रण दिया गया था। दावते वलीमा में अतुल राय शरीक हुये थे। दावते वलीमा का यह कार्यक्रम आठ बजे के आसपास प्रारंभ हुआ था तथा रात्रि दस बजे तक चला था। जिस दिन उसके यहां दावते वलीमा का कार्यक्रम था उसी दिन सेबेरिया कप फुटबाल रात्रि दिन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाना था। ये फाईनल मैच जिस दिन उसके यहां दावते वलीमा था उसी दिन ग्राम देवेथा में हुआ था। इस मैच के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी जमानिया के पूर्व प्रत्याशी अतुल राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। इस मैच में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अतुल राय के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद अतुल राय उसके यहां दावते वलीमा में आये थे। दावते वलीमा में जब अतुल राय आये थे उनके साथ कई पत्रकार बन्धु भी आये थे और उसके यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता किया था। अतुल राय उसके यहां दावते वलीमे में साढ़े आठ बजे आये थे और रात्रि लगभग पौने दस बजे उसके यहां से निकले थे। दावते वलीमा का कार्यक्रम उसके देवेथा आवास पर था। वह अपने साथ अपने भतीजे के निकाह का कार्ड जिसमें निकाह का दिनांक व दावते वलीमा का दिनांक अंकित है। मूलकार्ड आज न्यायालय में वह दाखिल कर रहा है जिसमें प्रदर्श ख 69 डाला गया। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि 2005 में उसकी धर्मपत्नी बी.डी.सी थी, 2010 में वह स्वयं बी.डी.सी. था, 2021 में वह प्रधान निर्वाचित हुआ है। पहले वह भारतीय जनता पार्टी में था बाद में वह बहुजन समाज पार्टी में चला गया आज वह समाजवादी पार्टी में है। वह पहले जिन जिन पार्टियों में था उनसे उसका कोई अब राजनैतिक संबंध नहीं है अब उसका वर्तमान में समाजवादी पार्टी की राजनैतिक व्यक्तियों से संबंध है। 2018 से वह समाजवादी पार्टी में है। 2018 में अतुल राय उसके विधान सभा क्षेत्र से बसपा से प्रत्याशी थे। चुनाव के दौरान उसका और अतुल राय का एक-दूसरे के यहां राजनैतिक संबंधों के कारण आना-जाना था। उसका मां के इंतकाल पर अतुल राय आये थे और शादी-ब्याह में भी आना-जाना होता था। इस मुकदमे की जानकारी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे हुयी। जब एम.पी. का चुनाव मऊ से लड़े तब उसे इस मुकदमे की जानकारी हुयी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह कभी अतुल राय से न तो मिलने गया और न ही उनकी तारीख पर मिलने आया। उसके वलीमा की कोई फोटोग्राफी नहीं है क्योंकि वे लोग मुसलमान है हमलोगों के यहां वलीमा में फोटोग्राफी की प्रथा नहीं है। उसे उसके शरई कानून की जानकारी नहीं है क्योंकि वह मुल्ला-मौलवी नहीं है। वह पढ़ा लिखा कम है। वह सन् 1978 में हाईस्कूल पास किया था। यह कहना गलत है कि उसके और इस मुकदमे के अभियुक्त

अतुल राय से अच्छे संबंध हैं जिसकी वजह से वह अतुल राय को बचाने के लिये न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि उसके भतीजे नेक मोहम्मद के वलीमा में अतुल राय नहीं आये थे।

28- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.12 के रूप में परीक्षित साक्षी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> उसने 2012 में बीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजूएशन किया है। वह इसके बाद जागरण में बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। फिर उसने 2013 से 2015 तक काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन की डिग्री उसने हासिल किया। उसके बाद उसने जनसंदेश अखबार और हिन्दुस्तान में बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। सन् 2017 में उसने स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर बेबाक समाचार के नाम से न्यूज पोर्टल जारी किया और उसमें पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। सन् 2018 सात मार्च को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमनिया के अंतर्गत देवेथा गांव में दिन-रात्रि के फुटबाल टूर्नामेंट में नाइजीरियन प्लेयर खेलने आये थे जिनकी चर्चाएं थीं इसीलिय टूर्नामेंट को कवर करने के लिये वह खुद पहुंचा था और उसे टूर्नामेंट के आयोजक ने खेल का न्यूज कवर करने के लिये बुलाया भी गया था। खेल के टूर्नामेंट को कवर करने के लिये वह सायंकाल साढ़े पांच बजे के आसपास पहुंचा था। उस दिन बसपा नेता अतुल राय द्वारा सायंकाल साढ़े पांच बजे फीता काटकर व आतिशबाजी करके बतौर मुख्य अतिथि उस मैच का उदघाटन किये थे। यह मैच आजाद स्पोर्टिंग क्लब कुर्रा व बिहार ११ के बीच में हुआ था। यह मैच लगभग सायंकाल छः बजे प्रारंभ हो गया था। यह मैच आजाद स्पोर्टिंग क्लब कुर्रा ने पांच तीन से जीती थी। इस मैच में सायंकाल साढ़े पांच बजे से पहुंचने के बाद वह मैच के समापन तक मैच वाले स्थल पर ही था। इस मैच के समापन पर विजेता और उपविजेता को मुख्य अतिथि अतुल राय द्वारा शील्ड का वितरण किया गया था। जो शील्ड का वितरण अतुल राय द्वारा किया गया था मैच के समापन पर उसका उसने फोटोग्राफी भी किया था और न्यूज के साथ उसने उस फोटो को चलाया भी था। जो न्यूज उसने चलाया था वो न्यूज और कार्यक्रम में जो फोटो खींचा गया था आज वह वो न्यायालय में 65 बी प्रमाणपत्र के साथ न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख-73 लगायत 76 डाला गया। इस मैच का समापन रात्रि में लगभग आठ बजे हुआ था। मैच के समापन के उपरांत अतुल राय के संबोधन के दौरान जनरेटर में तकनीकी खराबी होने के कारण मैच स्थल पर अंधेरा हो गया और अतुल राय का संबोधन बीच में ही रुक गया और सब लोग वहां से चले गये। बतौर पत्रकार वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का कार्यक्रम के संबंध में बयान नहीं ले पाया था जनरेटर में तकनीकी खराबी होने और कार्यक्रम स्थल पर अंधकार हो जाने के कारण व अतुल राय का बयान न लिये जाने के कारण वह उनके मोबाइल नम्बर 7703008754 पर उसने कॉल किया। ये उसने अतुल राय को कॉल बयान लेने के लिये किया था। अतुल राय को फोन करने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल से चंद कदम पर लाईट जल रही है वहीं पर उसे इन्वाइट किया गया है मैं वहीं पर हूं आप आ जाइये तो वह आपको अपनी प्रेस वाइट दे देता हूं। अतुल राय के इस सूचना पर वह जहां पर लाइट जल रहा था वह उस स्थान पर पहुंचा। जो स्थान कार्यक्रम स्थल से चंद कदम से उत्तर दिशा में था। जिस समय वह अतुल राय जी के बताये स्थान पर पहुंचा था उस समय साढ़े आठ से पौने नौ का समय हो रहा था। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसकी

अतुल राय से मुलाकात हुयी और उन्होंने अपना उसे मैच के संबंध में अपना बयान दिया। जब वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो उसे इस बात की जानकारी हुयी कि ग्यासुद्दीन जो कि एक पालीटिकल व्यक्ति हैं ये उन्हीं का आवास है और उन्ही के यहां दावते वलीमा का कार्यक्रम है। उस दिन नौ बजे तक वह अतुल राय के साथ था। बेबाक समाचार पार्टल उसका रजिस्टर्ड है। 2017 और 2018 के रिनूवल का प्रमाणपत्र वह आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर क्रमशः प्रदर्श ख-71 व 72 डाला गया। 65 बी प्रमाणपत्र वह न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख-70 डाला गया। उसने अतुल राय के फोटोग्राफ और अतुल राय के मैच में शामिल होने से संबंधित कार्यक्रम का न्यूज अपने न्यूज पोर्टल पर बेबाक समाचार पर रात्रि दस बजे के आसपास चलाया था। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया कि उसकी मुलाकात अतुल राय से 2015 में जब जमनिया विधानसभा के बसपा के प्रभारी थे तब राजनैतिक कार्यक्रमों के दौरान होती थी। उसकी मुलाकात अतुल राय से लगभग चार-पांच बार विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम में हुयी थी। वह दैनिक जागरण संस्करण गाजीपुर का रिपोर्टर था। दैनिक जागरण में वह लगभग एक साल तक था। जिस समय वह न्यूज कवर करने गया था उस समय वह स्वतंत्र पत्रकार के रूप में स्वयं का न्यूज पोर्टल चैनल चलाता था किसी हिन्दी समाचार पत्र में वह पत्रकार नहीं था। उसके साथ न्यूज कवर करने के लिये कैमरा मैन मनीष राय थे। मनीष राय उसके यहां लगभग एक साल थे। मनीष राय स्थित अफगाह अलावलपुर थाना नोनहारा (गाजीपुर) के रहने वाले थे। यह फोटोशूट मोबाईल से किया जाता था। मोबाइल द्वारा संग्रहीत की गयी फोटो को लैपटाप पर ट्रांसफर करके उस पर न्यूज तैयार करके उसको पोर्टल न्यूज चैनल पर चलाया जाता था। उसके न्यूज पोर्टल को कितने लोग देखते हैं इसको देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। वे लोग न्यूज को वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करते थे। न्यूज पे बहुत सारे वाट्सअप ग्रुप थे। पोर्टल पर समाचार डालने के बाद उस समाचार के लिंक को वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करते थे। उस समय वे लोग न्यूज को लगभग बीस ग्रुप में शेयर करते थे। वह अपने न्यूज को जिस वाट्सअप ग्रुप में शेयर करता था उसका नाम क्रमशः खवरनवीश, परिचर्चा, बेबाक समाचार के नाम से चार-पांच वाट्सअप ग्रुप बना था उस पर इसी तरह तमाम और वाट्सअप ग्रुप थे। बेबाक समाचार जो ग्रुप बना था उसका एडमिन वह था। जो फोटोग्राफी उसने न्यायालय में दाखिल किया है जिस पर पूर्व से प्रदर्श ख-73 पड़ा है उसमें डेट, वर्ष व वेबसाइट का नाम अंकित है। समय अंकित नहीं है। प्रदर्श ख 74, प्रदर्श ख 75 पर समय व दिनांक अंकित नहीं है।

29- <u>प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.13 के रूप में परीक्षित साक्षी रंजीत कुमार सिंह द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि</u> वह एम.एस.सी., पी.एच.डी, सी.एच.एफ.आई., सी.ई.एच, पी.जी. डिप्लोमा एंड फोरेंसिक साइंस एवं साइबर फोरेसिंक, सर्टिफिकेट कोर्ट इन फोरेंसिक साइस तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेशन इन फोरेंसिक साइंस फ्रोम दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उसकी संस्था का नाम शेरलोक इन्स्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस है। उसकी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स तथा आई.एस.ओ सर्टिफाइड फोरेंसिक लैब है। उसकी संस्था का <u>रजिस्ट्रेशन नम्बर U73100 DL2013PTC251209 है।</u> उसकी ये संस्था 2013 से रजिस्टर्ड है। वह पिछले 15 वर्षो से प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह कार्यरत है। वह आज अपने फोरेंसिक संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति को प्रमाणित कर दाखिल कर

रहा है जिस पर प्रदर्श ख-77 डाला गया साथ में स्व हस्ताक्षर से सभी आई.एस.ओ का प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर से दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख 77 लगायत 87 दाखिल किया गया। उसकी संस्था का ऑफिस पूर्व में नाम इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज जिले में भी है। इस ऑफिस के इंचार्ज आकाश रावत जी हैं वो उस ऑफिस में जुलाई 2019 से अभी तक वहीं कार्यरत हैं। उसके प्रयागराज के ऑफिस में भरत सिंह के द्वारा 21 अप्रैल 2020 से 24 अगस्त 2021 के दौरान ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स तथा हैंड राइटिंग में लिखित प्रपत्र को एफ.एस.एल से जांच कराने हेतु उसके प्रयागराज स्थित कार्यालय में दिया गया था। जो भी भरत सिंह के द्वारा ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स व हैंड राइंटिग जांच हेतु सबूत उपलब्ध कराये गये थे उसमें से ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स की जांच उसके द्वारा दिल्ली कार्यालय में आकाश रावत द्वारा भेजे जाने पर की गयी थी। हैंड राइटिंग की जांच उसके प्रयागराज स्थित कार्यालय से हुआ था। जो भी भरत सिंह के द्वारा आकाश रावत को जांच हेतु ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स उपलब्ध करायी गयी उन सभी चीजों का जांच उसके द्वारा वैज्ञानिक विधि से किया गया था। उसके यहां हैंड राइटिंग व फिंगर प्रिंट की जांच प्रयागराज में होती है इसलिये हैंड राइटिंग की जांच प्रयागराज से हुआ था। जो भी उसके द्वारा ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स की एफ.एस.एल के तहत जांच की गयी थी उन सभी जांच रिपोर्ट को सील व साइन करके अपने प्रयागराज स्थित कार्यालय में आकाश रावत को प्राप्त करायी गयी थी। <u>रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2020/109,</u> <u>ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट</u> प्राप्ति तिथि 21 अप्रैल 2020 एंड डेट ऑफ डिस्पैच 4 मई 2020 न्यायालय के आदेश से पूर्व में पड़े कागज संख्या 168ब लगायत 190ब न्यायालय के आदेश से समक्ष गवाह जो कि स्टैपलर से पिन किया हुआ है पिन को खोला गया जो कि एक लाल रंग के बैग में वर्धमान प्रिंटेड झोले में है, को निकाला गया जिसमें बांस के कागज की फाइल में स्टैपलर किया हुआ फाइल निकला। फाइल के अंदर सबसे ऊपर 168ब/1 <u>ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट मौजूद है जिसका रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2020/109</u> है जिस पर 168ब/1 लगायत 168ब/36 अंकित है जिसको देखकर गवाह ने कहा कि यह वही ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट है जिस पर उसकी संस्था का मोहर लगा है। रिजल्ट ऑफ एक्जामिनेशन पन्ने पर उसका हस्ताक्षर अंकित है। जिस पर प्रदर्श ख 88 डाला गया जो 36 पेज में है को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही रिपोर्ट है जो उसके द्वारा जाचोंपरांत आकाश रावत को उपलब्ध करायी गयी थी जिसको वह प्रमाणित करता है। इसमें 12 ऑडियो फाइल थी जिसे उसने एक डी.वी.डी. में जो पत्रावली में कागज संख्या 168ब/1 के रूप में दर्ज है, में सी.डी. मेलर हैंडिल विद केयर के नाम से अंकित लिफाफे में है, जो सैलोटेप से चिपका हुआ है न्यायालय के आदेश से लिफाफे से उस सीडी को बाहर निकाला गया जिसके अंदर से दो सीडी एक मूल और कापी मिला जिस पर लैब का सील लगा हुआ है <u>तथा एफ.एस.एल के रिपोर्ट का रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2020/109</u> भी अंकित है। जिसको न्यायालय के आदेश से सीडी को लैपटोप में डालकर सुनाया गया जो चालू हालत में पाया गया जिसको सुना गया जिसको एफ.एस.एल जांच के दौरान इस ऑडियों में किसी तरह की कोई टैम्परिंग नहीं पायी गयी। ये ऑडियो प्रोपर फ्रिक्वेंसी एवं सिक्वेंसीयल मैनर में थी जिसमें किसी भी प्रकार की डिजीटल फोरजरी नहीं पायी गयी जिसका विस्तृत उसकी रिपोर्ट तथा रिजल्ट एक्जामिनेशन पेज नम्बर 35 प्रदर्श ख 88 में मौजूद है। गवाह ने कहा कि -

जिसमें 12 ऑडियो फाइल उपस्थित हैं जिसका विवरण उसकी रिपोर्ट में पेज संख्या 2 और 3 पर विस्तृत रूप में दिया गया है। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/021, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 5 जनवरी 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच 14 जनवरी 2021 एफ.एस.एल की रिपोर्ट पत्रावली में कागज संख्या 171ब/1 लगायत 171ब /26 के रूप में पत्रावली में मौजूद है। जिसमें भी ऑडियो वेरीफिकेशन की रिपोर्ट दर्ज है जिस पर उसके संस्था की सील मौजूद है जिस पर पेज नम्बर 22 पर उसका हस्ताक्षर मौजूद है जिस पर प्रदर्श ख 89 डाला गया। पत्रावली में मौजूद लिफाफा कागज संख्या 177ब जो स्टैपलर किया गया है को न्यायालय के आदेश से खोला गया। जिसके अंदर से नीले रंग के रीबन में लाल रंग का पैन ड्राइव 32 जी.बी. का जो सैनडिस्क कंपनी का है। जिस पर वस्तु प्रदर्श 9 डाला गया। न्यायालय के आदेश से लैपटाप में चलाकर देखा गया तो जिसमें चलचित्र में दो व्यक्ति एक तरफ सत्यम राय हैं और दूसरे तरफ अंगद राय हैं साथ ही ऑडियो रिकार्डिंग भी सुना गया जो चलती अवस्था में पाया गया जिसका ट्रांसक्रिप्ट (SIFS/CYB/2021/158) भी तैयार किया गया है एवं हैंड राइटिंग (SIFS/DOC/2021/022) की जांच भी की गयी है। जो पत्रावली में 184ब/3 लगायत 184ब/18 डाला गया जिस पर प्रदर्श ख 90 डाला गया। उसके साथ काम करने वाले हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आकाश कुमार रावत का हस्ताक्षर है जो आज न्यायालय में उसके साथ उपस्थित हैं जिनके द्वारा अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया गया। जो वीडियो न्यायालय के आदेश से चलाया गया वो वीडियो की जांच रिपोर्ट न्यायालय में 182ब/1 लगायत 182ब/11 के रूप में दर्ज है। उसके साथ ही जांच की सीडी 183ब के रूप में मौजूद है जिस पर प्रदर्श ख 91 डाला गया। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/021, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 5 जनवरी 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच 14 जनवरी 2021 एफ.एस.एल के रिपोर्ट का रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/176 जिसको न्यायालय के आदेश से सीडी को लैपटोप में डालकर सुनाया गया जो चालू हालत में पाया गया जिसको सुना गया जिसको एफ.एस.एल जांच के दौरान इस ऑडियों में किसी तरह की कोई टैम्परिंग नहीं पायी गयी। ये ऑडियो प्रोपर फ्रिक्वेंसी एवं सिक्वेंसीयल मैनर में थी जिसमें किसी भी प्रकार की डिजीटल फोरजरी नहीं पायी गयी जिसका विस्तृत उसकी रिपोर्ट तथा रिजल्ट एक्जामिनेशन पेज नम्बर 3 पर ऑडियो की ट्रांस्क्रिप्ट का रिजल्ट उपस्थित है जिसे उसके लैब के एक्टपर्ट आकाश रावत का हस्ताक्षर मौजूद है जो न्यायालय में मौजूद है और अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करते हैं। ट्रांस्क्रिप्ट का पूरा विवरण पेज नम्बर 4 से 14 तक में अंकित है। जो पत्रावली में 174ब/1 के रूप में मौजूद है जिसके साथ एक सीडी भी जो जांचोपरांत तैयार किया गया था वो भी मौजूद है जिस पर प्रदर्श ख 92 डाला गया। हैंड राइटिंग जांच में मिले हुये प्रपत्र का विवरण पेज नम्बर तीन पर दिया गया तथा उसकी कापी पेज नम्बर 10 एवं पेज नम्बर 11 पर मौजूद है। पेज नम्बर 10 पर मौजूद अंगद राय के हस्ताक्षर तथा पेज नम्बर 11 पर मौजूद हैंड राइटिंग को वैज्ञानिक विधि से मिलान करने पर यह पाया गया कि दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्श ख 90 में मौजूद है। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, स्पीकर आईडेंटीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 30 जुलाई 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच 13 अगस्त 2021 में 20 क्वेश्चन ऑडियो जिसका विवरण पेज नम्बर 2 से पेज नम्बर 7 पर दिया गया है तथा स्पेशीमैन

WWW.LIVELAW.IN

वीडियो फाइल पेज नम्बर 8 पर मौजूद है जिसे स्पेक्ट्रोग्राफी टेकनीक के द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि क्वेश्चन ऑडियो (Q1 से Q10) तथा स्पेशीमैन वीडियो वायस सैम्पल (S1 से S3) एक ही व्यक्ति की है जिसके सभी स्पेक्ट्रोग्राम तथा कामन क्लू वर्ड की विस्तृत रिपोर्ट जो पत्रावली पर कागज संख्या 177ब/1 में मौजूद है। जिसके साथ उसकी जांच सीडी भी संलग्न है जिस पर प्रदर्श ख 93 डाला गया। रिजल्ट की विस्तृत जानकारी उसकी रिपोर्ट के पेज नम्बर 33 पर मौजूद है जिस पर उसका सील तथा हस्ताक्षर है। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/171, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 18 अगस्त 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच तिथि 25 अगस्त 2021 है। जो पत्रावली पर कागज संख्या 179ब/1 लगायत 179ब/21 है जिसके साथ सीडी संलग्न है जिसकी जांच की गयी ऑडियो फाइल मौजूद है। उक्त सीडी पर कागज संख्या 180ब पड़ा है जिस पर प्रदर्श ख 94 डाला गया जिसको न्यायालय के आदेश से सीडी को लैपटोप में डालकर सुनाया गया जो चालू हालत में पाया गया जिसको सुना गया जिसको एफ.एस.एल जांच के दौरान इस ऑडियों में किसी तरह की कोई टैम्परिंग नहीं पायी गयी। ये ऑडियो प्रोपर फ्रिक्वेंसी एवं सिक्वेंसीयल मैनर में थी जिसमें किसी भी प्रकार की डिजीटल फोरजरी नहीं पायी गयी जिसका विस्तृत उसकी रिपोर्ट तथा रिजल्ट एक्जामिनेशन पेज नम्बर 35 प्रदर्श ख 88 में मौजूद है। गवाह ने कहा कि - जिसमें 12 ऑडियो फाइल उपस्थित हैं जिसका विवरण उसकी रिपोर्ट में पेज संख्या 3 पर विस्तृत रूप में दिया गया है। इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट पेज नम्बर 4 से 7 पर मौजूद है। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/020, फोटोग्राफ वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 31 दिसंबर 2020 एंड डेट ऑफ डिस्पैच तिथि 16 जनवरी 2021 है । पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 184ब/1 लगायत 184ब/2 के रूप में मौजूद है जो कागज संख्या 181ब/1 लगायत 12 का ही पार्ट है। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त फोटोग्राफ में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या ट्रांसप्लांटेश नहीं किया गया है जिसका रिजल्ट विस्तृत में पेज नम्बर 6 पर मौजूद है। जिसके साथ जांच की सीडी संलग्न है जिस पर प्रदर्श ख 95 व प्रदर्श ख 96 डाला गया। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 14 जुलाई 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच तिथि 30 जुलाई 2021 है । जो कि पत्रावली में कागज संख्या 186ब/1 लगायत 64 के रूप में व सीडी 187ब के रूप में पत्रावली पर मौजूद है। इसमें उपस्थित 19 ऑडियो फाइल तथा 4 वीडियो फाइल का ट्रांसक्रिप्ट उसके साथ काम करने वाले आकाश रावत जो आज न्यायालय में मौजूद हैं के द्वारा बनाया गया है। जिस पर उसकी संस्था की मोहर और आकाश रावत का हस्ताक्षर मौजूद है उसके साथ लगातार काम करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है जिसको वह प्रमाणित करता है कि यह हस्ताक्षर आकाश रावत का ही है। जांच की गयी ऑडियो व वीडियो का विवरण पेज नम्बर 2 लगायत 4 पर मौजूद है तथा ट्रांसक्रिप्ट पेज नम्बर 6 लगायत 61 पर मौजूद है। ऑडियो व वीडियो सीडी 187ब के रूप में पत्रावली पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श ख 97 डाला गया। रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/175, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्ति तिथि 24 अगस्त 2021 एंड डेट ऑफ डिस्पैच तिथि 1 सितंबर 2021 है। जो पत्रावली पर कागज संख्या 188ब/1 लगायत 188ब/11 है जिसके साथ सीडी संलग्न है जिसकी जांच की गयी ऑडियो फाइल मौजूद है। उक्त सीडी पर कागज संख्या 189ब पड़ा है जिस पर प्रदर्श ख 94 डाला गया जिसको न्यायालय के आदेश से सीडी को लैपटोप में डालकर

WWW.LIVELAW.IN

सुनाया गया जो चालू हालत में पाया गया जिसको सुना गया जिसको एफ.एस.एल जांच के दौरान इस ऑडियों में किसी तरह की कोई टैम्परिंग नहीं पायी गयी। ये ऑडियो प्रोपर फ्रिक्वेंसी एवं सिक्वेंसीयल मैनर में थी जिसमें किसी भी प्रकार की डिजीटल फोरजरी नहीं पायी गयी जिसका विस्तृत मेरी रिपोर्ट तथा रिजल्ट एक्जामिनेशन पेज नम्बर 7 प्रदर्श ख 98 में मौजूद है। गवाह ने कहा कि - जिसमें 1 ऑडियो फाइल उपस्थित हैं जिसका विवरण उसकी रिपोर्ट में पेज संख्या 3 पर विस्तृत रूप में दिया गया है। 172 ब सीडी चालू हालत में पाया गया। जिसकी रिसीविंग 5 जनवरी 2021 तथा डिस्पैच डेट 14 जनवरी 2021 है। पत्रावली में मौजूद लिफाफा जिस पर पूर्व से 173 ब अंकित है जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया जिसके अंदर से एक सफेद कागज में लिपेटा हुआ सैनडिस्क कंपनी का पैन ड्राइव मिला जो कि 16 जीबी का है न्यायलय के आदेश से लैपटाप में डालकर सुना गया जो चालू हालत में है। जिसमें वस्तु प्रदर्श 10 डाला गया। पत्रावली में मौजूद लिफाफा जिस पर पूर्व से 176 ब अंकित है जिसे न्यायालय के आदेश से खोला गया जिसके अंदर से एक सफेद कागज में लिपेटा हुआ एक अदद सैनडिस्क कंपनी का पैन ड्राइव मिला जो कि 32 जीबी का है न्यायलय के आदेश से लैपटाप में डालकर सुना गया जो चालू हालत में है। जिसमें वस्तु प्रदर्श 11 डाला गया। उसके द्वारा जो भी उसे जांच के लिये पैन ड्राइव, फोटोग्राफ, ऑडियो व वीडियो व अभिलेखीय प्रपत्र मिला था उसके द्वारा बिना किसी नाजायज दबाव व प्रभाव के व बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के उचित वैज्ञानिक विधि का मात्र प्रयोग करके उसकी रिपोर्ट दी गयी थी जो रिपोर्ट उसने दिया था उसके एवज में उसने अपनी प्रोफेशनल 20000/- रुपये लिया था जो उसने भुगतान लिया था उस रसीद की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करके आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श ख 100 डाला गया। <u>दौरान प्रतिपरीक्षा</u> उक्त साक्षी द्वारा अभिकथन किया गया कि उसकी संस्था का नाम शेरलोक इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंस प्राईवेट संस्था है जिसका मैं प्रबंध निदेशक हूं। देश के विभिन्न शहरों में इस संस्था की लगभग 13, 14 शाखाएं हैं। पूरे भारत में उसकी जितनी संस्थाएं हैं उन शाखाओं पर कलेक्शन होता है एवं जांच भी होता है। उसका हेड ऑफिस लगायत सभी शाखाओं पर फोरेंसिक साइंस की लगभग 28 तरह की फारेंसिक जांचे होती हैं। जिस दिन उसका बयान हुआ था उस दिन उसने आकाश रावत जो इलाहाबाद (प्रयागराज) में संस्था के प्रभारी हैं उनका कोई पहचान पत्र उस दिन दाखिल नहीं किया था। उस दिन भी आकाश रावत उपस्थित थे आज भी उपस्थित हैं आज वह इनका ब्रांच की फ्रेंचायजी का कागज दाखिल कर रहा है। यह सही है कि जो उसने ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स वो सब उसे भरत सिंह जो अभियुक्त अतुल राय के पिता हैं ने उसकी संस्था को उपलब्ध कराया था। वह भरत सिंह से मिला नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक जांच के लिये मिलना आवश्यक नहीं है। जिनका आडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स दिया गया है उनसे उसकी मुलाकात नहीं हुयी है। जिनका आडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स की जांच उसके द्वारा की गयी है उन लोगों का उसने सैम्पल नहीं लिया है क्योंकि जांच का जो उद्देश्य है उसमें उसे सैम्पल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आडियो में किसकी आवाज है यह वह नहीं बता सकता। फिर कहा कि ऑडियो की आवाज से उसने वीडियो की आवाज से मैच किया तथा जांच में यह पाया कि ऑडियो में और वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज है जिसकी रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158 है। आडियो और वीडियो में किस व्यक्ति की आवाज है उस

WWW.LIVELAW.IN

व्यक्ति को वह नहीं जानता। जांच के लिये उसने 20000/- रूपये फीस लिया था जिसकी रसीद दाखिल है। सभी रिपोर्टों की जो इलाहाबाद और दिल्ली में हुयी सभी का उसने 20000/- रूपये लिया है। आडियो में जो वार्तालाप है वो कंट्यूनिटी में है ब्रेक देकर नहीं है। जो फोटोग्राफ उसके पास आया है वह किस मोबाइल से आया है वो वह नहीं बता सकता क्योंकि यह उसके जांच का विषय नहीं है। किस मोबाइल से फोटोग्राफ लेकर के फोटोग्राफ भेजा है उस मोबाइल नंबर की जांच उसके द्वारा या उसकी संस्था द्वारा नहीं की गयी है। हैंडराइटिंग की जांच उसकी संस्था प्रयागराज द्वारा की गयी थी न कि उसके द्वारा। उसकी संस्था को सरकार द्वारा कोई भी धनराशि सहायता के रूप में नहीं दी जाती है बल्कि उसकी संस्था में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से जो भी जांच हेतु केस आते हैं उसकी प्रोफेशनल फीस उसकी संस्था को मिलती है। प्रश्नगत मामले में उसे न्यायालय द्वारा कोई भी फीस नहीं मिली है। उसे अतुल राय केस में सम्मन प्राप्त हुआ था उसके तहत वह न्यायालय में साक्ष्य हेतु आया है। वह इस मुकदमे में गवाही देने दो बार आया है। वह दोनों बार ट्रेन से आया है। उसे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे के अभियुक्त कौन है। अंगद राय व सत्यम राय से उसकी कभी भी मुलाकात नहीं हुयी है। यह कहना गलत है कि वह इस मुकदमे के अभियुक्त अतुल राय व उनके परिजनों के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश किया है और यह भी कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

30- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.14 के रूप में परीक्षित साक्षी विनय मित्तल द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि वह स्पोर्ट्स फिट जिम में निदेशक के पद पर है। उसकी ये जिम महमूरगंज में स्थित है। उसके जिम में तमाम कर्मचारीगण काम करते हैं। पीड़िता उसके यहां काम की हुयी है। पीड़िता उसके यहां दिसंबर 2015 में रिसेप्शनिष्ट के रूप में नियुक्त हुयी थी। इनकी सैलरी 8000/- रूपये प्रतिमाह था। ये उसके यहां जनवरी 2016 तक कार्यरत थी। बतौर कर्मचारी जितने भी उसके यहां लोग हैं उन सभी लोगों का कान्टेक्ट नम्बर उसके पास रिकार्ड में रहता है। बतौर रिसेप्शनिष्ट पीड़िता मोबाइल नम्बर 9598313813 जो उसके जिम का नम्बर है रिसेप्शनिष्ट होने के नाते वो इस नम्बर का प्रयोग करती थी। इनकी ड्यूटी बतौर रिसेप्शनिष्ट प्रातः काल छः बजे से दोपहर दो बजे तक रहता था। ऐसा कुछ नहीं है पीड़िता के व्यवहार के कारण उनको जिम से निकाला गया था बल्कि उन्होंने खुद जिम छोड़ा था। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया कि उसके जिम में सी.सी.टी.वी लगा हुआ है पीड़िता जिस समय उसके जिम में कार्य रही थी उस समय भी सी.सी.टी.वी लगा हुआ था। उसका जिम 23 नवम्बर 2015 से प्रारंभ हुआ है।

31- प्रश्नगत मामले में डी.डब्लू.15 के रूप में परीक्षित साक्षी संतोष कुमार सिंह द्वारा सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि वह मु०अ०सं० 98/2015 का अंतर्गत धारा 354b, 506 IPC के तहत थाना शिवपुर में कायम हुआ था जिस मुकदमे का वह विवेचक था। दौरान विवेचना उक्त मुकदमे की वादिनी मुकदमा/पीड़िता उसे दौरान विवेचना अपने हाईस्कूल का अंक प्रमाणपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 227ब/7 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही अंक पत्र है जिसे पीड़िता ने उसे दौरान विवेचना उपलब्ध करायी थी जिस प्रदर्श ख-137 डाला गया। जिसमें पीड़िता/वादिनी मुकदमा की जन्मतिथि 10.03.1997

अंकित है। इस अंक प्रमाणपत्र को उसने दौरान विवेचना अपने विवेचना में सम्मिलित किया था और उसका पर्चा भी काटा था। इस मुकदमे में दौरान विवेचना पीड़िता का उसने न्यायालय में 164 कलमबद्ध बयान कराया था जिस बयान का भी उसने अवलोकन किया था जिसका पर्चा उसने काटा था जिसमें पीड़िता ने 164 के कलमबद्ध बयान देते समय समक्ष मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपनी जन्मतिथि 10.03.1997 बतायी थी। जो उसने विवेचना किया था विवेचनोपरांत बनारस के तत्कालीन एस.पी.सिटी विकासचन्द्र त्रिपाठी द्वारा उसका बयान लिया गया था। बयान में उसने एस.पी.सिटी महोदय को पीड़िता ने जो अपनी जन्मतिथि 10.03.1997 बतायी थी उससे उसने उनको अवगत करा दिया था। दौरान प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया कि पीड़िता द्वारा जो उसे मार्कशीट की छायाप्रति प्राप्त करायी गयी थी उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर थे या नहीं उसे याद नहीं है। उसने हाईस्कूल के अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि के अलावा पीड़िता के जन्मतिथि के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं की। मु०अ०सं० 98/2015 में दाखिल हाईस्कूल के अंकपत्र के अलावा अन्य कोई अंकपत्र दौरान विवेचना उसे प्राप्त नहीं हुआ।

32- प्रश्नगत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 2467 व दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 2009 ए.सी.सी. सुप्रीम कोर्ट 737 में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत अभियुक्त अतुल राय पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अभियोजन पक्ष द्वारा दाण्डिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के दृष्टिगत युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया जाना है।

33- प्रश्नगत मामले में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों व बचाव पक्ष तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का सम्यक अवलोकन किया।

बहस अभियोजन पक्ष

34- प्रश्नगत मामले में जहां अभियोजन पक्ष/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता तथा PW2 सत्यम प्रकाश राय के द्वारा प्रस्तुत अभिकथन/साक्ष्य से अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध आरोपित अपराध को पूर्णतया साबित किया गया है। वहीं पर लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि विवेचना के सी.ओ व अन्य विवेचना अधिकारी मुल्जिम की मदद किया तथा विवेचना अधिकारी भारत भूषण द्वारा मुल्जिम की विवेचना में मदद किया। इसको देखने के लिये न्यायालय को इस तथ्य को देखते हुये अभियोजन पक्ष के गवाह PW1 व PW2 व डॉक्टर को छोड़कर अन्य गवाहों के सूक्ष्मतापूर्वक बयान व जिरह की समीक्षा करनी चाहिये। अभियोजन पक्ष द्वारा Maddasani Venkata Narsaiah (D)Th. Lrs. Vs Maddasani Sarojana 2016(2) JCLR 376 (SC) व Phool Singh Vs. State of Madhya Pradesh Criminal Appeal No- 1520/2021 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त विधि व्यवस्था का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

बहस बचाव पक्ष-

35- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा न तो पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में आने हेतु

WWW.LIVELAW.IN

फोन किया गया है न ही मैसेज किया गया है, न ही किसी कार व ड्राइवर को भेजा गया है, न ही पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में आई और न ही अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया पीड़िता न तो घटनास्थल की पहचान करा पायी है, न ही वह विभिन्न घटनास्थलों को बता पायी जहां जहां बलात्संग होना कहा गया है। पीड़िता द्वारा घटना की तिथि पर प्रयोग में लाया गया मोबाइल नम्बर न तो स्वयं बताया गया है और न ही विवेचक को बताया गया है, जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि पर मां को फोन किया था तथा सत्यम प्रकाश राय का फोन आया था वहीं पर पीड़िता द्वारा न ही अपना और न ही अपनी मां का मोबाइल नम्बर बताया गया है और न ही सत्यम प्रकाश राय का मोबाइल नम्बर बताया गया है। तथाकथित घटनास्थल फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर पर पीड़िता के आने-जाने का कोई रिकार्डिंग है न ही रजिस्टर पर नाम व हस्ताक्षर हैं। घटना की तिथि पर अतुल राय फुटबाल टूर्नामेंट जमनिया में मुख्य अतिथि थे तथा टूर्नामेंट पुरस्कार वितरण के पश्चात् अभियुक्त दावते वलीमा में गया था। पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि बलात्संग का वीडियो रूम में लगे सी.सी.टी.वी कैमरे में अतुल राय द्वारा बनाकर दिखाया गया वहीं पर कोई भी वीडियो पीड़िता व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कमरे में सी.सी.टी.वी कैमरे लगे होने का कोई निशान नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2019 को प्रार्थी/अभियुक्त ने गठबन्धन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया ठीक उसके 6 दिन पश्चात् पीड़िता व सत्यम प्रकाश राय द्वारा राजनैतिक साजिश के कारण दिनांक 01.05.2019 को घटना दिनांक 07.03.2018 को दर्शित करते हुये थाना लंका वाराणसी में लगभग 420 दिन बाद पीड़िता द्वारा एक पूर्व साजिश के तहत एक झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी। ऐसी दशा में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की कृपा की जाये। बचाव पक्ष द्वारा RAI SANDEEP DEEPU VS STATE OF NCT 2012 LAW SUIT (SC) 498, 2- HARI SHANKER CHAURASIYA ANOTHER VS. STATE OF UP AND OTHRES (2017) (1) JIC 586 (ALL), 3- MAHENDRA ANR VS STATE OF UP [2016 (2) JIC 779 (ALL)], 4 ASHOK KUMAR VS STATE OF UTTARAKHAND [2020 (1) JIC 323(UTTR), 5 SANTOSH PRASAD @ SANTOSH KUMAR VS STATE OF BIHAR [2020 (1) JIC 959(SC), 6- MAHENDRA SINGH AND ORS VS STATE OF M.P. 2022 LIVE LAW (SC) 543, 7. ANVAR P.V. VS P.K. BASHEER CIVIL APPEAL NO. 4226/2012, 8- ARJUN PANDIT RAO KHOTKAR VS KAILASH KUSHANRAO GORANTYA [2021 (1) JIC 876(SC)), 9- BIBHISHAN VS STATE OF MAHARASTRA APEAL NO. 1262/2007, 10-KRISHAN KUMAR MALIK VS STATE OF HARYANA CRIMINAL APPEAL NO. 1252/2011 (SC), 11-PRAMOD DAS PATHAK VS STATE OF ASSAM 2008 CRILJ 1303, 12- BANITA CHADHA VS ANKIT CHADHA PUNJAB- HARYANA HIGH COURT (D.B) D/D. 22 APRIL, 2019 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त विधि व्यवस्था का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अवधार्य प्रश्न:

36- प्रश्नगत मामले में अभियुक्त अतुल राय पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर समुचित न्याय निर्णयन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (1) बी के दृष्टिगत निम्न अवधार्य प्रश्न विरचित किया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

1- क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु छल कारित करने हेतु पीड़िता को उत्प्रेरित किया गया?

2- क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु बुलाकर पीड़िता की इच्छा एवं सहमति के बगैर जबरदस्ती बलात्संग किया तथा पीड़िता को लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित व जान से मारने की धमकी दी गयी?

3- क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु बुलाकर पीड़िता के बलात्संग का अश्लील वीडियो तैयार किया गया तथा उसका प्रकाशन करने की धमकी देकर बार-बार ब्लैकमेल किया गया तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर बलात्संग किया गया?

37- **निस्तारण अवधार्य प्रश्न 1-** क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु छल कारित करने हेतु पीड़िता को उत्प्रेरित किया गया?

38- प्रश्नगत मामले में जहां तक छल का प्रश्न है इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 415 व 420 को भी अंकित किया जाना समीचीन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण- तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत प्रवंचना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

39- प्रश्नगत मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के संबंध में निम्न आरोप विरचित किया गया है "यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा पीड़िता को अपने फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट, चितईपुर में अपने पत्नी से मिलाने के बहाने पीड़िता का मोबाइल नम्बर लेकर बातचीत की गयी और उसके साथ छल करके मिलने के लिये उसे उत्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध

WWW.LIVELAW.IN

कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।"

40- प्रश्नगत मामले में जहां तक अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट, चितईपुर अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने पीड़िता का मोबाइल नम्बर लेकर बातचीत करना तथा छल करने हेतु मिलने के लिये उत्प्रेरित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहां पीड़िता PW1 द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि होली के लगभग एक सप्ताह पहले अतुल राय ने अपने मो॰नं॰ 7408000009 से उसके फोन नम्बर पर फोन करके अपनी पत्नी से मिलाने की तिथि 07.03.18 स्वयं तय किया था। वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि उस समय उसका क्या मोबाइल नम्बर था याद नहीं है। पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में जहां यह अभिकथित किया गया है कि फ्लैट पर आने से पहले मम्मी को फोन करके बताया था कि एक भईया हैं उनकी पत्नी से मिलने जाना है वहीं पर यह अभिकथित किया गया है कि मां का फोन नम्बर याद नहीं है। जहां पर पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अतुल राय ने मोबाइल नम्बर 7408000009 से फोन किया था। वहीं पर PW7 के रूप में परीक्षित अभियोजन साक्षी विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मो॰ नम्बर 7408000009 की जांच में यह पाया गया कि यह अतुल राय का न तो मोबाइल नम्बर है न ही अतुल राय द्वारा इस मोबाइल नम्बर का कभी प्रयोग किया गया है। पीड़िता द्वारा जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथित किया गया है कि शाम के समय देरी होने पर अतुल राय को फोन किया तो वह मैसेज किये कि "मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर आ गया हूं। तुम वही रहो मैं पहुंच रहा हूं।" वहीं पर पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि कुछ देर इंतजार करने के बाद अतुल राय को फोन किया तो उन्होंने फोन काट दिया तथा थोड़ी देर बाद वाट्सअप वार्ता किया। इस प्रकार पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य के विपरीत अभिकथन किया गया है। पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि शाम के समय देरी होने पर अतुल राय को फोन किया तो वह मैसेज किये कि "मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर आ गया हूं। तुम वही रहो मैं पहुंच रहा हूं।" वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई मैसेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत मामले में अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि 07.03.2018 को पीड़ता के पास कौन सा मोबाइल नम्बर था, इसकी जानकारी का अथक प्रयास किया, परंतु पीड़िता द्वारा नम्बर नहीं बताया गया। घटना के समय पीड़िता कितने मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करती थी, यह भी पूछने पर पीड़िता ने नहीं बताया। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि जो ड्राइवर उसे लेने आया था उस ड्राइवर का मोबाइल नम्बर अतुल राय ने दिया था, वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि ड्राइवर ने स्वयं फोन किया था, या उसने ड्राइवर को फोन किया था, याद नहीं है तथा ड्राइवर का फोन नम्बर भी याद नहीं है, न ही गाड़ी का नम्बर याद है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचित तथ्यों से यह स्थापित/साबित नहीं होता है कि घटना की तिथि पर या घटना के पूर्व अतुल राय द्वारा पीड़िता को फोन व मैसेज द्वारा अपनी पत्नी से मिलाने हेतु फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में छल कारित करने हेतु उत्प्रेरित किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

41- **<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या 2 व 3</u>**

A- **<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या 2</u>**- <u>क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु बुलाकर पीड़िता की इच्छा एवं सहमति के बगैर जबरदस्ती बलात्संग किया तथा पीड़िता को लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित व जान से मारने की धमकी दी गयी?</u>

B- **<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या 3</u>**- <u>क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता को फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर में पीड़िता के मोबाइल नम्बर पर फोन कर अपनी पत्नी से मिलाने हेतु बुलाकर पीड़िता के बलात्संग का अश्लील वीडियो तैयार किया गया तथा उसका प्रकाशन करने की धमकी देकर बार-बार ब्लैकमेल किया गया तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर बलात्संग किया गया?</u>

42- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना घटित होने के पश्चात् वह परेशान थी तथा उसके परिवार के लोगों को डराया व धमकाया जाता था तथा जान से मारने की धमकी दिया जाता था व बलात्संग का वीडियो दिखाकर लोगों में प्रचारित व अपमानित करने की धमकी देने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत अंकित नहीं करायी तथा दिनांक 6 अप्रैल 2019 को पीड़िता को जबरदस्ती कार में बैठाने का प्रयास किया गया व उसके छोटे भाई और मां को उठा ले जाने के कारण वह आहत होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी तथा विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में स्पष्ट कारण दर्शित किया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को पूर्णतया साबित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की कृपा की जाये।

43- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि तथाकथित घटना दिनांकित 07.03.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.05.2019 को अंकित करायी गयी है अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट 420 दिन बाद विलंबित अंकित करायी गयी है। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है तथा पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की परिस्थितियों के संबंध में जहां यह अभिकथित किया गया है कि अनुज राय द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2019 को पीड़िता को जबरदस्ती कार में बैठाने का प्रयास किया गया व उसके छोटे भाई और मां को उठा ले जाने के कारण वह आहत होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी, वहीं पर उक्त दोनों घटना के संबंध में PW7 के रूप में परीक्षित साक्षी विवेचक भरत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 की घटना के संबंध में बयानात व मोबाइल की कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना झूठी पायी गयी और कोई साक्ष्य नहीं मिला तथा विवेचना के दौरान पीड़िता के मां और भाई को 29.04.2019 को घर से उठा ले जाने वाली बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला न ही इस संबंध में डराने और धमकाने का कोई साक्ष्य मिला। ऐसी दशा में पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से अंकित कराये जाने की परिस्थितियां साबित न होने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में FIR विलंबित होने का कारण दर्शित न किया जाना यह साबित करता है कि अभियुक्त अतुल राय को सपा व बसपा का लोकसभा का गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किये जाने के पश्चात् सत्यम प्रकाश राय व पीड़िता

WWW.LIVELAW.IN

तथा अंगद राय जिसकी अतुल राय से दुश्मनी थी आपस में राजनीतिक साठ-गांठ से जैसे ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2019 को प्रार्थी/अभियुक्त ने गठबन्धन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया ठीक उसके 6 दिन पश्चात् पीड़िता व सत्यम प्रकाश राय द्वारा राजनैतिक साजिश के कारण दिनांक 01.05.2019 को घटना दिनांक 07.03.2018 को दर्शित करते हुये थाना लंका वाराणसी में पीड़िता द्वारा एक पूर्व साजिश के तहत एक झूठी रिपोर्ट की घटना लिखायी गयी। ऐसी दशा में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की कृपा की जाये।

44- प्रश्नगत मामले में जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से अंकित कराये जाने का प्रश्न है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह (2003) 3 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 357 निर्णय दिनांकित 31 जनवरी 2003 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि इसका कोई पक्का नियम नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किये जाने में विलंब किया जाना स्वतः ही अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को सन्देहपूर्ण बना देता है। यह अनिवार्यतः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में ऐसा कोई विलम्ब हुआ है जो अभियोजन पक्ष के पक्षकथन की सत्यता के बारे में सन्देह पैदा करता है और इसके लिये प्रथम इत्तिलाकर्ता की स्थिति, पहुंची क्षतियों की प्रकृति, घटना के शिकार व्यक्तियों की संख्या, उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये किये गये प्रयास, अस्पताल और पुलिस थाने की दूरी आदि जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। ऐसा कोई गणितीय सूत्र नहीं है जिसके द्वारा केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दर्ज किये जाने में विलंब के कारण कोई और निष्कर्ष निकाला जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Gangabhavani Vs Rayapati Venkat Reddy & Ors निर्णय दिनांकित 4 September, 2013 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The case of prosecution cannot be rejected solely on the ground of delay in lodging the FIR. The court has to examine the explanation furnished by the prosecution for explaining the delay. There may be various circumstances particularly the number of victims, atmosphere prevailing at the scene of incidence, the complainant may be scared and fearing the action against him in pursuance of the incident that has taken place. If the prosecution explains the delay, the court should not reject the case of the prosecution solely on this ground. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Karnail Singh Vs. State of M.P. 1995 (5) SCC 518 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The delay as explained to the satisfaction of the Court, it can be counted against the prosecution.

45- जहां तक प्रश्नगत मामले का प्रश्न है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 7 मार्च 2018 अंकित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.05.2019 को अंकित करायी गयी है अर्थात् घटना की तिथि से 420 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब से अंकित कराये जाने का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जहां तक इस संबंध में मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है

PW1 वादिनी/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि छः अप्रैल सन् 2019 को जब वह अपने व्यक्तिगत काम से बनारस आयी थी तो अतुल राय का एक आदमी अनुज राय सिगरा चौराहा पर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में खींचकर बैठाने लगा तथा अनुज राय उसके बलिया जिले स्थित उसके गाँव गये तथा उसके छोटे भाई और मां से बतमीजी की एवं डराया धमकाया और उसी दिन उसकी मम्मी एवं भाई को यह लोग कहीं उठा भी ले गये थे। तब अतुल राय के लोग मम्मी और भाई को नरही थाना ले गये और वहां मम्मी एवं भाई को डराये और धमकाये और गाली भी दिये और उसी दिन उसके खिलाफ उसी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। उक्त से वह आहत होकर डी.जी.पी. एवं प्रमुख गृह सचिव को अपने प्रार्थनापत्र से अपनी आपबीती की जानकारी दी। डी.जी.पी. के निर्देश पर लंका थाना वाराणसी में एक मई सन् 2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई। वहीं पर अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भरत भूषण तिवारी द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 की घटना के संबंध में बयानात व मोबाइल की कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना झूठी पायी गयी और कोई साक्ष्य नहीं मिला तथा अनुज राय की नामजदगी गलत पायी गयी व आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के मां और भाई को 29.04.2019 को घर से उठा ले जाने वाली बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला न ही इस संबंध में डराने और धमकाने का कोई साक्ष्य मिला। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 सिगरा वाराणसी पर थी, वहीं पर साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता दिल्ली गयी थी, इसकी जानकारी उसे बाद में हुयी। इस प्रकार स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय व साक्षी PW7 विवेचक भरत भूषण तिवारी द्वारा पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन के विपरीत व विरोधाभाषी अभिकथन किया गया है। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि DGP के निर्देश पर लंका थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया, वहीं पर तहरीर पर DGP का कोई आदेश प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के संबंध में नहीं है। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि अतुल राय के लोग मम्मी और भाई को नरही थाना ले गये और वहां मम्मी एवं भाई को डराये और धमकाये और गाली भी दिये और उसी दिन उसके खिलाफ उसी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा रिपोर्ट अंकित किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि बलात्संग का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था तथा मैसेज व फोन से डराया धमकाया जाता था। वहीं पर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी बलात्संग का वीडियो, मैसेज व काल डिटेल्स न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उसे बलात्संग के वीडियो द्वारा व मैसेज तथा काल द्वारा उसे डराया धमकाया जाता था अर्थात् ब्लैकमेल व डराया धमकाया जाना साबित नहीं है। <u>प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपने सशपथ बयान में यह कथित किया गया है कि घटना की सूचना प्रथम बार नवंबर 2018 के प्रथम सप्ताह में पीड़िता व उसकी मां से प्राप्त हुयी</u>

WWW.LIVELAW.IN

थी। प्रश्नगत मामले में उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी लगभग 6 माह बाद रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jai Prakash Singh vs State Of Bihar & Anr.Etc निर्णय दिनांकित 14 March, 2012 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The FIR in criminal case is a vital and valuable piece of evidence though may not be substantive piece of evidence. The object of insisting upon prompt lodging of the FIR in respect of the commission of an offence is to obtain early information regarding the circumstances in which the crime was committed, the names of actual culprits and the part played by them as well as the names of eye- witnesses present at the scene of occurrence. If there is a delay in lodging the FIR, it looses the advantage of spontaneity, danger creeps in of the introduction of coloured version, exaggerated account or concocted story as a result of large number of consultations/deliberations. इस प्रकार मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचना विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहां पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 6 अप्रैल 2019 को गाड़ी में खींचकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया तथा उसके मम्मी व भाई को उठा ले जाना तथा पीड़िता के विरूद्ध नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना तथा बलात्संग का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाना अभिकथित किया गया है वहीं पर घटना दिनांकित 6 अप्रैल 2019 को पीड़िता को गाड़ी में खींचकर जबरदस्ती बैठाना तथा पीड़िता के मम्मी व भाई को उठा ले जाना पीड़िता के विरूद्ध नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना तथा बलात्संग का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाना साबित नहीं है अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के संबंध में उपर्युक्त अभिकथित तथ्य साबित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है तथा पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के संबंध में जहां यह अभिकथित किया गया है कि अनुज राय द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2019 को पीड़िता को जबरदस्ती कार में बैठाने का प्रयास किया गया व उसके छोटे भाई और मां को उठा ले जाने के कारण वह आहत होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी, वहीं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के संबंध में उपर्युक्त परिस्थितियां व अभिकथित तथ्य साबित नहीं है, न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से अंकित कराये जाने के संबंध में वर्णित कारण संतोषजनक है। इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था Ashok Kumar Vs. State of Uttarakhand 2020 (1) JIC 323 (Uttr.) Criminal Appeal No. 447 and 427/2013 निर्णय दिनांकित 21 February, 2019 के पैरा 50 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि The FIR has evidently been lodged after two, months of the alleged incident. There is indeed an inordinate delay in the present case. The only explanation for the inordinate delay is that the pros ecutrix all through these two months was traumatised and living under fear as the two accused had

WWW.LIVELAW.IN

videographed her obscene pictures and they were continuously blackmailing her. This explanation is not tenable for various reasons. Firstly, it has also come in the evidence that after the alleged incident, she stayed twice in the house of the accused Ashok Kumar for 5 to 6 days and more particularly the mopile phones from which the videography was done or photographs were taken and were sent for forensic examination, yet nothing has come out of it. Therefore, the threat of coercion and blackmailing, has not been proved. The delay therefore has not been explained.

46- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि PW1 पीड़िता ही वादिनी मुकदमा है तथा साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना की जानकारी नवम्बर 2018 के प्रथम सप्ताह में उसे पीड़िता व उसकी मां ने फोन पर दिया था अर्थात् साक्षी PW2 अनुश्रुत साक्षी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला पीड़िता के एकल साक्ष्य पर आधारित है। जहां तक पीड़िता के एक मात्र साक्ष्य पर अभियुक्त की दोषसिद्धि का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Nara Peddi Raju Vs State of A.P. Now State of Telangana Criminal Appeal no. 1553/2019 निर्णय दिनांकित 14 October, 2019 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि No doubt, it is true that conviction in a case of rape can be based on the sole testimony of the prosecutrix. However, there is one caveat, which is, that the statement should inspire confidence. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sadashiv Ramarao Hadbe Vs State of Maharashtra And Anr निर्णय दिनांकित 17 January, 2006 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि In a rape case the accused could be convicted on the sole testimony of the prosecutrix, if it is capable of inspiring of confidence in the mind of the court. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Parvat Singh & Ors. Vs State of Madhya Pradesh Criminal Appeal No. 374/2020 निर्णय दिनांकित 2 march 2020 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि It cannot be disputed that there can be a conviction relying upon the evidence/deposition of the sole witness. However, at the same time, the evidence/deposition of the sole witness can be relied upon, provided it is found to be trustworthy and reliable and there are no material contradictions and/or omissions and/or improvements in the case of the prosecution. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Krishna Kumar Malik Vs. State of Haryana (2011) SCC 130 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि No doubt, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offencse of rape, the solitary evidence of the prosecutrix is sufficient provided the same inspires confidence and appears to be absolutely

WWW.LIVELAW.IN

trustworthy, unblemished and should be of sterling quality. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनरैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2009 ACC 989 SC में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है असंदिग्ध रूप में यह सत्य है कि दोषसिद्धि को एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य पर अधिरोपित किया जा सकता है परंतु दोषसिद्धि की आधार बनाये जाने के लिये उसकी घटनास्थल पर उपस्थित का होना तथा उसके परिसाक्ष्य का प्रबल विश्वसनीय तथा पूर्णतः दोषरहित होना स्वाभिकता से आवश्यक है।

47- "Sterling witness" के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rai Sandeep @ Deepu Vs State of NCT Of Delhi निर्णय दिनांकित 7 August 2012 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि In our considered opinion, the "sterling witness" should be of a very high quality and calibre whose version should, therefore, be unassailable. The court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross-examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as the sequence of it. Such a version should have co-relation with each and every one of other supporting material such as the recoveries made, the weapons used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other such similar tests to be applied, can it be held that such a witness can be called as a "sterling witness" whose version can be accepted by the court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more

WWW.LIVELAW.IN

precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the court trying the offence to rely on the core version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged.

48- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि एक मात्र पीड़िता के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, परंतु पीड़िता का उक्त साक्ष्य/अभिकथन न्यायालय का विश्वास प्रेरित करने वाला विश्वासप्रद तथा विश्वसनीय, बेदाग और वास्तविक गुणवत्ता वाला तथा अखण्डनीय होना चाहिए।

49- जहां तक प्रश्नगत मामले का प्रश्न है इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहां पीड़िता PW1 द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि होली के लगभग एक सप्ताह पहले अतुल राय ने अपने मो०नं० 7408000009 से उसके मोबाइल नम्बर पर फोन करके अपनी पत्नी से मिलाने की तिथि 07.03.18 स्वयं तय किया था। वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि उस समय उसका क्या मोबाइल नम्बर था याद नहीं है। पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में जहां यह अभिकथित किया गया है कि फ्लैट पर आने से पहले मम्मी को फोन करके बताया था कि एक भईया हैं उनकी पत्नी से मिलने जाना है वहीं पर यह अभिकथित किया गया है कि मां का फोन नम्बर याद नहीं है। जहां पर पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अतुल राय ने मोबाइल नम्बर 7408000009 से फोन किया था। वहीं पर PW7 के रूप में परीक्षित अभियोजन साक्षी विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मो० नम्बर 7408000009 की जांच में यह पाया गया कि यह अतुल राय का न तो मोबाइल नम्बर है न ही अतुल राय द्वारा इस मोबाइल नम्बर का कभी प्रयोग किया गया है। अभियोजन साक्षी PW9 का० प्रीति रावत द्वारा यह अभिकथित किया गया कि लिखित बयान लेते समय पीड़िता से यह पूछा था कि घटना वाली तारीख और समय तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल नम्बर था, लेकिन पीड़िता ने उसके पूछने के बावजूद भी अपना मोबाइल नम्बर घटना के समय वाला नहीं बताया।

50- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि घटना दिनांकित 07.03.2018 की रात्रि पीड़िता के फोन नम्बर पर सत्यम प्रकाश राय का फोन आया था, परंतु फोन अभियुक्त के पास था इसलिये फोन उठ नहीं पाया, वहीं पर इस संबंध में पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि का मोबाइल नम्बर याद नहीं है और न ही सत्यम प्रकाश राय का मोबाइल नम्बर याद है। इस संबंध में जहां साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि उसकी बात पीड़िता से हर दिन होती रहती थी, वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन सा मोबाइल नम्बर था व उसके पास कौन-सा मोबाइल नम्बर था उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि घटना की सूचना पीड़िता की मां ने किस मोबाइल नम्बर से दी थी उसे नहीं पता तथा पीड़िता द्वारा अपनी मां के फोन

नम्बर से फोन किये जाने पर वह अपने किस मोबाइल नम्बर पर फोन रिसीव किया था उसे याद नहीं है। इस संबंध में PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि मोबाइल नम्बर न मिलने के कारण विवेचना के दौरान यह पता नहीं लग पाया कि दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता का लोकेशन कहां थी। घटना दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन-सा मोबाइल था तथा घटना की रात्रि पर किस मोबाइल नम्बर से पीड़िता के फोन पर फोन आया था इसकी जानकारी का उसने अथक प्रयास किया, परंतु पीड़िता द्वारा कोई भी नम्बर नहीं बताया गया तथा यह भी नहीं बताया गया कि पीड़िता घटना के समय कितने मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करती थी। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा अपने सशपथ बयान में मोबाइल नम्बर 8756052270, 9506292088, 9026943743, 9899925349, 8957689911 को अपना होना बताया गया है, वहीं पर पीड़िता द्वारा घटना की तिथि पर न तो अपना मोबाइल नम्बर, न ही मां का मोबाइल नम्बर, न ही PW2 सत्यम प्रकाश राय का मोबाइल नम्बर बताया गया है। PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा भी घटना की तिथि पर न तो अपना मोबाइल नम्बर बताया गया है, न ही पीड़िता का मोबाइल नम्बर बताया गया है और न ही पीड़िता की मां का मोबाइल नम्बर बताया गया है।

51- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथित किया गया है कि शाम के समय देरी होने पर अतुल राय को फोन किया तो वह मैसेज किये कि "मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर आ गया हूं। तुम वही रहो मैं पहुंच रहा हूं।" वहीं पर पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि कुछ देर इंतजार करने के बाद अतुल राय को फोन किया तो उन्होंने फोन काट दिया तथा थोड़ी देर बाद वाट्सअप वार्ता किया। इस प्रकार पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य के विपरीत अभिकथन किया गया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन सा मोबाइल नम्बर था, इसकी जानकारी का अथक प्रयास किया, परंतु पीड़िता द्वारा नम्बर नहीं बताया गया। घटना के समय पीड़िता कितने मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करती थी, यह भी पूछने पर पीड़िता ने नहीं बताया। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा FIR में यह अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि पर उन्होंने फोन किया तो फोन काट करके मैसेज किया कि "मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर आ गया हूं। तुम वही रहो मैं पहुंच रहा हूं।" वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा मैसेज को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि उसकी बात पीड़िता से हर दिन होती रहती थी, वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि घटना की तिथि 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन सा मोबाइल नम्बर था व उसके पास कौन-सा मोबाइल नम्बर था उसे याद नहीं है। अभियोजन साक्षी PW9 का० प्रीति रावत द्वारा यह अभिकथित किया गया कि लिखित बयान लेते समय पीड़िता द्वारा जिन-जिन लोगों के फोन आये और SMS आये, उन-उन लोगों का नाम और मोबाइल नम्बर बयान देते समय उसे नहीं बताया। किस मोबाइल से क्या-क्या SMS आये, यह सारी चीजें उसे पीड़िता ने नहीं बतायी।

WWW.LIVELAW.IN

52- प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि जो ड्राइवर उसे लेने आया था उस ड्राइवर का मोबाइल नम्बर अतुल राय ने दिया था, वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि ड्राइवर ने स्वयं फोन किया था, या उसने ड्राइवर को फोन किया था याद नहीं है तथा ड्राइवर का फोन नम्बर भी याद नहीं है, न ही गाड़ी का नम्बर याद है तथा यह भी अभिकथित किया गया है कि वह अतुल राय के फ्लैट पर कब पहुंची समय नहीं बता सकती, वह अंदाज से भी समय नहीं बता सकती। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां PW1 पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया गया है कि जो ड्राइवर उसे लेने आया था उस ड्राइवर का मोबाइल नम्बर अतुल राय ने दिया था, ड्राइवर ने स्वयं फोन किया था, या उसने ड्राइवर को फोन किया था तथा घटना की रात्रि उसके मोबाइल नम्बर पर सत्यम प्रकाश राय का फोन आया, परंतु फोन अभियुक्त के पास था इसलिये फोन उठ नहीं पाया। वहीं पर पीड़िता द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-1 व अंतर्गत धारा 161CrPC में उक्त तथ्य अंकित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Vimal Suresh Kamble vs Chaluverapinake Apal S.P. And निर्णय दिनांकित 8 January, 2003 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The evidence of this witness is of no significance and also appears to be untrue. He was confronted with his statement made before the police in the course of investigation, but this fact was not stated by him in his statement made before the police. It, therefore, appears that the only fact which was sought to be proved through this witness was not stated by him in his statement recorded in the course of investigation.

53- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक/लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता की मां व उसकी बहन को गाजीपुर जाकर अपहरण किया गया, परंतु पीड़िता की मां व बहन का बयान अंकित नहीं किया गया तथा स्वयं विवेचक द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी।

54- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि विवेचना के दौरान पीड़िता के मां और भाई को 29.04.2019 को घर से उठा ले जाने वाली बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही इस संबंध में डराने और धमकाने का कोई साक्ष्य मिला। PW1 पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि अनुज राय उसके बलिया जिले स्थित उसके गाँव गये तथा उसके छोटे भाई और मां से बतमीजी की एवं डराया धमकाया और उसी दिन उसकी मम्मी एवं भाई को यह लोग कहीं उठा भी ले गये थे। तब अतुल राय के लोग मम्मी और भाई को नरही थाना ले गये और वहां मम्मी एवं भाई को डराये और धमकाये और गाली भी दिये और उसी दिन उसके खिलाफ उसी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

55- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहां पर पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अनुज राय उसके बलिया जिले स्थित उसके गाँव

गये तथा उसके छोटे भाई और मां से बतमीजी की एवं डराया धमकाया और उसी दिन उसकी मम्मी एवं भाई को यह लोग कहीं उठा भी ले गये थे। तब अतुल राय के लोग मम्मी और भाई को नरही थाना ले गये और वहां मम्मी एवं भाई को डराये और धमकाये और गाली भी दिये और उसी दिन उसके खिलाफ उसी नरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि छोटे भाई और मां को डराया धमकाया तथा उसकी मम्मी एवं भाई को यह लोग कहीं उठा भी ले गये थे। वहीं पर अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि विवेचना के दौरान पीड़िता के मां और भाई को 29.04.2019 को घर से उठा ले जाने वाली बात का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही इस संबंध में डराने और धमकाने का कोई साक्ष्य मिला।

56- प्रश्नगत मामले में जहां PW1 पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि छः अप्रैल सन् 2019 को जब वह अपने व्यक्तिगत काम से बनारस आयी थी तो अतुल राय का एक आदमी अनुज राय सिगरा चौराहा पर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में खींचकर बैठाने लगा, वहीं पर अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 की घटना के संबंध में बयानात व मोबाइल की कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना झूठी पायी गयी और कोई साक्ष्य नहीं मिला। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 सिगरा वाराणसी पर थी, वहीं पर साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता दिल्ली गयी थी, इसकी जानकारी उसे बाद में हुयी। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय व साक्षी PW7 विवेचक भरत भूषण तिवारी द्वारा पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन के विपरीत व विरोधाभाषी अभिकथन किया गया है।

57- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि DGP के निर्देश पर लंका थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया, वहीं पर तहरीर पर DGP का कोई आदेश प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के संबंध में नहीं है।

58- प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि बलात्संग का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था तथा मैसेज व फोन से डराया धमकाया जाता था। वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा अतुल राय द्वारा बनाया गया बलात्संग का वीडियो व भेजा गया मैसेज व काल डिटेल्स प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी PW9 का० प्रीति रावत द्वारा यह अभिकथित किया गया कि लिखित बयान लेते समय पीड़िता द्वारा उसे वह अश्लील वीडियो वाला मोबाइल नहीं दिखाया था न ही पीड़िता द्वारा जिन-जिन लोगों के फोन आये और SMS आये, उन-उन लोगों का नाम और मोबाइल नम्बर बयान देते समय उसे नहीं बताया। किस मोबाइल से क्या-क्या SMS आये, यह सारी चीजें उसे पीड़िता ने नहीं बतायी। PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि मोबाइल नम्बर न मिलने के कारण विवेचना के दौरान यह पता नहीं लग पाया कि दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता का लोकेशन कहां

थी। घटना दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता के पास कौन-सा मोबाइल था तथा घटना की रात्रि पर किस मोबाइल नम्बर से पीड़िता के फोन पर फोन आया था इसकी जानकारी का उसने अथक प्रयास किया, परंतु पीड़िता द्वारा कोई भी नम्बर नहीं बताया गया तथा यह भी नहीं बताया गया कि पीड़िता घटना के समय कितने मोबाइल नम्बरों का प्रयोग करती थी।

59- प्रश्नगत मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित व मौखिक बहस में यह अभिकथित किया गया है कि अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक द्वारा सोसायटी के गेट पर रखा गया रजिस्टर व सोसायटी के गेट पर लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा को नहीं देखा, न ही कब्जे में लिया यदि वह रजिस्टर व गेट पर लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा कब्जा में लेता तो घटना की सत्यता का पता चल जाता।

60- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह अभिकथित किया गया है कि PW7 विवेचक द्वारा सोसायटी के गेट पर रखा गया रजिस्टर व सोसायटी के गेट पर लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा को कब्जा में लेता तो अभियुक्त व पीड़िता की घटनास्थल पर उपस्थित न होना साबित हो जाता, परंतु विवेचक द्वारा पुलिस अधिकारी के दबाव में चार्जशीट प्रस्तुत करना था, इसी दबाव में विवेचक द्वारा सोसायटी के गेट पर रखा गया रजिस्टर व सोसायटी के गेट पर लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा का न तो अवलोकन किया गया और न ही कब्जे में लिया गया। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि कमरे में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा से बलात्संग का वीडियो रिकार्ड कर लिया, वहीं पर कमरे में न तो सी.सी.टी.वी. कैमरा पाया गया और न ही सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा होने का कोई निशान पाया गया।

61- प्रश्नगत मामले में जहां <u>PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि</u> उसने मुख्य द्वारा पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की जांच इस तथ्य की जानकारी के लिये कि दिनांक 07.03.2018 को शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे के बीच पीड़िता अतुल राय के फ्लैट नम्बर 108 पर गयी थी, नहीं की थी तथा उस तारीख का रजिस्टर पर भी नहीं देखा था। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त दिनांक 07.03.2018 को अपनी पत्नी से मिलाने हेतु फ्लैट अमरोशिया रेस्टोरेंट चितईपुर पर बुलाया तथा ड्राइवर उसे अमरोशिया रेस्टोरेंट पर छोड़ दिया तथा कुछ देर बाद अतुल राय का नौकर उसे फ्लैट पर ले गया तथा उसे फ्लैट पर छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद अतुल राय तीन गनर के साथ आये और गनरों को बाहर बैठा दिया तथा उसे कमरे में खींचकर ले गये तथा उससे जबरदस्ती बलात्संग किया व बलात्संग की घटना का कमरे में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे से वीडियो बना लिया तथा मोबाइल से दिखाया। वहीं पर <u>PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि</u> दिनांक 26.06.2019 को अतुल राय के फ्लैट सूर्या गुरूग्राम में स्थित पर गया उसने वहां पहुंचने पर सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव तथा सोसायटी के सदस्य अमित कुमार सिंह को बुलवाया और अमित श्रीवास्तव सेकेट्री ने अतुल राय के फ्लैट की चाबी दिया। चाबी मिलने के बाद अतुल राय के फ्लैट संख्या 108 का ताला खोला और फ्लैट के अंदर घुसे। उसके द्वारा घटनास्थल का द्वारा निरीक्षण करते समय सेकेट्री अमित श्रीवास्तव, सदस्य अमित कुमार सिंह व सोसायटी का सिक्योरिटी गार्ड शिव कुमार गौड़ भी मौजूद था। उसने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि फ्लैट नम्बर 108

WWW.LIVELAW.IN

में कोई भी सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगा है तथा पूर्व में सी.सी.टी.वी. के कैमरे लगे होने का कोई भी निशान नहीं है। विवेचना के दौरान, जिस अश्लील वीडियो को दिखाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया है, इस संबंध में उसने गहन विवेचना किया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पीड़िता ने भी उसके द्वारा बार-बार मांगने पर भी कथित बनाये गये अश्लील वीडियो के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, तथा इस संबंध में उसे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उसने I.T. Act के किसी भी धारा के तहत आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया। अभियोजन साक्षी PW3 अमित श्रीवास्तव द्वारा भी यह अभिकथित किया गया है कि घटना दिनांक 07.03.18 को सायं 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शिवकुमार गार्ड की ड्यूटी गेट पर थी। कोई भी आदमी फ्लैट में मिलने के लिये आयेगा तो वह CCTV कैमरे में कैद हो जायेगा। कौन आदमी कितने बजे प्रवेश कर रहा है, ये सभी विवरण CCTV में आ जायेगा। इसी तरह अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का भी अपने जाने का CCTV फुटेज आ जाता है। अपार्टमेंट में जो भी बाहरी कोई व्यक्ति फ्लैट में मिलने आता है तो मुख्य प्रवेश द्वार पर उसका नाम, पता, मोबाइल नम्बर रजिस्टर में नोट किया जाता है। रजिस्टर में इन्ट्री करने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार पर इन्टरकाम लगा हुआ है, उस इन्टरकाम से संबंधित फ्लैट में काल करके अनुमति लिया जाता है। उसके बाद ही भेजा जाता है। दिनांक 07.03.18 को सायं 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच पीड़िता अतुल राय से उनके माता-पिता के फ्लैट नम्बर 108 पर मिलने आयी थी, इस बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है क्योंकि गेट के रजिस्टर (मुख्य प्रवेश द्वार) पर उनके प्रवेश की इन्ट्री के बाबत उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर अंकित नहीं है। दिनांक 06.03.18 व 07.03.18 को उसने अतुल राय को अकेले या उनके परिवार सहित फ्लैट नं०- 108 में आते व निकलते नहीं देखा। 29.06.19 के लगभग दोपहर 1 बजे प्रभारी निरीक्षक लंका/विवेचक भारत भूषण तिवारी सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में उसकी मौजूदगी में आये थे। उसे बुलवाकर फ्लैट नम्बर 108 का ताला खोलवाया था। उस समय सोसायटी के सदस्य अमित सिंह, वह व गार्ड शिवकुमार गौड़ मौजूद था। कमरा खोलवा कर देखा तो यह पाया गया कि उनके कमरे में CCTV कैमरा नहीं लगा था तथा उसमें पहले से न तो कोई CCTV कैमरा लगा था और न ही पहले से लगे होने का निशान ही था। अभियोजन साक्षी PW8 शिवकुमार गौड़ द्वारा भी यह अभिकथित किया गया है कि सूर्या गुरूग्राम सोसायटी के गेट पर उसकी ड्यूटी दिनांक 07.03.2018 को सायं 6 बजे से लेकर सुबह 08.03.2018 को 6 बजे तक थी। वह प्रतिदिन लगातार बारह घण्टे ड्यूटी करता था और दिनांक 07.03.2018 को भी उसकी ड्यूटी 12 घंटे सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे 08.03.2018 तक थी। दिनांक 07.03.2018 को पीड़िता सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट में अतुल राय से मिलने नहीं आयी थी। जब तक उसकी ड्यूटी थी, तब तक नहीं आयी थी। अगर आती तो पीड़िता का मोबाइल नम्बर, उसका वल्दियत, उसका पता, गेट पर रखे रजिस्टर पर जरूर नोट करता व उसका हस्ताक्षर बनवाता, क्योंकि वह आई नहीं थी, लिहाजा गेट के रजिस्टर पर उसकी एंट्री नहीं हुयी थी। दिनांक 07.03.2018 को अतुल राय अपने सुरक्षा गार्डों के साथ फ्लैट नम्बर 108 पर नहीं आये थे। दरोगा दिनांक 29.06.2019 को सूर्य गुरूग्राम अपार्टमेंट में आये, तब उस समय सोसायटी के सेकेट्री अमित श्रीवास्तव व सदस्य अमित सिंह तथा वह स्वयं मौजूद था। दरोगा जी आये और उन्होंने उसके सामने सोसायटी के सचिव अमित श्रीवास्तव से फ्लैट नम्बर 108 की चाभी लिया और

WWW.LIVELAW.IN

उन तीनों के सामने फ्लैट खोलकर कमरे में घुसे और उन्होंने यह देखा कि कमरे में कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा अंदर मौजूद नहीं था। फ्लैट नम्बर 108 तथा सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट के किसी भी फ्लैट में सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगा था।

62- प्रश्नगत मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित व मौखिक बहस में यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता घटनास्थल दिखाने पर सही फ्लैट में न जाकर किसी अन्य फ्लैट में ले जाती है, परंतु नक्शा नजरी में इसका वर्णन नहीं है। विवेचनाधिकारी द्वारा नक्शा नजरी के विपरीत अभिकथन किया जा रहा है।

63- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि स्वयं पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि विवेचक को एक-दो फ्लैट की पहचान करायी गयी, वह फ्लैट नहीं थे। उसने जिस प्रकार कमरे के अंदर का नक्शा बताया वह वहां के लोगों के द्वारा बंद फ्लैट में बताया गया तथा दिनांक 07.03.2018 के पश्चात् जितनी भी बार जिन-जिन स्थानों पर पीड़िता के साथ अतुल राय के शारीरिक संबंध बने, वह उन-उन स्थानों को विवेचक को नहीं दिखाया तथा जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 07.03.2018 को फ्लैट के हॉल में न बैठकर अभियुक्त अतुल राय पीड़िता का हाथ खींचकर मुख्य दरवाजे की बायीं तरफ जो कमरा था उसमें ले गये तथा पीछे से पकड़कर मुंह बंदकर बलात्संग किया वहीं पर फ्लैट में न तो कोई हॉल है न ही दरवाजे के बायीं तरफ कोई कमरा है बल्कि मात्र एक कमरे का फ्लैट है।

64- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि फ्लैट के हॉल में न बैठकर अभियुक्त अतुल राय पीड़िता का हाथ खींचकर मुख्य दरवाजे की बायीं तरफ जो कमरा था उसमें ले गये तथा पीछे से पकड़कर मुंह बंदकर बलात्संग किया तथा उक्त घटना के पश्चात् वह लगभग हर 15-20 दिन बाद अभियुक्त उसे बुलाता था तथा उसके साथ जबरदस्ती जगह-जगह संबंध बनाता था। अधिकांश समय DLW सुन्दरपुर का क्षेत्र होता था। वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि वह ठीक-ठाक जगह नहीं बता सकती तथा 7 मार्च 2018 की घटना के बाद जब उसने उसे बुलाया, बुलाने की तारीख, महीना व स्थान नहीं बता पायेगी। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा कमरा में बलात्संग होना अभिकथित किया गया है, वहीं पर यह भी अभिकथित किया गया है कि उस कमरे में पलंग था या नहीं उसे नहीं पता। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वह अभियुक्त के फ्लैट पर कब पहुंची समय नहीं बता सकती तथा वह अंदाज से भी समय नहीं बता सकती, वहीं पर यह अभिकथित किया गया है कि फ्लैट में अकेले 10.00 बजे रात्रि तक इंतजार करने के बाद उसने उसी मोबाइल नं. से अतुल राय को फोन किया, वहीं पर पीड़िता का यह तथ्य कि उस कमरे में पलंग था या नहीं उसे नहीं पता, स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि घटना दिनांक 07.03.2018 अभियुक्त अतुल राय हाथ खींचकर मुख्य दरवाजे की बायीं तरफ जो कमरा था उसमें ले गये तथा पीछे से पकड़कर मुंह बंदकर बलात्संग किया, इस संबंध में अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि फ्लैट नम्बर 108 केवल एक कमरे का फ्लैट है और उस एक कमरे के फ्लैट के मुख्य दरवाजे के दायें व बायीं, उत्तर, दक्षिण कोई भी दूसरा कमरा नहीं है। इस कमरे के उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम लगा हुआ कोई

WWW.LIVELAW.IN

अन्य कमरा नहीं है। उस एक कमरे के फ्लैट में मेज, कुर्सियां, अलमारी, कागज-पत्र मौजूद थे, जो ऑफिस जैसा कमरा लग रहा था। निरीक्षण के दौरान उसने उस एक कमरे के फ्लैट में पलंग या बिस्तर टाइप के सामान नहीं देखा तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि कथित घटना दिनांक 07.03.2018 के बाद अतुल राय ने पीड़िता को बुलवाया और जगह-जगह, भिन्न-भिन्न स्थानों व समय पर शारीरिक संबंध बनाया, इसके संबंध में विवेचना के दौरान उसने कोई साक्ष्य नहीं पाया। विवेचना के दौरान उसे पीड़िता ने यह नहीं बताया कि दिनांक 07.03.2018 की घटना के बाद किन-किन तारीखों पर और किस समय और किन-किन स्थानों पर अतुल राय ने उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया, यह न तो उसने बताया और न ही दिखाया। इस मुकदमे में पीड़िता के बयान के समर्थन में न तो कोई चश्मदीद साक्षी मिला और न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही मिला। प्रश्नगत मामले में पत्रावली पर दाखिल नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि फ्लैट/घटनास्थल में मात्र एक कमरा दर्शित है, न तो उसमें हॉल है और न ही मुख्य दरवाजे के बायीं तरफ कोई कमरा है। अभियोजन साक्षी PW3 अमित कुमार श्रीवास्तव (सेकेट्री सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट सोसायटी) द्वारा यह अभिकथित किया गया कि फ्लैट नम्बर 108 के बायीं तरफ कोई कमरा नहीं है। दिनांक 02.05.19 को दरोगा जी एक लड़की को लेकर जांच के लिये आये थे। पुलिस ने उस दौरान उसे भी बुला लिया। दरोगा जी के साथ आयी लड़की सीधे अरूण कुमार के फ्लैट पर पहुंची और यह बताया कि यही अतुल राय का फ्लैट है। लड़की ने अरूण कुमार के फ्लैट के दरवाजा को खटखटाया को कल्पना कुमारी (अरूण कुमार की पत्नी) निकली। उन्होंने यह बताया कि यह फ्लैट उसका है और अतुल राय का फ्लैट आगे है। अरूण कुमार की पत्नी के बताने के आधार पर वे लोग फ्लैट नम्बर 108 पर आये जो ताला बंद था। अभियोजन साक्षी PW8 शिवकुमार गौड़ (सुरक्षागार्ड सूर्या गुरूग्राम अपार्टमेंट सोसायटी) द्वारा यह अभिकथित किया गया कि फ्लैट नम्बर 108 केवल एक कमरे का फ्लैट है। इस फ्लैट के बायें तरफ या दाहिने तरफ कोई भी कमरा नहीं है। यह फ्लैट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तथा कमरे के सामने कंपनी का बोर्ड भी लगा है। अभियोजन साक्षी PW9 का० प्रीति रावत द्वारा यह अभिकथित किया गया कि जब वह दरोगा जी के साथ पीड़िता को लेकर घटनास्थल पर गयी तो वह अतुल राय का फ्लैट ढूंढ नहीं पा रही थी, फिर एक औरत के बताने पर अतुल राय के फ्लैट पर गयी। पीड़िता कह रही थी, शायद यह फ्लैट है, शायद वह फ्लैट है और कन्फ्यूज थी कि कौन-सा फ्लैट है। उसे और विवेचक को पीड़िता यह नहीं बता पा रही थी कि यह फ्लैट है या वह फ्लैट है। पीड़िता ने बताया कि यह फ्लैट लग रहा है, इसलिये विवेचक ने उसी फ्लैट का नक्शा-नजरी बना लिया। PW1 पीड़िता द्वारा स्वयं अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि विवेचक द्वारा उसे घटनास्थल पर लिफ्ट से ले जाया गया था। उसने उस दौरान फ्लोर का ध्यान नहीं दिया था। उसने विवेचक को बताया तो सबसे पहले प्रथम तल पर ले गये। वहां एक-दो फ्लैट थे। उससे पहचान करायी गयी, वह नहीं थे। उसने जिस प्रकार कमरे के अंदर का नक्शा बताया वह कमरा वहां के लोगों द्वारा बंद फ्लैट में बताया गया जो अतुल राय का था। दिनांक 07.03.18 की घटना के बाद जितनी भी बार उसके व अतुल राय के मध्य शारीरिक सम्बन्ध बने एवं जहां पर भी बने उन-उन स्थानों को दौरान विवेचना विवेचक को उसने नहीं दिखाया था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा Krishan Kumar Malik Vs State of Haryana

Criminal Appela no. 1252/2011 निर्णय दिनांकित 4 July, 2011 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि During the course of investigation, the prosecutrix was taken to the area, to pint out the Kothi, where she was said to have been subjected to rape, but she failed to identify the said kothi. it may be recalled that she was alleged to have been abducted during broad day light, thus her failure to identify the Kothi, fully belies her case.

65- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि उसने अपनी सारी आपबीती का वीडियो रिकार्ड किया तथा अतुल राय को भेजा तथा आपबीती का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। वहीं पर अभियोजन पक्ष/पीड़िता द्वारा उक्त वीडियो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इस संबंध में अभियोजन साक्षी PW7 विवेचक भारत भूषण तिवारी व PW9 का० प्रीति रावत द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता द्वारा अपलोड वीडियो को बार-बार मांगने पर भी पीड़िता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

66- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना दिनांक 07.03.2018 की रात्रि में चार-पांच बार उसके साथ बलात्संग किया गया तथा उसका कपड़ा फाड़ा गया तथा घटना दिनांकित 07.03.2018 के पश्चात् हर 15 दिन पर अभियुक्त द्वारा बुलाकर जगह-जगह बलात्संग किया गया। यह बलात्संग की घटना अक्टूबर 2018 तक चली वहीं पर पीड़िता द्वारा न तो फटा कपड़ा न ही अन्य कोई कपड़ा जो बलात्संग के दौरान पहना था उपलब्ध कराया गया। पीड़िता द्वारा फटा कपड़े के संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि वह ट्रेन से फेंक दिया। PW9 का० प्रीति रावत द्वारा भी अपने शपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता से घटना के समय पहने गये कपड़े को मांगा गया तो पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि कपड़ा उसके पास नहीं है।

67- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि घटना दिनांक 07.03.2018 की रात्रि में चार-पांच बार उसके साथ बलात्संग किया गया तथा उसका कपड़ा फाड़ा गया तथा घटना दिनांकित 07.03.2018 के पश्चात् हर 15 दिन पर अभियुक्त द्वारा बुलाकर जगह-जगह बलात्संग किया गया। इस संबंध में अभियोजन साक्षी PW6 डॉ रश्मि गुप्ता ई.एम.ओ. द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता के बाह्य परीक्षण में उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई। हाइमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वेजाइनल स्मियर की दो स्वपूड बनाकर शुक्राणु के परीक्षण हेतु पैथोलॉजी में भेजा गया तथा पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Bibhishan Vs State of Maharashtra Appeal (Crl.) 1262/2007 निर्णय दिनांकित 19 September, 2007 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि As per the evidence of the doctor, there was no injury on the body of the procecutrix. There was no sign of semen on the private part of the body. Neither her clothes were torn nor there was any presence of hair of the accused on the private part of the prosecutrix. The doctor

WWW.LIVELAW.IN

after examining the prosecutrix deposed that the girl was hibituated to sexual intercourse. In the view of this evidence, we are of the opinion that the High Court as well as the Trial Court has not correctly appreciated the evidence and has wrongly convicted the accused-appellant. The accused who has been charged under Section 376 read with Section 511 IPC is intitled to benefit of doubt.

68- प्रश्नगत मामले में कागज संख्या 15अ/1 में अंकित "घोषी लोकसभा सीट से गठबंधन के तहत बसपा प्रत्याशी अतुल राय पर एक युवती ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाये तथा युवती ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगायी" इस संबंध में पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि वह इसे न तो झूठ कह सकती है और न ही सच कह सकती है क्योंकि समाचार वालों ने अपने अनुसार शब्दों को लिखा है।

69- प्रश्नगत मामले में जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि जब वह प्रमुख सचिव गृह से मिली तो वह अपना प्रार्थनापत्र लिखकर ले गयी थी तथा पत्रावली पर कागज संख्या 6अ (तहरीर प्रदर्श क-1) है। वह टाइप कहां कराया था, वह नहीं बता सकती तथा डी.जी.पी से मिलने के पश्चात् वह सीधे लंका थाना गयी। थानाध्यक्ष लंका वाराणसी को कोई प्रार्थनापत्र हस्तलिखित/टंकित नहीं दिया था, न देने का कोई कारण नहीं बता सकती। वहीं पर पत्रावली पर रक्षित तहरीर 6अ/1(प्रदर्श क-1) प्रिंटआउट है उस पर Scanned by Cam Scanner अंकित है। इस तहरीर के संबंध में स्वयं पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट कारण Scanned by Cam Scanner के संबंध में दर्शित नहीं किया गया है।

70- प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसे घटना दिनांकित 07.03.2018 की सूचना पीड़िता व पीड़िता की मां द्वारा फोन से नवंबर 2018 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुयी थी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साकातार सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2004 SCC 291 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि ऐसा साक्ष्य, जो साक्षी की वैयक्तिक जानकारी पर आधारित न हो दोषसिद्धि आधारित करने के लिये आधार नहीं हो सकता है।

बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव/प्रतिरक्षा

71- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सुझाव में यह अभिकथित किया गया है कि अतुल राय के लोकसभा 2019 के चुनाव में घोषी क्षेत्र से हराने के लिये सत्यम प्रकाश राय हरि नारायन राजभर व अंगद राय के कहने पर मोटी रकम लेकर झूठी कहानी वकीलों के मशवरे में गढ़कर पीड़िता को मोहरा बनाकर झूठी रिपोर्ट थाना लंका में अतुल राय के विरूद्ध पीड़िता द्वारा दर्ज कराया। हरि नारायन राजभर अतुल राय से बदला लेने के लिये उसकी और अंगद राय की मदद से पीड़िता को मोहरा बनाया गया और झूठे मुकदमे की पैरवी का जिम्मा उसने लिया तथा पैरवी का सारा खर्च हरिनारायन राजभर आज तक वहन करता चला आ रहा है। पीड़िता द्वारा सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति को हरि नारायन राजभर और अंगद राय आपस में साजिश करके झूठा मुकदमा कायम कराया है तथा अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा 313

CrPC के संबंध में अपना बचाव पक्ष/प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने बी०एस०सी० मैथ से हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी वर्ष 2004 में पास किया है। इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में प्रार्थी ने प्रवेश किया और राजनीतिक क्षेत्र में जनता के सहयोग व सम्मान से आगे बढ़ते हुए उसने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जमानियाँ विधान सभा से वर्ष 2017 का विधान सभा का चुनाव लड़ा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता सिंह से लगभग 7000 वोटो से हार गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी का मेम्बर होने के नाते प्रार्थी ने जनता से सम्पर्क बनाना शुरू किया तथा वर्ष 2019 के लोक सभा का चुनाव अपनी बहुजन समाज पार्टी से घोसी लोकसभा क्षेत्र जिला मऊ से चुनाव लड़ने का इरादा बनाकर घोसी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों से जन सम्पर्क शुरू किया और घोसी लोक सभा के मतदाताओं से प्रार्थी अभियुक्त को समर्थन का आश्वासन मिला। लोक सभा चुनाव वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबन्धन के द्वारा चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा सीट घोसी गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी को मिली तब प्रार्थी इस क्षेत्र से चुनाव लडने हेतु आवेदन पत्र ब०स०पा० प्रमुख के समक्ष प्रेषित किया और इसी घोसी लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्र अब्बास अंसारी को घोसी लोक सभा क्षेत्र से टिकट दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के टिकट वितरण की कमेटी ने घोषी लोक सभा क्षेत्र से गठबन्धन प्रत्याशी प्रार्थी/अभियुक्त को घोषित किया जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में हुआ। घोसी लोक सभा क्षेत्र से लोक सभा चुनाव 2019 का टिकट मिलते ही सबसे अधिक नाराजगी मुख्तार अंसारी को इसलिए हुई कि उनके लड़के को टिकट नहीं मिला तथा घोषी लोक सभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद हरि नारायण राजभर भी इसलिए नाराज हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त को गठबन्धन प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रार्थी को चुनाव में हराने के लिए मुख्तार अंसारी, हरि नारायण राजभर, मुख्तार अंसारी के शूटर एवं सजायाफ्ता अपराधी अंगद राय का साला विजय शंकर तिवारी, अंगद राय, सत्यम प्रकाश राय, पीड़िता ने आपस मे साजिश एवं षडयन्त्र करके प्रार्थी को झूठा केस में फंसाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही दिनांक 25 अप्रैल 2019 को प्रार्थी/अभियुक्त ने गठबन्धन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया ठीक उसके 6 दिन बाद दिनांक 01.05.2019 को कथित मुकदमें की वादिनी पीड़िता ने एक पूर्व साजिश के तहत तैयार एक झूठी रिपोर्ट 07.03.2018 की घटना को दिखाते हुए थाना लंका वाराणसी में दर्ज करायी और प्रार्थी चुनाव प्रचार-प्रसार न कर पाए इसके लिए पुलिस ने 12 पुलिस निरीक्षकों की टीम अलग-अलग गठित किया तथा लुक आउट नोटिस भी जारी किया। शासन प्रशासन ने मिलकर प्रार्थी/अभियुक्तों को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू किया। उद्देश्य इतना था कि घोसी लोक सभा से भा०ज०पा० के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर जीत जाए। पूरा शासन-प्रशासन तंत्र प्रार्थी को हराने मे लगा था जिसके कारण प्रार्थी एक दिन भी अपने चुनाव का प्रचार नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी वहां की जनता ने प्रार्थी को लगभग 150000 लाख वोटों से जिताया और भा०ज०पा० प्रत्याशी हरि नारायण राजभर हार गये। उपरोक्त षड़यन्त्र के द्वारा प्रार्थी की छवि एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए षडयन्त्रकारियों ने पीड़िता को मोहरा बनाया और पीड़िता इन्हीं लोगो के हाथ खेलती रही। वादिनी पीड़िता कालेज में छात्र यूनियन का जब चुनाव वर्ष 2015 में लड़ रही थी, तब वह पहली बार उसके

WWW.LIVELAW.IN

कार्यालय पर चुनाव का चंदा लेने आई थी और उसके प्रार्थना पर प्रार्थी ने उसके बैनर चुनाव सामग्री हेतु आर्थिक मदद कर दिया था। प्रार्थी अभियुक्त ने कभी भी पीड़िता का मो० नं० न मांगा और न ही पीड़िता से बातें होती थी। विरोधियों के दबाव के कारण पीड़िता ने प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें में झूठा बयान दिया इसी तरह पीड़िता का ब्याय फ्रेड सत्यम प्रकाश राय ने मुकदमें में झूठा बयान दिया।चुनाव के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विरोधियों ने प्रार्थी का पर्चा खारिज कराने की पुरजोर कोशिश की लेकिन पर्चा खारिज नहीं हुआ। प्रार्थी के जीतने के बाद विरोधियों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका दाखिल किया जिसकी सुनवाई के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जब माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को सांसद में जाकर शपथ लेने हेतु आदेश पारित किया, तब उस आदेश के विरूद्ध वादिनी पीड़िता ने मा० सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान विरोधियों द्वारा रची गई साजिश एवं षडयन्त्र का खुलासा आकाश शर्मा ने किया जिसकी जानकारी होने के उपरान्त प्रार्थी के पिता श्री भरत सिंह ने षडयंत्र को उजागर करने हेतु तथा कानूनी कार्यवाही करने हेतु एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेश पर इस मामले की प्रारम्भिक जांच सी०ओ० भेलूपुर को सौंपी गई जिन्होंने सम्बन्धित गवाहों का बयान लिया, आडियो, वीडियो का श्रवण एवं अवलोकन किया तथा सी०डी०आर० निकाला और एफ०एस०एल० रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रारम्भिक जांच अधिकारी ने अपने जांच निष्कर्ष में यह पाया कि अतुल राय के विरोधियों द्वारा उपरोक्त केस मे झूठा फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। इस प्रारम्भिक जांच के बाद इसी मामले की अन्तिम जांच पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा की गई और उन्होने भी अपनी जांच में पूर्व में की गई प्रारम्भिक जांच का समर्थन किया है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसकी प्रतिष्ठा एवं राजनैतिक छवि को नीचा दिखाने के लिए साजिश के तहत इस मुकदमें में झूठा फंसाया गया।

72- <u>जहां तक सुझाव के माध्यम से रखा गया बचाव साक्ष्य/प्रतिरक्षा साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सोबरन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 ACC(SH) 755(Criminal Appeal No- 6608/2009 निर्णय दिनांकित 28 August 2017)</u> में अधिवक्ता द्वारा दिया गया सुझाव के संबंध में <u>सिरमल बनाम अन्नापूर्णा देवी ए.आई.आर 1963 सुप्रीम कोर्ट 1906 व राजेश नामदेव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 (4) MAHLJ 267 (92), राकेश कुमार उर्फ बबली बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1987 CRLJ 535 (SC)</u> की विधि व्यवस्था को अंकित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि प्रतिपरीक्षा करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्रतिपरीक्षा में अभियक्त को अपना केस प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा अभियोजन पक्ष के गवाहों का कथन बिना चुनौती के माना जायेगा। लेकिन जो कथन अभियुक्त सुझावों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, वे कथन या तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से स्वतः साबित हों अन्यथा अभियुक्त उन्हें साबित करें।

73- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक/लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि बचाव पक्ष का कथन बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है दो पक्ष की वार्ता जिसमें दोनों पक्ष का अपना मोबाइल न होना और एक ही समय दोनों

WWW.LIVELAW.IN

मोबाईल व सिम सत्यम राय व अंगद राय को मिलना तथा प्राइवेट एजेन्सी से जॉच कर जॉच रिपोर्ट अपने पक्ष में कर लेना व उक्त जॉच रिपोर्ट की पुष्टि सरकारी एजेन्सी से न करवाना तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का पालन न करते हुये जांच रिपोर्ट दिया गया है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

74- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि साक्षी DW3 आकाश शर्मा व साक्षी साक्षी DW4 अम्बरीश कुमार राय तथा DW12 मनोज कुमार गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया दस्तावेज के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा DW13 रंजीत कुमार सिंह द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच के संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि FSL जांच के दौरान ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स में किसी तरह की कोई टैम्परिंग व डिजीटल फोर्जरी न पाया जाना व फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या ट्रांसप्लांटेशन नहीं पाया गया है तथा साक्षी DW3 आकाश शर्मा व DW6 विवेक द्वारा सत्यम प्रकाश राय को मोबाइल नम्बर 6386855351 उपलब्ध कराया जाना तथा DW5 कौस्तुभ राय तथा DW4 अम्बरीश कुमार राय द्वारा विजय शंकर तिवारी को मोबाइल नम्बर 6392335822 उपलब्ध कराना तथा विजय शंकर तिवारी द्वारा वही मोबाइल नम्बर 6392335822 अंगद राय को दिया जाना अभिकथित किया गया है।

75- <u>प्रश्नगत मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, 65क व 65-ख को भी अंकित किया जाना समीचीन है। प्रश्नगत मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65क में वर्णित है</u> कि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तुएं धारा 65-ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी।

76- <u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख में वर्णित है कि- (1)</u> इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी:- किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है और कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीन या चुम्बकीय माध्यम से भण्डारित, अभिलिखित या नकल की गयी है (जिसे एतस्मिनपश्चात् कम्प्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), दस्तावेज भी होना मानी जाएगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्तों का समाधान प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के सम्बन्ध में किया जाता है और किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अन्तर्वस्तु या उसमें अधिकथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(2) कम्प्यूटर उत्पादन के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् (क) सूचना के अन्तर्विष्ट करने वाले कम्प्यूटर उत्पादन का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा इस अवधि के दौरान किया गया था, जिसमें कम्प्यूटर का नियमित प्रयोग कम्प्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संसाधित करने के लिए किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट प्रकार की सूचना या इस प्रकार की सूचना, जिसमें इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना प्राप्त की जाती है, नियमित रूप से उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गयी थी;

(ग) उक्त अवधि के तात्विक भाग के दौरान कम्प्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, या यदि संचालित नहीं हो रहा था, तब किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में, जिसमें वह समुचित रूप से संचालित नहीं हो रहा था या अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था, जो इलेक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अन्तर्वस्तुओं की शुद्धता को प्रभावित करे; और

(घ) इलेक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गयी ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न होती है।

(3) जहाँ किसी अवधि में, किसी क्रियाकलाप के, जो नियमित रूप से उस अवधि में की गयी है, जैसा कि उपधारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित है, प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से कम्प्यूटर द्वारा किया गया था, चाहे-

का कार्य नियमित रूप से कम्प्यूटर द्वारा किया गया था, चाहे-

(क) उस अवधि के दौरान संचालित कम्प्यूटरों के संयोजन द्वारा; या

(ख) उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा; या

(ग) उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित कम्प्यूटर के विभिन्न संयोजन द्वारा; या

(घ) किसी अन्य ढंग में, जिसमें, उक्त अवधि के दौरान, एक या अधिक कम्प्यूटरों का उत्तरवर्ती संचालन, चाहे जिस क्रम में ही, और एक या अधिक कम्प्यूटर का संयोजन शामिल हो,

किया गया हो, वहाँ उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी कम्प्यूटरों को इस धारा के प्रयोजन के लिए एक कम्प्यूटर गठित करने वाला माना जाएगा और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा।

(4) किसी कार्यवाही में, जहाँ इस धारा के परिणामस्वरूप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला, अर्थात्--

(क) इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण है, जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित करते हुए;

(ख) किसी युक्ति की, जो उस इलेक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा किया गया था;

(ग) मामलों में से किसी पर, जिससे उपधारा (2) में वर्णित शर्तें सम्बन्धित हैं, विचार करते हुए, प्रमाण-पत्र को, जो सुसंगत युक्ति के संचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबन्धन (जो भी समुचित हो) के सम्बन्ध में उत्तरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, किसी मामले को, जो प्रमाण-पत्र में अधिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, यह उसे अधिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अधिकथित किये जाने वाले मामले के लिये पर्याप्त होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

WWW.LIVELAW.IN

(क) सूचना कम्प्यूटर में प्रदान की गयी मानी जाएगी, यदि उसे किसी समुचित रूप में उसको प्रदान की जाती है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी समुचित उपकरण के द्वारा प्रदान किया जाता है;
(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में, सूचना उन क्रियाकलापों के अनुक्रम के लिए भण्डारित या संसाधित किये जाने की की जाती है, तब वह सूचना, यदि सम्यक रूप से उस कम्प्यूटर को प्रदान की जाती है, उन क्रियाकलापों के अनुरूप में उनको प्रदान की गयी मानी जाएगी;
(ग) कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो।
स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सूचना के, जो अन्य सूचना से व्युत्पन्न हुआ हो, प्रति निर्देश उसके प्रति निर्देश होगा, जो संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा व्युत्पन्न हुआ हो।
77- इल्केट्रानिक साक्ष्य के संबंध में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Anvar P.V. Vs P.K. Basheer Civil Appeal no. 4226/2012 निर्णय दिनांकित 18.09.2014 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि Any documentary evidence by way of an electronic record under the Evidence Act, in view of Section 59 and 65A, can be proved only in accordance with the procedure prescribed under Section 65B. Section 65B deals with the admissibility of the electronic record. The purpose of these provisions is to sanctify secondary evidence in electronic form, generated by a computer. It may be noted that the Section starts with a non obstante clause. Thus, notwithstanding anything contained in the Evidence Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document only if the conditions mentioned under sub- Section (2) are satisfied, without further proof or production of the original. The very admissibility of such a document, i.e., electronic record which is called as computer output, depends on the satisfaction of the four conditions under Section 65B (2). Following are the specified conditions under Section 65B (2) of the Evidence Act:
(i) The electronic record containing the information should have been produced by the computer during the period over which the same was regularly used to store or process information for the purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of that computer;
(ii) The information of the kind contained in electronic record or of the kind from which the information is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activity;

WWW.LIVELAW.IN

(iii) During the material part of the said period, the computer was operating properly and that even if it was not operating properly for some time, the break or breaks had not affected either the record or the accuracy of its contents; and

(iv) The information contained in the record should be a reproduction or derivation from the information fed into the computer in the ordinary course of the said activity.

Under Section 65B (4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:

(a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;

(b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;

(c) The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;

(d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B (2) of the Evidence Act; and

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device. उक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि The person need only to state in the certificate that the same is to the best of his knowledge and belief. Most importantly, such a certificate must accompany the electronic record like computer printout, Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), pen drive, etc., pertaining to which a statement is sought to be given in evidence, when the same is produced in evidence. All these safeguards are taken to ensure the source and authenticity, which are the two hallmarks pertaining to electronic record sought to be used as evidence. Electronic records being more susceptible to tampering, alteration, transposition, excision, etc. without such safeguards, the whole trial based on proof of electronic records can lead to travesty of justice. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Arjun Panditrao Khotkar Vs. Kailash Kushanrao Gorantyal & Ors. 2021(1) JIC 876 (SC) Civil Appeal No. 20825-20826/2017 निर्णय दिनांकित 14 July 2020 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The required certificate under Section 65B(4) is unnecessary if the original document itself is produced. This can be done by the owner of a laptop computer, computer tablet or even a mobile phone, by stepping into the witness box

and proving that the concerned device, on which the original information is first stored, is owned and/or operated by him. In cases where the "computer" happens to be a part of a "computer system" or "computer network" and it becomes impossible to physically bring such system or network to the Court, then the only means of providing information contained in such electronic record can be in accordance with Section 65B(1), together with the requisite certificate under Section 65B(4).

78- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल दस्तावेज/मोबाइल न ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है न ही बचाव पक्ष द्वारा। इस संबंध में साक्षी DW3 आकाश शर्मा द्वारा अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि उसका मोबाइल टूट गया था, लेकिन उसका डिस्पले चल रहा था तथा मूल मोबाइल उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि उक्त मोबाइल SSP वाराणसी ने अपने पास रख लिया था। प्रश्नगत मामले में जहां साक्षी DW3 आकाश शर्मा द्वारा मोबाइल से प्राप्त ऑडियो वीडियो तथा DW6 विवेक द्वारा सत्यम प्रकाश राय की फेसबुक प्रोफाइल से डाउनलोड कर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना तथा DW4 अम्बरीश कुमार राय द्वारा ऑडियो की वार्ता तथा DW12 मनोज कुमार गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना अभिकथित किया गया है, वहीं पर इस संबंध में DW3, DW6, DW4 व DW12 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत मामले में साक्षी DW3 आकाश शर्मा द्वारा मोबाइल से प्राप्त ऑडियो वीडियो को साक्षी DW2 भरत सिंह को प्राप्त कराया गया तत्पश्चात् भरत सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को प्रार्थनापत्र के साथ 20 ऑडियो व 2 वीडियो का पेन ड्राइव प्राप्त कराया गया। तत्पश्चात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा प्रार्थनापत्र व ऑडियो वीडियो की जांच हेतु क्षेत्राधिकारी भेलूपुर को नामित किया गया। उक्त जांच में क्षेत्राधिकारी भेलूपुर द्वारा निम्न रिपोर्ट (प्रदर्श ख-3) एस.पी. सिटी वाराणसी को प्राप्त कराया गया जिसका सारांश निम्नवत् है- "अतः स्वतंत्र साक्षियों के बायन, ऑडियो क्लिप्स के अवलोकन/श्रवण से यह बात प्रकाश में आ रही है कि मु०अ०सं० 548/2019 धारा 420/376/504/506 भादवि को पीड़िता, सत्यम प्रकाश, अंगद राय व विजय शंकर तिवारी उपरोक्त द्वारा मु०अ०सं० 548/2019 के पंजीकरण पूर्व ही योजना बनाकर आवेदक के पुत्र अतुल राय को झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से अभियोजन पंजीकृत कराया जाना पाया जा रहा है, जिसके क्रम में मुकदमा उपरोक्त को अंतर्गत धारा 173 (8) दं०प्र०सं० के अंतर्गत पुनर्विवेचना कराया जाना समीचीन प्रतीत हो रहा है।" तत्पश्चात् विकास चन्द्र त्रिपाठी एस.पी.सिटी वाराणसी द्वारा क्षेत्राधिकारी भेलूपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर निम्न निष्कर्ष अंकित किया गया कि "प्रकरण में कुल 20 ऑडियो रिकार्डिंग (मोबाइल/फोन वार्ता) प्राप्त हुयी जिसका गहन अनुश्रवण किया गया एवं ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। समस्त ऑडियो रिकार्डिंग के अनुश्रवण से उसमें विनोद भैया, अनुज यादव, विनोद शर्मा, गोलू, मुख्तार अंसारी, शोभित गोलू, आशाराम, 8 मार्च 2018 की घटना, कबीरचौरा अस्पताल, पर्चा खारिज कराने, छोटी, एकाउण्ट में पैसा जाना, सुनील बाबू, पीड़िता, लंका थाना, सत्यम जेल में समय बिताना, राजेश पाण्डेय जी आदि का उल्लेख है। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी

WWW.LIVELAW.IN

भेलूपुर श्री अमरेश कुमार सिंह द्वारा अपनी जाँच में आवेदक एवं स्वतंत्र साक्षीगणों के अनुसार तथा पीड़िता एवं सत्यम राय द्वारा दिए गए अपने बयान में अंकित किया गया है कि आडियो रिकार्डिंग में सत्यम, पीड़िता, पीड़िता की माँ तथा सोनभद्र जेल में निरूद्ध आजीवन कारावास की सजा काट रहे ग्राम-शेरपुर थाना-भावरकोल निवासी कुख्यात अपराधी अंगद राय की आवाज है। उक्त आडियो रिकार्डिंग में कुख्यात अपराधी अंगद राय, मुख्तार अंसारी (विधायक मऊ) का नाम आना तथा अभियुक्त अतुल राय का स्वयं आपराधिक पृष्ठभूमि/हिस्ट्रीशीटर होना अत्यन्त गम्भीर है। प्रकरण में कथित मोबाइल फोन जिसमें उक्त आडियो रिकार्ड हुए थे तथा अब तक प्राप्त कुल 20 आडियो रिकार्डिंग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाना उचित होना जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त आडियो में बातचीत करने वाले कौन है, इसका समय क्या रहा तथा उक्त समस्त आडियो रिकार्डिंग कथित मोबाइल फोन में रिकार्ड हुआ है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भेलूपुर श्री अमरेश कुमार सिंह द्वारा अपनी जांच आख्या में थाना लंका पर पंजीकृत 548/2019 का अन्तर्गत धारा 173 (8) द०प्र०सं० के अन्तर्गत पुर्नविवेचना कराए जाने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त प्रकरण मु0अ0सं0 548/19 धारा 420, 376, 504, 506 भादवि थाना- लंका में आरोपी अनुज राय के विरुद्ध पुनः साक्ष्य संकलन तथा उक्त समस्त आडियो रिकार्डिंग एवं कथित मोबाइल फोन को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किए जाने हेतु नियमानुसार मा० न्यायालय को सूचित कर प्रकरण को 173/(8) द०प्र०सं० के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना कराया जाना समीचीन होगा।"

79- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य के रूप में सी.ओ. जांच आख्या प्रदर्श ख-1, जन सूचना के तहत दिया गया जांच आख्या प्रदर्श ख-2, जांच आख्या प्रदर्श ख-3, एस.एस.पी. को प्रेषित जांच रिपोर्ट कागज संख्या 138ख/4 लगायत 138/ब36 प्रदर्श ख-101 लगायत 136, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल आडियो का पेन ड्राइव प्रदर्श ख-4, ख-5, सूची 22ख के बयान अंतर्गत धारा 164 CrPC व F.I.R प्रदर्श ख-6, ख-7, मोबाइल, मैसेज का प्रिंटआउट प्रदर्श ख-8, ख-9 लगायत ख-67, प्रिन्टआउट के पैसों की रसीद, कार्बन कापी प्रदर्श ख-10 से प्रदर्श ख-68, शादी के कार्ड की मूलप्रति प्रदर्श ख-69, मैच की न्यूज व फोटोग्राफी, समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रदर्श ख-73 to 76, प्रदर्श ख-70, ख-71, ख-73, फॉरेंसिक ISO सर्टिफिकेट प्रदर्श ख 77-87, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्श ख- 88-89, ऑर्थर वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्श ख 90, वीडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट व ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट प्रदर्श ख 91, 92, फोटोग्राफ वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्श ख 95-96, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्श ख-98, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट प्रदर्श ख-94, ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट प्रदर्श ख-97, स्पीकर आइडेंटीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्श ख-93, प्रोफेशनल फीस की रसीद प्रदर्श ख-100, पीड़िता का हाईस्कूल का अंकपत्र प्रदर्श ख-137 प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संग्रहीत साक्ष्य के संबंध में Criminal MISC. Bail Application No- 2205/2020 Atul Kumar Singh Alias Atul Kumar Rai Vs. State of U.P. पारित आदेश दिनांकित 22.06.2021 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि In this matter, as is evident from the record, seven prosecution witnesses have been examined and some of them are still to be examined.

Genuineness/authenticity of the evidence collected under Section 173(8) CrPC is still to be decided by the trial court.

80- <u>प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स व हैंड राइटिंग की जांच के संबंध</u> में साक्षी DW13 रंजीत कुमार सिंह द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वह एम.एस.सी., पी.एच.डी, सी.एच.एफ.आई., सी.ई.एच, पी.जी. डिप्लोमा एंड फोरेंसिक साइंस एवं साइबर फोरेसिंक, सर्टिफिकेट कोर्ट इन फोरेंसिक साइस तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेशन इन फोरेंसिक साइंस फ्रोम दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उसकी संस्था का नाम शेरलोक इन्स्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस है। उसकी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स तथा आई.एस.ओ सर्टिफाइड फोरेंसिक लैब है। उसकी संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर U73100 DL2013PTC251209 है। भरत सिंह के द्वारा ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स व हैंड राइंटिग जांच हेतु सबूत उपलब्ध कराये गये थे उसमें से ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स व हैंड राइटिंग की जांच उसके द्वारा वैज्ञानिक विधि से किया गया था। आईडेंटीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, का 20 क्वेश्चन ऑडियो तथा स्पेशीमैन वीडियो का स्पेक्ट्रोग्राफी टेकनीक के द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि क्वेश्चन ऑडियो (Q1 से Q10) तथा स्पेशीमैन वीडियो वायस सैम्पल (S1 से S3) एक ही व्यक्ति की है तथा हैंड राइटिंग की जांच के संबंध में पेज नम्बर 10 पर अंगद राय के हस्ताक्षर तथा पेज नम्बर 11 पर मौजूद हैंड राइटिंग को वैज्ञानिक विधि से मिलान करने पर यह पाया गया कि दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2020/109, तथा एफ.एस.एल के रिपोर्ट का रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2020/109 ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/021, ट्रांसक्रिप्ट (SIFS/CYB/2021/158) एवं हैंड राइटिंग (SIFS/DOC/2021/022) ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/021, एफ.एस.एल के रिपोर्ट का रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/176 स्पीकर आईडेंटीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/171, फोटोग्राफ वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/020, ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, ऑडियो वेरीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/175, की FSL जांच के दौरान ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स में किसी तरह की कोई टैम्परिंग व डिजीटल फोर्जरी नहीं पायी गयी तथा फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया है।

81- प्रश्नगत मामले में जहां अभियुक्त द्वारा दिया गया सुझाव/प्रतिरक्षा तथा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जमानियाँ विधान सभा से वर्ष 2017 का विधान सभा का चुनाव लड़ा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता सिंह से लगभग 7000 वोटो से हार गया। लोक सभा चुनाव वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबन्धन के द्वारा चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा सीट घोसी गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी को मिली तब प्रार्थी इस क्षेत्र से चुनाव लडने हेतु आवेदन पत्र ब०स०पा० प्रमुख के समक्ष प्रेषित किया और बहुजन समाज पार्टी के टिकट वितरण की कमेटी ने घोषी लोक सभा क्षेत्र से गठबन्धन प्रत्याशी प्रार्थी/अभियुक्त को घोषित किया तथा अतुल

WWW.LIVELAW.IN

राय को लोकसभा 2019 के चुनाव में घोषी क्षेत्र से हराने के लिये सत्यम प्रकाश राय हरि नारायन राजभर व अंगद राय के कहने पर मोटी रकम लेकर झूठी कहानी वकीलों के मशवरे में गढ़कर पीड़िता को मोहरा बनाकर दिनांक 25 अप्रैल 2019 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गठबन्धन प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने के पश्चात् ठीक 6 दिन बाद दिनांक 01.05.2019 को पूर्व साजिश के तहत तैयार एक झूठी रिपोर्ट 07.03.2018 की घटना को दिखाते हुए थाना लंका वाराणसी में दर्ज करायी। वहीं पर पत्रावली में रक्षित कागज संख्या 207 ब के अवलोकन से स्पष्ट है कि सत्यम प्रकाश राय द्वारा फेसबुक पर दिनांक 14 जनवरी समय 12.15 पर प्रतिनिधि श्री राजीव राय राष्ट्रीय सचिव/प्रवक्ता 70 लोकसभा घोसी समाजवादी पार्टी अंकित करते हुये यह मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि "मुंह देखले बाड़ दतचियरू, दांतो के बीच से रेल (विधानसभा) गुजर गयी हवा नहीं लगा और चल देहला सुनामी (लोकसभा) से लड़े!! दुनिया इधर की उधर हो जायेगी फिर भी टट्टा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि उसका स्थान आप सभी को पता है!! फ्री का खाओगे तो कापी पेस्ट तो करना पड़ेगा ये आप लड़कों की गलती नहीं है उपर से फरमान आया होगा कि भउजी का टिकट कंफर्म हो गया पोस्ट कर दे !! हाहाहा हाहाहा। विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पोस्ट पर स्कीन सॉट लेकर= भईया जी देख रहे हैं सत्यमवा क्या लिख रहा है!! ससुर (भईया जी) देखने के बाद= घबराओ मत चुनाव लड़ लेने दो चुनाव के बीतते ही उसको गायब करके मरवा दूंगा !! बहुत कमी खरती है विधायक जी (स्व कृष्णानंद राय) आपकी कास आप होते हम लोगों के बीच तो न हम युवा गुमराह होते न कमजोर !! शहीद कृष्णानंद राय अमर रहें अमर रहें !!" सत्यम प्रकाश राय द्वारा फेसबुक पर दिनांक 24 जनवरी समय 12.15 की पोस्ट में यह मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि "लिखूंगा जो अवकी जल जायेगी सुलगी तो उसकी पहले से ही यारो !! हमारे गुरूवर के यहां शेर के बच्चों (भूमिहार राजपूत और इज्जतदार परिवार के लड़को) को लंगड़ा कुकुर बनने की कला में पारंगत नहीं किया जाता कि भोखे भी मेरे हिसाब से और चलें भी मेरे हिसाब से !! उदाहरण- दोनों भाइयों के साथ रहते तो तू अपना संक्रमण फैला नहीं पाता इसलिये तुमने अंग्रेजो के फूट डालो और राज करो कि नीति का अनुसरण कर उनके वंशज होने का परिचय दिया "सत्यमवा नहीं चाहा कि तुम अध्यक्ष बनो वरना तुमही वहां के अगले अध्यक्ष थे" हाहाहा हाहाहा "ससुर तुही अईता जितवावे" उदाहरण 2-ये उदाहरण कम सवाल ज्यादा है कि वर्तमान समय में अगर किसी का टिकट कंफर्म हो जायेगा तो वो इधर उधर लवंडीयाबाजी करेगा घुमकर कि प्रचार प्रसार करेगा और अगर टिकट लखनऊ से पैसा देकर कराया जा सकता है तो दिल्ली में घर बैठे उसको कैंसिल भी कराया जा सकता है " घबराओ मत टिकट कैंसिल होने पर पैसा तुम्हारे ही अकाउंट (दलाल) में जायेगा !! हाहाहा सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात टिकट नहीं मिलेगा तुमको अबकी बार !! हाहा । सत्यम प्रकाश राय द्वारा फेसबुक पर दिनांक 13 फरवरी समय 18.52 की पोस्ट में यह मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि "सपनों के विधायक और सांसद उर्फ दतचियरू जिनपर मेरे पोस्ट का असर कुछ इस कदर छाया कि लवंडीयाबाजी छोड़ सच में चुनावी समर में कूद गये हीहीही। कल कुछ ऐसा लिखूंगा कि जिससे मेरे दोस्त और दुश्मन दोनों के अंदर चले रही जिज्ञासा का अंत हो जायेगा जो मेरे पिछले पोस्ट पढ़ने के बाद मुझसे पूछ भी रहे और सोच भी रहे इसके बाद आप सब स्वयं से बोलने लगेंगे कि "अरे दतचियोरा सच्चो विधायक सांसद बनने

WWW.LIVELAW.IN

लायक नहीं ये तो टट्टा है टट्टा"!! शायद कल पढ़ने के बाद से वो सबकुछ छोड़कर मुझे खोजने और खोजवाने में लग जायेगा "पर मैं तुमको बता दें रहा दतचियरू कि मैं समय आने पर अपने पोस्ट की तरह ही तुम तक पहुंच जाऊंगा" "अच्छा सुना जा एक बात नोटिस कईला ह जा दतचियरू पोस्ट पढला के बाद से दांत चियारे पर विशेष ध्यान देले बा"। प्रश्नगत मामले में साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि राजीव राय जो घोसी लोक सभा से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जरिये मीडिया वह इनके बारे में जाना और इनसे मुलाकात हुयी। परंतु लोगों द्वारा वे उसे इनका प्रतिनिधि बताये जाने लगा। जब इसी घोसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव चल रहा था तभी इस घटना की FIR थाना लंका वाराणसी में दर्ज की गयी। इस संबंध में साक्षी DW6 विवेक राय द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि सत्यम प्रकाश राय उसके मामा हैं। घोसी लोकसभा सीट 2019 के चुनाव के लिये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय का नाम 14 जनवरी 2019 को इनके नाम की घोषणा हुई। जैसे ही अतुल राय को घोसी लोकसभा सीट 2019 के लिये प्रत्याशी घोषित किया गया, वैसे ही उसके मामा, सत्यम प्रकाश राय अत्यधिक परेशान हुये और उन्होंने घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीव राय, जिनके उसके मामा सत्यम प्रकाश राय प्रतिनिधि हुआ करते थे, को फोन किये। तब राजीव राय ने यह बताया कि अब घोसी लोकसभा सीट से बसपा-सपा, गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय ही घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगे और वह चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। इतना सुनते ही उसके मामा अत्यधिक परेशान हो गये और शाम को अपने फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुये, यह लिखा कि "दुनिया इधर की उधर हो जायेगी, परंतु अतुल राय चुनाव नहीं लड़ पायेगा। अतुल राय को इशारों में टट्टा नाम से फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग करते थे। इसी तरह आये दिन उसके मामा सत्यम फेसबुक पर पोस्ट करते रहे। उसने अपने मामा सत्यम राय से पूछा कि किसके लिये लिख रहे हो, तब मामा ने बताया कि अतुल राय को किसी भी कीमत पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने देना है, जिससे वहां फिर से राजीव राय चुनाव लड़ सके।

82- प्रश्नगत मामले में ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट Reference Number SIFS/CYB/2021/158 वाट्सअप ऑडियो की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

1- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 1 की संक्षिप्त वार्ता Voice 1- (vo) हम लोग हम लोग ये चाह रहे है वो लड़की तैयार हो हो गयी ना गैगरेप पे ना

Voice 2- तो अब यही बात है भैया की ये साला कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है यही चीज कह रहे

Voice 1- बात तो सही है बात तो सही है

Voice 1- अच्छा अच्छा अच्छा सुनिये गैंगरेप हो जाता ना गैगरेप हो जाता ना तो इसकी जमानत नहीं होती चारो लोग और इसका पूरा सारा काम धाम जो है सब

Voice 1- आप आप बात समझिये आप बात समझिये भरोसा अगर है तभी हम बात कर रहे सत्यम नहीं तो फोन रिकांडीग का जमाना है हम इतना खुल के (vo) कभी

Voice 1- मैटर अगर हमे भेज दीजिएगा तो हम एफ०आई०आर० तैयार करा देंगे

Voice 2- तो मैटर में अब हम क्या मैटर अब कराये सब इतना ही है कि वो शारीरिक संबंध बनाए और उसे इस तरीके से बर गलाया है बात खत्म बरगलाया की जैसे अब वो बोला की पहले तो एक दो बार चेंबर पर मिला था ठीक है

Voice 1- नहीं नहीं मिलने का तो वो जबसे चुनाव लड़ी है तब से मिल रही

Voice 1- 2015 से

Voice 2- मतलब आप लोग उसको यही चीज का मतलब पहले दिखाइये की पहले मतलब शादी का झासा दिया है और उसके बाद शादी का झासा देने के बाद शारीरिक संबंध स्थापित किया।

Voice 1- 76 नहीं लगेगा ये चार सौ उनाईस बीस लग जायेगा इसमें 76 नहीं लगेगा लेकिन 76 का जो मामला है वो नहीं आएगा क्योंकि सहमती से हुआ है वो नहीं आएगा क्योंकि सहमती से हुआ है ना

Voice 1- और जब ये कहा जाएगा कि जब 2015 में चुनाव लड़ी थी उसी समय ये हमारी मदद किये थे उससी समय से हम इनके संपर्क में थे यो हमारे साथ था ये हमारी वीडियो बनाए थे ये अपने घर पे बुलवाए थे रूम पे बुलवाए थे आप एक एक चीज का डिटेल।

2- <u>वाट्सअप ऑडियो नम्बर 2 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है</u>-

Voice 2- जी जी भैया बात हुई है लड़की से ठीक है ना

Voice 2- लड़की कह रही है कि आप जो कहे है मैं वो करने के लिये तैयार हूं तो उसका यही की आप ये एक मतलब साथ रहिएगा शुरू से अंत तक ठीक है तो

Voice 1- हम हम मेरा फोन रिकार्ड कर लीडिएगा हम मर जाएगे लेकिन पीछे एक कदम नहीं हटाएगे

Voice 1- जो मैं बताता जा रहा हूं ना जो मैं बता रहा हूं वो आप करते जाइये सारा काम करिये एफ०आई०आर कराइये अप्लीकेशन दिलवाईये

Voice 2- बिल्कुल

Voice 1- मेरे साथ मेरे साथ इतने दिनों से ये धमका के मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था पहले हम गए पहले हम गये हमे इस तरह से बुलवाया रूम पे हम गए और ये हमे हमारे साथ जबरदस्ती किया जबरदस्ती के बाद ये हमे जब हमने कहा कि हम प्रशासन में कहेंगे तो मारने की धमकी देने लगा फिर ये उसी के लिये पाइया से दिया हमे

Voice 2- जी जी

Voice 1- फला एकाउंट से समझ रहे है ना

Voice 1- तब हम अब उस दौर से गुजरते हुए हमें लगा कि अब उस तरह से भी मैं मर रही ह तो इस तह से भी मर जाउ क्या फर्क पड़ता है हम सच्चाई सारी दुनिया के सामने ला दे कम से कम

Voice 1- vo अतुलवा है भैया

Voice 1- विनोद भैया

WWW.LIVELAW.IN

Voice 1- हा अतुलवा है भैया

Voice 1- एफ०आई०आरवा कैसा होगा विनोद भया कईसे होगा

Voice 2- हम लिख देंगे लगा देगे आदमी को ले आके एस०एस०पी चाहे इनको बिठा देगा लड़कीया के तुरन्त हो जाएगा ई सब जाएगा ई सब मामले में तुरन्त एक्सन लेते है

Voice 1- तोड़ा सा मदद कर दीजिये इसकी माँ चोद दिया जाये

Voice 1- नहीं नहीं ये विनोद शर्मा है विनोद शर्मा किसी से पूछिएगा कोई बताएगा अनुज यादव के ग्रुप के नहीं है तो

3- <u>वाट्सअप ऑडियो नम्बर 3 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-</u>

Voice 2- हम S.S.P तक पहुंचाएगे आपको और उसके बाद ज ई से बता रहे है वइसे करते जाइए

Voice 2- देखिए हम 1 हफ्ता से अंदर पूरा परिणाम दे देंगे चुनाव से पहले ये जेल चले जायेंग

Voice 2- चुनाव से पहले (vo) इनको जेल भिजवा देंगे ये गारन्टी दे रहे है आपको

Voice 3- और ये इलेक्सन भी हार जाएगें

Voice 2- अच्छा ई बताइए विनोद भईया की अगर अगर हम लोग मेडिकल कराते है

Voice 2- तो ओ कैसे FIR होने के बादै मेडिकल होगा।

Voice 1- उ तो कराएगा ई पुलिस करायेगी

Voice 2- आप एक काम करिए तब तक FIR कराइए मेडिकल गम करवाएगें

4- <u>वाट्सअप ऑडियो नम्बर 4 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-</u>

Voice 1- हम एफ०आई०आर में यही दिलवाएगे कि

Voice 1- दो हजार पंद्रह से हम चुनाव लड़े ये यू०पी० कालेज में

Voice 1- उसी समय में हमारा इनका मुलाकात हुआ.....पॉस

Voice 1- उसी समय हमारा इन इनसे मुलाकात हुआ यह हमसे मिले जुले

Voice 1- मेरी तबीयत खराब हो जाती भी तो इलाज लिये पईया देते थे

Voice 1- बस वो इलाज के लिये दिया है सही बात है

Voice 1- तो ओ इलाज के लिये दिया है तो जब यह हमारे साथ गलत काम करते थए जब मेरी तबीयत बिगड़ती थी खराब होती थी

Voice 1- और वह वीडियो का धमकी देते थे जान से मारने की धमकी देते थे

Voice 1- मुझे लगा कि अब मैं मर जॉउगी इस तरह से रही झेल पाउगी तो समाज के सामने मैं आ गई

WWW.LIVELAW.IN

Voice 2- (Vo) ठीक है हम आको भेजेगें जो आपको लगेगा फिर उसमें करेक्सन कर लिया जाएगा फिर वही टाईप करवा के अपना टाईप करवा के और अपना दस्तखत कर के वही दे दीजिएगा चार पांच प्रतिलिपि लिख लीजिएगा समझ रहे है ना

5- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 5 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

Voice 2- तो हम उ यादव लड़कियों को तैयार कर लेते है

Voice 1- त हम इनके नोच के रख देन जान ले हा

Voice 2- अरे भईया तब उ जान कितने का ह कि उनकी मॉ बहन एक हो जाती कि नहीं भईया

6- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 8 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

Voice 1- यह 76 का मामला है और आप पर हमला होने का मतलब है ना

Voice 1- और उन पे हमला होने का मतलब सड जायेगे जेल में मादरचोद जमानत नहीं होगा...... पुस

Voice 1- उ कल्पना भी नहीं कर सकते है सोचने की बात छोडिए और चुनाव जीतने दीजिए हम बताएगे न

Voice 1- आप एक आप गवाह है न उसमें

Voice 2- व हम ही एकमात्र है भईया....जी

Voice 1- बस अ...अप एक लंका थाने में अप्पलीकेशन डालिएगा आप पर कोई मुकदमा तो है नहीं

7- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 10 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

Voice 1- पहिले वहॉ महिला आयोग में करवाके

Voice 1- तब इहॉ तु डी०एम० से डायरेक्ट बात कर

Voice 1- ताकि वहॉ वहॉ डी०ए० वहॉ महिला आयोग से भी जुड़ जाय और एक लाईन ओमें बढ़ा देले के हव कि अगर मेरी हत्या होती है

Voice 1- अगर मेरी हत्या होती है तो अतुल राय के द्वारा ही किया जायेगा

Voice 1- इसके पूर्णतः जिम्मेदार मेरे मृत्यु पूर्व इस इसको बयान माना जाए और इसके पूर्णतः जिम्मेदार अतुल राय हो।

Voice 1- और एफ०आई०आर० में गैंगरेप चार लोगों का नाम डालिएगा

Voice 1- चार लोगों का नाम अगर डालिएगा तो हम पूरी बात इसलिये आपको बता दे रहे है मुकदमा का टेक्नीकल

Voice 1- चार लोगों का नाम होगा जब गैंगरेप जब होगा ते बेल नहीं होगा

Voice 1- बालू का रैक और टावर और वो ये सब कितना है पैसा

Voice 2- not clear तब भी 10...15 करोड़ का टिकट खरीद ले रहा है

WWW.LIVELAW.IN

Voice 1- आप आप जी है वहां आप जो है पहले पहले हॉ बात करिए महिला आयोग में कल डलवाइये अप्लीकेशन

Voice 2- तो भईया दिल्ली अगर कोई हो तो बताईये तो एक वकील सिस्टम में आ जाता मतलब बढ़िया टाईप का जो बताता उसी चीज को हम कहलवाते

Voice 1- अगर हम अगर हम अगर किसी और को हम इनवाल्ब कर रहे है ना तो

Voice 1- कही से उस मादरचोद का अगर लिंक निकल जाएगा तो वो

Voice 2- चूंकि महिला आयोग का क्या है कि महिला आयोग के पास लड़की जाएगी ना

Voice 2- तो लड़की को फिर हमसे अलग कर देगे सब

Voice 2- और इसके बाद लड़की को अपने कस्टडी में रखेगें और सबकुछ

Voice 1- हम्म

Voice 2- मतलब बनारस भी जाना होगा तो महिला आयोग वाले ही लेकर जाएंगे तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम उम्म ले जाने में कोई not clear लेकर के चले गये तो हम भी तो प्रक्रिया नहीं जान रहे है।

Voice 2- और उसके बाद लड़की को उ सब ना छोड़े चाहे कुछ भी

Voice 2- तो फिर गड़बड़ा जाएगा और लड़की बयान अगर बदल दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा

Voice 2- कोई दिक्कत नहीं है भईया हमारे पास वकील एक नम्बर है बस हमें थोड़ा सा पॉस (vo)

Voice 1- कोर्ट से करिएगा

Voice 1- कोर्ट से नहीं करना है समय बहुत ज्यादा लग जाएगा

Voice 2- तो इसी तरह हम इनसे पूरा एक अप्लीकेशन लिखवा लेंगे जैसे कि आप वर्मा जी को बताए है बनारस में

Voice 1- बिल्कुल

Voice 2- उसी तरह उनसे उनसे लिखवा कर के और लड़की का दो चार बार पढ़वा देंगे।

Voice 2- ये 2015 से उनके साथ ये बलात्कार कर रहे है तो

Voice 2- हॉ हॉ हॉ

Voice 1- गैंगरेप गैंगरेप

Voice 1- और बीसो बार किये है सब

Voice 1- और जब जब तबीयत खराब हुई है तो इलाज के लिये पइसा दिया है

Voice 1- चार लोग हो गए शोभित गोलू शोभित गोलू जो मैनेजर उसका भेजा है पैसा वो अतुल राय

WWW.LIVELAW.IN

Voice 2- हॉ

Voice 1- और का किसी एक का नाम डाल दीजिए तीन से ज्यादा हुआ तो गैंगरेप

Voice 2- हॉ ना

Voice 1- अरे भई क्यों नहीं समझ रहे है आशाराम बापू जैसा आदमी है पूरी

Voice 2- भईया जान रहे आप और हम आप अलग बात है ना थोड़ा सा लड़की के लिये भी सोचिए अब सत्यम को समझिए कि मतलब हम देखिए हम लोग करने कराने को कर दे लड़की मेरे कहने पे।

8- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 11 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत है-

Voice 1- पीड़िता पीड़िता से बात हो रहा है तो आप इनको कहिये की बनारस में सेट करिये दस बीस पचास लड़कियो के इनके साथ

Voice 2- अच्छा जी जी

Voice 1- और चुनाव का समय चल रहा है पी०एम० ओ० के सामने (bv-----) बैठ जाय धरने पर नहीं तो गिरफ्तारी हो और नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे पी०एम०ओ० के सामने भी हमारे साथ

Voice 1- अ स्पष्ट कहे कि हमारे साथ इसने गलत किया है

Voice 1- हमारे साथ गलत किया है ये अपने ऑफिस

Voice 2- हॉ हॉ

Voice 1- ये बुलाके

Voice 2- हॉ हॉ हॉ

Voice 1- अपने घर पे बुलाके

9- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 12 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत है-

Voice 1- हम लोगो का पैतीस से चाली (vo) पैसीत से चालीस मिनट हुआ था भईया इनका बयान

10- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 13 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत है-

Voice 2- ये कह रहे है कि प्रेस कांप्रेंस हो जाये पीड़िता का म उ में

Voice 1- कब करवााय जाये बताइये

Voice 2- नहीं नहीं ऐसा है ना कि सांसद से बात कर लूंगा सांसद डायरेक्ट इनवाल्व नहीं रहेगे

Voice 1- हॉ हॉ आप लोग रहियेगा कोई दिक्कत नहीं है।

Voice 2- चार पाच हजार अपना लोग इकट्ठा हो जायेगे तगड़े से समझ रहे हैं ना

Voice 2- उसका खर्च वो हम देंगे वहां का खर्च होगा वो वहम वो करेगे

11- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 14 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत है-

WWW.LIVELAW.IN

Voice 1- और रोज शाम को अपना पानी वानी पीके तब बन्द कर के जाते है लोग अब बन्दी हो गयी हमारे जेल की

Voice 1- सब अन्दर अब बैरिक में हम तो ऐसे भी बन्दे रहते है कभी नहीं निकलते है बैरिक से

Voice 1- मुलाकात से ही निकलते है जब मुलाकात आती है तब नहीं तो उसके बाद जाना ही नहीं है गेट सेट पे

12- वाट्सअप ऑडियो नम्बर 16 की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

Voice 1- उस में आर्डर में अब करेक्शन नहीं होगा।

Voice 1- अब इनको बहुत होगा तो न्यायालयी प्रक्रिया से शपथ लेने जायेगे ना भैया

Voice 2- हम आपको लिख कर दे दे रहे है कि कुछ भी नहीं होगा बिना अन्दर गये

Voice 1- ई शपथ नहीं लेगा तो ये ससंदे नहीं बन पाएबा इसी तरह

Voice 3- हमारे पास वैसा रूलिंग है कहिएगा तो हम व्हाट्सएपपर ऑडर भेज देंगे नहीं लेने दिया सरकार ने

Voice 3- अगर सरकार चाहेगी तो उनको नहीं लेने देगी शपथ सत्यम

83- प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि DW13 रंजीत कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स व हैंड राइंटिग जांच वैज्ञानिक विधि से किया जाना तथा आईडेंटीफिकेशन रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/158, का 20 क्वेश्चन ऑडियो तथा स्पेशीमैन वीडियो का स्पेक्ट्रोग्राफी टेकनीक के द्वारा जांच किया जाना व क्वेश्चन ऑडियो (Q1 से Q10) तथा स्पेशीमैन वीडियो वायस सैम्पल (S1 से S3) एक ही व्यक्ति का होना तथा हैंड राइटिंग की जांच के संबंध में पेज नम्बर 10 पर अंगद राय के हस्ताक्षर तथा पेज नम्बर 11 पर मौजूद हैंड राइटिंग को वैज्ञानिक विधि से मिलान करने के पश्चात् दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पाया जाना तथा FSL जांच के दौरान ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स में किसी तरह की कोई टैम्परिंग व डिजीटल फोर्जरी न पाया जाना व फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या ट्रांसप्लांटेशन का न होना अभिकथित किया गया है, वहीं पर क्षेत्राधिकारी भेलूपुर व एस.पी.सिटी वाराणसी द्वारा ऑडियो वीडियो के अवलोकन के पश्चात् अंतर्गत धारा 173 (8) CrPC की संस्तुति किया जाना अभिकथित किया गया है तथा प्रश्नगत मामले में ऑडियो की पहचान के संबंध में जहां साक्षी DW1 अमरेश सिंह बघेल तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भेलूपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श ख-101 में ऑडियो की पहचान के संबंध में यह अंकित किया गया है कि पीड़िता द्वारा अपनी मां व सत्यम प्रकाश राय तथा सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपनी व विवेक राय की आवाज की पहचान की गयी है। वहीं पर उक्त साक्षी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि पीड़िता द्वारा हस्तलिखित बयान प्रस्तुत किया गया तथा ऑडियो क्लिप में अपनी मां की आवाज व सत्यम प्रकाश राय की आवाज को तसदीक किया गया तथा सत्यम प्रकाश राय द्वारा भी हस्तलिखित बयान प्रस्तुत किया गया तथा सत्यम प्रकाश राय द्वारा अपनी व अपने रिश्तेदार तथा एक वकील की आवाज को तसदीक किया गया। प्रश्नगत मामले में पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श ख- 127 में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता द्वारा अपनी मां व सत्यम प्रकाश राय की आवाज तथा सत्यम प्रकाश राय ने अपनी आवाज को पहचान कर प्रमाणित किया है तथा साक्षी DW6 विवेक राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में भी यह अभिकथित किया गया है कि आकाश शर्मा द्वारा मामा सत्यम प्रकाश राय को मोबाइल फाइनेंस कराया तथा आकाश शर्मा ने अपने नाम से सिम दिया जिसका नम्बर 6386855351 था तथा क्षेत्राधिकारी भेलूपुर द्वारा जरिये समन तलब किया गया तथा ऑडियो रिकार्डिंग सुनायी गयी तो वह अपने मामा सत्यम राय व अंगद राय की आवाज को पहचाना। साक्षी DW3 आकाश शर्मा द्वारा भी अपने सशपथ बयान में सत्यम प्रकाश राय को अपनी आई.डी. पर मोबाइल फाइनेंस कराना तथा अपनी ही आई.डी. पर सेल नम्बर 6386855351 प्राप्त कराया जाना तथा ऑडियो में सत्यम प्रकाश राय व अंगद राय की आवाज होना अभिकथित किया गया है। साक्षी DW4 अम्बरीश कुमार राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि वह अपने मित्र कौस्तुभ राय का सिम नम्बर 6392338522 का प्रयोग करता था। विजय शंकर तिवारी के मांगने पर वह सिम विजय शंकर को दे दिया तथा विजय शंकर ने वह सिम अपने बहनोई अंगद राय को दे दिया। साक्षी DW5 कौस्तुभ राय द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में यह अभिकथित किया गया है कि वह अम्बरीश राय को अपनी आई.डी. से सिम दिया था जिसका नम्बर 6392338522 था तथा अम्बरीश राय ने वह सिम विजय शंकर तिवारी को दे दिया तथा विजय शंकर तिवारी ने वह सिम अंगद राय को दे दिया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा DW13 रंजीत कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट के संबंध में Banita Chandha Vs Ankit Chadha Punjab - Haryana High Court (D.B) निर्णय दिनांकित 22 April, 2019 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि Ranjeet Kumar, Forensic Expert. This witness submitted his report Exhibit P.8 concluding therein that the e-mails received were legitimate and header source reflected the genuine information, meaning thereby that the e-mails were not a spoof or sent by fake mail sending utilities. The said witness was cross-examined at length, but his testimony could not be impeached in any manner. प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा की गयी परंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया, न ही अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त साक्षीगण के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

84- प्रश्नगत मामले में जहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि बिरजूराम हत्याकांड दिनांकित 28.05.2015 में घटना की खुलासा हेतु अतुल राय तत्कालीन जमनिया विधानसभा प्रत्याशी व तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार बांगड़ी द्वारा एस.पी. व डी.एम. से मुलाकात की गयी। घटना का खुलासा में अंगद राय व तीन-चार नाम प्रकाश में आया तभी से अंगद राय से अभियुक्त की रंजिश चल रही है। उक्त रंजिश के कारण अभियुक्त को झूठा फसाया गया है।

WWW.LIVELAW.IN

85- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। ऐसी दशा में उक्त तथ्य का कोई महत्व नहीं है।

86- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा साक्षी DW8 विनोद कुमार बांगड़ी द्वारा अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि वह बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था। वह बिरजू राम को जानता है जो सेक्टर अध्यक्ष थे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। बिरजू राम की हत्या 28.05.2015 को थाना भांवरकोल में हुयी थी। अतुल राय जमनिया विधानसभा के प्रत्याशी थे। घटना का खुलासा और अपराधी की पकड़ न होने पर अतुल राय व वह प्रतिनिधि मंडल बनाकर S.P. तथा D.M. से मुलाकात की तथा कप्तान साहब ने जब घटना का खुलासा किया तब अंगद राय व तीन चार नामों को प्रकाश में लाया गया। प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा कागज संख्या 235ख/3 आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी गयी जिसमें अंगद राय व आदि के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302,506,120,216 IPC में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा दाखिल ऑडियो के संबंध में DW13 रंजीत कुमार सिंह द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि ऑडियो की जांच उसके द्वारा वैज्ञानिक विधि से किया गया। ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट रेफरेंस नम्बर SIFS/CYB/2021/176 की FSL जांच के दौरान ऑडियो में किसी तरह की कोई टैम्परिंग व डिजीटल फोर्जरी नहीं पायी गयी। ऑडियो की संक्षिप्त वार्ता निम्नवत् है-

Voice 2- ठीक है भईया....मदद कर दीजिये गुड्डू भईया इसकी मां जाये भोसड़ी वाला बड़ा विरोध किया है.... समझ रहें है ना

Voice 1- ह हूं

Voice 2- सदन वदन भईया को जेल भिजवाने समें इसी का हाथ था....

Voice 1- अच्छा ऊ जवन हा 320B वाली केसीया थी

Voice 2- हाँ हाँ भईया जो....चमार वाली हत्या हुयी थी जउसमें यही

Voice 1- हां

Voice 2- जेल भिजवाया था भईया... ये ..... किया था

Voice 1- अच्छा अच्छा

Voice 2- क्योंकि जिला अध्यक्ष तो.... भेजा था प्रतिनिधि मंडल बना के माधरचोद....

Voice 1- ह ह

Voice 2- और उसमें हमारे साथ.... जेल गये थे बहुत हमारी बैईज्जती हुयी थी समझ लीजिये... और हम बता नहीं सकते

Voice 1- हम्म चल ठीक बा त काल तू... से जईब तू बतीयाल वकील साहब से हमहू बात कर ले तानी उनका से

Voice 2- आप बतियाली भईया आ हम न बतियाईब आप बतायाली हम आपके यहां पांच बजे भेजब...

WWW.LIVELAW.IN

Voice 1- ठीक ठीक बा

Voice 2- आपके यहां meeting होगी पांच बजे भईया इस चीज को आप अपने दिमाग में रखियेगा वकालत नामा भी मगवा लीजियेगा जो कुछ भी करना कराना होगा लेकिन हर कागज पे आप अपने को दृढ रखियेगा आप उसके मालिक हैं भईया गलत हाथ में ना जाये कोई चीज

Voice 2- उन लोगों के पास कुछ है नहीं.... सिर्फ... उन सबो के पास कुछ नहीं है भईया... और मदद कर रहे है हम.. तो क्या करेगें तो आप खुदे समझ रहे हैं चौदाह साल से जेले न काट रहे है।

87- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथित किया गया है कि पीड़िता व सत्यम प्रकाश राय द्वारा अंगद राय से राजनीतिक दुश्मनी व रंजिश के कारण अभियुक्त को लोकसभा चुनाव में हराने हेतु राजनीतिक साजिश के कारण मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा तहरीर की प्रति भी अंगद राय द्वारा जेल से तैयार कर वाट्सअप के माध्यम से भेजी गयी तथा तहरीर टाइप कराने के पश्चात् वाट्सअप के माध्यम से पीड़िता को प्रेषित की गयी, जिस पर Scanned by Cam Scanner अंकित है।

88- इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि तहरीर स्वयं पीड़िता द्वारा टाइप कराकर हस्ताक्षर अंकित करने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है न कि तहरीर वाट्सअप के माध्यम से प्राप्त हुयी है।

90- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि S.T. No- 35/15 सरकार बनाम आशीष राय के रिमाण्ड शीट (प्रमाणित प्रतिलिपि) तथा DW6 विवेक राय द्वारा हस्तलेख तहरीर के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रमाणपत्र के साथ (हस्तलिखित तहरीर कागज संख्या 207ब/14) प्रस्तुत किया गया है तथा रिमाण्ड शीट पर अंकित अंगद राय का हस्ताक्षर तथा तहरीर के हस्तलेख/हैंड राइटिंग की पहचान के संबंध में DW13 रंजीत कुमार सिंह द्वारा अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि फोटो वेरीफिकेशन रिपोर्ट Ref.No. SIFS/CYB/2021/020 प्रदर्श ख-95 व आथर वेरीफिकेशन रिपोर्ट Ref.No. SIFS/CYB/2021/022 प्रदर्श ख-90 पर हैंड राइटिंग की जांच के संबंध में पेज नम्बर 10 पर अंगद राय के हस्ताक्षर तथा पेज नम्बर 11 पर मौजूद हैंड राइटिंग को वैज्ञानिक विधि से मिलान करने के पश्चात् दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पाया जाना तथा FSL जांच के दौरान फोटोग्राफ्स में किसी तरह की कोई टैम्परिंग व डिजीटल फोर्जरी न पाया जाना व फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या ट्रांसप्लांटेशन का न होना अभिकथित किया गया है। <u>प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क-1 पर Scanned by Cam Scanner अंकित है।</u> इस संबंध में पीड़िता द्वारा जहां अपने सशपथ बयान में यह अभिकथित किया गया है कि जब वह प्रमुख सचिव गृह से मिली तो वह अपना प्रार्थनापत्र लिखकर ले गयी थी तथा वह टाइप कहां कराया था, वह नहीं बता सकती तथा डी.जी.पी से मिलने के पश्चात् वह सीधे लंका थाना गयी। थानाध्यक्ष लंका वाराणसी को कोई प्रार्थनापत्र हस्तलिखित/टंकित नहीं दिया था, न देने का कोई कारण नहीं बता सकती। वहीं पर पत्रावली पर रक्षित तहरीर 6अ/1(प्रदर्श क-1) प्रिंटआउट है उस पर Scanned by Cam Scanner अंकित है। इस तहरीर के संबंध में स्वयं

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट कारण Scanned by Cam Scanner के संबंध में दर्शित नहीं किया गया है।

91- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जहां मौखिक/लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि बचाव पक्ष के संज्ञान में जब यह तथ्य था कि पांच लाख रूपये लेकर एफ.आई.आर लिखाया गया तथा बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया तथा वीडियो व फोटोग्राफ्स प्राप्त हो चुके थे, परंतु बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। यदि प्रतिपरीक्षा की जाती तो बचाव पक्ष का कथन मिथ्या साबित हो जाता।

92- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि मुख्य परीक्षा में अंकित अभिकथनों पर बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है न कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य पर तथा बचाव पक्ष का यह अधिकार है कि मुख्य परीक्षा में आये किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा करें अथवा न करे। अभियोजन पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह यह अभिकथित करे कि बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षा में किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा करे व किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा न करे।

93- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जहां मौखिक/लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि बचाव पक्ष के संज्ञान में जब यह तथ्य था कि पांच लाख रूपये लेकर एफ.आई.आर लिखाया गया तथा बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया तथा वीडियो व फोटोग्राफ्स प्राप्त हो चुके थे, परंतु बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। यदि प्रतिपरीक्षा की जाती तो बचाव पक्ष का कथन मिथ्या साबित हो जाता। वहीं पर इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा Muddasani Venkata Narsaiah (D) Th. Lrs Vs. Muddasani Sarojana 2016 (2) JCLR 376 (SC) की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि The effect on non-cross-examination is that the statement of witness has not been disputed. The effect of not cross-examining the witnesses has been considered. प्रश्नगत मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि बचाव पक्ष के संज्ञान में जब यह तथ्य था कि पांच लाख रूपये लेकर एफ.आई.आर लिखाया गया तथा बैंक अकाउंट में पैसा डाला गया तथा वीडियो व फोटोग्राफ्स प्राप्त हो चुके थे, परंतु बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस संबंध में यह अंकित करना समीचीन है कि मुख्य परीक्षा में अंकित अभिकथनों पर बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है न कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य पर तथा बचाव पक्ष का यह अधिकार है कि मुख्य परीक्षा में आये किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा करें अथवा न करे। अभियोजन पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह यह अभिकथित करे कि बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षा में किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा करे अथवा किन तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा न करे। प्रश्नगत मामले में यह भी अंकित करना समीचीन है कि इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे बचाव पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का खण्डन हो सके तथा साक्षीगण के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

WWW.LIVELAW.IN

94- प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक/लिखित बहस में यह अभिकथित किया गया है कि यदि विवेचक द्वारा मुल्जिम का मोबाइल नम्बर 740000009 का सी.डी.आर निकाला गया होता तो पता चल जाता कि मुल्जिम घटनास्थल पर था या नहीं या गाजीपुर में किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहा था तथा स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने बयान में पीड़िता से वार्ता का रिकार्ड दाखिल किया उसमें भी मुल्जिम का मोबाइल नम्बर 740000009 दिखाया है तथा घटनास्थल की दूरी व अभियुक्त की उपस्थिति जमनिया गाजीपुर से मात्र लगभग 110 किलोमीटर है तो उक्त स्थान से आने में एक से डेढ़ घंटा लगता है ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था या उपस्थित नहीं हो सकता था।

95- प्रश्नगत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा न तो कोई बयान दिया गया है न ही पीड़िता सो वार्ता का कोई रिकार्ड दाखिल किया है जिसमें अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 740000009 दिखाया गया हो तथा जहां अभियोजन पक्ष द्वारा मुल्जिम का मोबाइल नम्बर 740000009 होना अभिकथित किया गया है वहीं पर पीड़िता द्वारा अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 7408000009 होना अभिकथित किया गया है। प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 740000009 व 7408000009 होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा जहां अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 7408000009 होना अभिकथित किया गया है। वहीं पर अभियोजन साक्षी DW7 विवेचक द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि मोबाइल नम्बर 7408000009 की जांच में यह पाया गया कि यह अभियुक्त का न तो मोबाइल नम्बर है न ही अभियुक्त द्वारा इस मोबाइल नम्बर का कभी प्रयोग किया गया है।

96- प्रश्नगत मामले में जहां तक Alibi का प्रश्न है इस संबंध <u>में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dhananjoy Chatterjee Vs. State of West Bengal, (1994) 2 SCC 520</u>, में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The plea of alibi must be proved by cogent and satisfactory evidence completely exluding the possibility of the presence of the accused at the scene of occurrence at the relevant time.

97- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जहां अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने बयान में पीड़िता से वार्ता का रिकार्ड दाखिल किया उसमें भी मुल्जिम का मोबाइल नम्बर 740000009 दिखाया है, वहीं पर इस संबंध में न तो अभियुक्त का कोई बयान है न ही मोबाइल नम्बर 740000009 से पीड़िता व अभियुक्त का वार्ता का कोई रिकार्ड है न ही उक्त मोबाइल नम्बर अभियुक्त के होने का कोई साक्ष्य है। प्रश्नगत मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा मुल्जिम का मोबाइल नम्बर 740000009 होना अभिकथित किया गया है वहीं पर पीड़िता द्वारा अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 7408000009 होना अभिकथित किया गया है तथा पीड़िता द्वारा जहां अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 7408000009 होना अभिकथित किया गया है, वही पर अभियोजन साक्षी DW7 विवेचक द्वारा मोबाइल नम्बर 7408000009 के संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि जांच में यह पाया गया कि यह अभियुक्त का न तो मोबाइल नम्बर है न ही

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त द्वारा इस मोबाइल नम्बर का कभी प्रयोग किया गया है। प्रश्नगत मामले में जहां तक Alibi का प्रश्न है इस संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी DW12 मनोज गुप्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि सन् 2018 सात मार्च को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमनिया के अंतर्गत देवेथा गांव में दिन-रात्रि के फुटबाल टूर्नामेंट में खेल का न्यूज कवर करने के लिये बुलाया गया था। उस दिन बसपा नेता अतुल राय द्वारा सायंकाल साढ़े पांच बजे फीता काटकर व आतिशबाजी करके बतौर मुख्य अतिथि उस मैच का उदघाटन किया। यह मैच लगभग सायंकाल छः बजे प्रारंभ हो गया था। मैच के समापन पर विजेता और उपविजेता को मुख्य अतिथि अतुल राय द्वारा शील्ड का वितरण किया गया था। जो शील्ड का वितरण अतुल राय द्वारा किया गया था मैच के समापन पर उसका उसने फोटोग्राफी भी किया था और न्यूज के साथ उसने उस फोटो को चलाया भी था। मैच का समापन रात्रि में लगभग आठ बजे हुआ था। बतौर पत्रकार वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का कार्यक्रम के संबंध में बयान नहीं ले पाया तथा अतुल राय का बयान न लिये जाने के कारण वह उनके मोबाइल नम्बर 7703008754 पर उसने कॉल किया। जब वह अतुल राय के पास पहुंचा तो उस समय साढ़े आठ से पौने नौ का समय हो रहा था। जब वह वहां पर पहुंचा तो इस बात की जानकारी हुयी कि ग्यासुद्दीन के यहां दावते वलीमा का कार्यक्रम है, वहां पर अतुल राय ने मैच के संबंध में अपना बयान दिया। इस संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी DW11 ग्यासुद्दीन द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि 7 मार्च 2018 को उसके भतीजे नेक मो०खां पुत्र सलाउद्दीन खां का दावते वलीमा था। दावते वलीमा में अतुल राय को भी आमंत्रण दिया गया था। दावते वलीमा में अतुल राय शरीक हुये थे। दावते वलीमा का यह कार्यक्रम आठ बजे के आसपास प्रारंभ हुआ था तथा रात्रि दस बजे तक चला था। जिस दिन उसके यहां दावते वलीमा का कार्यक्रम था उसी दिन साबोरिया कप फुटबाल रात्रि दिन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाना था। इस मैच के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी जमानिया के पूर्व प्रत्याशी अतुल राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। उनके साथ कई पत्रकार बन्धु भी आये थे और उसके यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता किया था। अतुल राय उसके यहां दावते वलीमे में साढ़े आठ बजे आये थे और रात्रि लगभग पौने दस बजे उसके यहां से निकले थे।

98- प्रश्नगत मामले में जहां यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त घटना की तिथि 07.03.2018 पर जमनिया गाजीपुर में साबोरिया स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट में उपस्थित था तत्पश्चात् ग्यासुद्दीन के यहां आयोजित दावते वलीमा में उपस्थित था न कि घटनास्थल पर। वहीं पर इस संबंध में जहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रमाणपत्र के साथ प्रदर्श ख-73, ख-74, ख-75 व ख-76 समाचार पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत किया गया है। उक्त में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाना दर्शित है तथा वाट्सअप की फोटोप्रति प्रदर्श ख-76 में वाट्सअप पर पोस्ट 8 pm, 9.45 pm, 10.03 pm पर किया जाना अंकित है तथा अक्द निकाह कार्ड प्रदर्श ख-69 में दावते वलीमा की तिथि 07 मार्च 2018 अंकित है। प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा की गयी, परंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे उक्त साक्षीगण के साक्ष्य का खण्डन हो सके तथा उक्त साक्षीगण के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

WWW.LIVELAW.IN

99- <u>प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचना विश्लेषण तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि</u> जहां पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा ड्राईवर का नम्बर दिया गया व ड्राईवर से उसकी वार्ता हुयी, परंतु वहीं पर पीड़िता द्वारा ड्राईवर का नाम, मो नं० व कार का नम्बर न बताया जाना तथा प्रश्नगत मामले में पीड़िता द्वारा घटना की तिथि पर मां को फोन किया जाना तथा घटना की तिथि पर सत्यम प्रकाश राय का फोन आना अभिकथित किया जाना तथा पीड़िता द्वारा अपना व मां का तथा सत्यम प्रकाश राय का मोबाइल नम्बर न बताया जाना तथा PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा भी घटना की तिथि 07.03.2018 को पीड़िता का व स्वयं का मोबाइल नम्बर न बताया जाना तथा घटना की सूचना पीड़िता व पीड़िता की मां द्वारा किस मोबाइल नम्बर द्वारा दिया गया तथा घटना की सूचना किस मोबाइल नम्बर पर प्राप्त किया गया उक्त दोनों मोबाइल नम्बरों को न बताया जाना तथा पीड़िता द्वारा यह अभिकथित किया जाना कि घटना की तिथि पर अभियुक्त का मैसेज "<u>मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर आ गया हूँ। तुम यही रहो मैं पहुंच रहा हूँ।</u>" प्राप्त हुआ, वहीं पर उक्त मैसेज को पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 06.04.2019 को जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाने का प्रयास किया गया तथा उसकी मम्मी व भाई को उठा ले जाया गया व पीड़िता के विरुद्ध नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया तथा बलात्संग का वीडियो बनाकर व दिखाकर ब्लैकमेल किया गया, वहीं पर घटना दिनांकित 06.04.2019 व मम्मी तथा भाई को उठा ले जाना साबित न होना तथा पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता के विरूद्ध नरही थाना में दर्ज रिपोर्ट/FIR का प्रस्तुत न किया जाना तथा फ्लैट पर पहुंचने का समय न बताना, न ही अंदाज से समय बता पाने का अभिकथन करना तथा बलात्संग का वीडियो पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत न किया जाना तथा पीड़िता के बाह्य परीक्षण पर जाहिरा चोट न होना तथा हाइमन झिल्ली पुरानी फटी पाया जाना व कोई जीवित या मृत शुक्राणु का न पाया जाना तथा पीड़िता द्वारा जहां घटना दिनांकित 07.03.2018 व घटना के पश्चात् हर 15 दिन पर अभियुक्त द्वारा जगह-जगह पर बलात्संग किया जाना अभिकथित किया गया है, वहीं पर घटना की तिथि व जगह-जगह बलात्संग के दौरान पहना कपड़ा को प्रस्तुत न करना, न ही मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना तथा जहां घटना दिनांकित 07.03.2018 व घटना के पश्चात् हर 15 दिन पर जगह-जगह पर अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया जाना अभिकथित किया गया है, वहीं पर घटनास्थल दिनांकित 07.03.2018 व अन्य घटनास्थल की पहचान सुनिश्चित न कर पाना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि आपबीती का वीडियो रिकार्ड किया गया तथा फेसबुक पर अपलोड किया गया, वहीं पर पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त वीडियो को प्रस्तुत न किया जाना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि फ्लैट में पहले से लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में बलात्संग का वीडियो अभियुक्त द्वारा रिकार्ड किया गया, वहीं पर फ्लैट में सी.सी.टी.वी. कैमरे का न पाया जाना और न ही सी.सी.टी.वी. कैमरे का निशान पाया जाना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 07.03.2018 को फ्लैट पर बलात्संग किया गया, वहीं पर पीड़िता व अभियुक्त का फ्लैट में जाने का व आने का सी.सी.टी.वी. फुटेज प्रस्तुत न होना तथा रजिस्टर में पीड़िता का नाम व पता अंकित न होना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 6

अप्रैल 2019 को जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाने का प्रयास किया गया तथा मम्मी व भाई को उठा ले जाया गया तथा पीड़िता के विरुद्ध नरही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया उक्त के पश्चात् मजबूर होकर, प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की तिथि से 420 दिन विलंब से अंकित करायी गयी, वहीं पर घटना दिनांकित 06.04.2019 का साबित न होना व भाई व मम्मी को उठा ले जाने का साक्ष्य न पाया जाना तथा पीड़िता के विरुद्ध नरही थाने में दर्ज रिपोर्ट/FIR को पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करना तथा अभियोजन साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा यह अभिकथित किया जाना कि पीड़िता व पीड़िता की मां द्वारा घटना दिनांकित 07.03.2018 की सूचना नवम्बर 2018 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुयी, वहीं पर लगभग 6 माह तक एफ.आई.आर पंजीकृत न कराना तथा अभियुक्त के नामांकन के 6 दिन बाद एफ.आई.आर अंकित कराना तथा पीड़िता द्वारा जहां अभियुक्त का मोबाइल नम्बर 7408000009 का बताया गया है वहीं पर विवेचक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर अभियुक्त का न होना तथा अभियुक्त द्वारा कभी प्रयोग न किया जाना अभिकथित करना तथा पीड़िता द्वारा जहां यह अभिकथित किया गया है कि वह थानाध्यक्ष लंका वाराणसी को कोई प्रार्थनापत्र हस्तलिखित व टंकित नहीं दिया, वहीं पर तहरीर पर Scanned by Cam Scanner अंकित होना तथा पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा तहरीर पर अंकित Scanned by Cam Scanner अंकित होने के संबंध में संतोषजनक कारण दर्शित न करना तथा अभियोजन साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा घटना दिनांकित 07.03.2018 की सूचना पीड़िता व पीड़िता की मां द्वारा नवम्बर 2018 के प्रथम सप्ताह में दिया जाना अभिकथित करना अर्थात् PW2 सत्यम प्रकाश राय का अनुश्रुत साक्षी होना तथा अभियोजन साक्षी (विवेचक) PW7 द्वारा यह अभिकथित किया जाना कि मुकदमे में पीड़िता के बयान के समर्थन में न तो कोई चश्मदीद साक्षी मिला और न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही मिला। उक्त समस्त तथ्य पीड़िता की घटना स्थल पर उपस्थिति को नासाबित करता है तथा पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अभिकथन न तो न्यायालय का विश्वास प्रेरित करने वाला है न ही विश्वासप्रद तथा विश्वसनीय है और न ही बेदाग तथा वास्तविक गुणवत्ता वाला है तथा पीड़िता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन में विसंगतियां तथा परिस्थितियां घटना को असंभव बनाती हैं। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत पीड़िता का साक्ष्य Sterling Witness की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्नगत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dola @ Dolagobinda Pradhan vs The State Of Odisha on 29 August, 2018 व Rajoo & Ors vs State Of M.P on 3 December, 2008 में प्रतिपादित सिद्धांत को भी अंकित किया जाना समीचीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dola @ Dolagobinda Pradhan vs The State Of Odisha on 29 August, में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication, particularly where a large number of accused are involved. It must, further, be borne in mind that the broad principle is that an injured witness was present at the time when the incident happened and that ordinarily such a witness would not tell a lie as to the actual assailants, but there is no

WWW.LIVELAW.IN

presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration.” Having due regard in our mind to the above-mentioned settled position in law, we have assessed the entire material on record meticulously. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rajoo & Ors vs State Of M.P on 3 December, 2008 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The aforesaid judgments lay down the basic principle that ordinarily the evidence of a prosecutrix should not be suspect and should be believed, the more so as her statement has to be evaluated at par with that of an injured witness and if the evidence is reliable, no corroboration is necessary. Undoubtedly, the aforesaid observations must carry the greatest weight and we respectfully agree with them, but at the same time they cannot be universally and mechanically applied to the facts of every case of sexual assault which comes before the Court. It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication, particularly where a large number of accused are involved. It must, further, be borne in mind that the broad principle is that an injured witness was present at the time when the incident happened and that ordinarily such a witness would not tell a lie as to the actual assailants, but there is no presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration.

100- प्रश्नगत मामले में जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना विश्लेषण तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अतुल राय को सपा बसपा का गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किये जाने के पश्चात् साक्षी PW2 सत्यम प्रकाश राय द्वारा फेसबुक पर अभियुक्त के विरूद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया जाना तथा टिकट निरस्त कराये जाने का अभिकथन किया जाना तथा विधायक सांसद बनने लायक न होने का अभिकथन करना तथा क्षेत्राधिकारी भेलूपुर व एस.पी.सिटी वाराणसी द्वारा ऑडियो वीडियो के अवलोकन से पश्चात् अंतर्गत धारा 173 (8) CrPC की संस्तुति किया जाना तथा अभियुक्त का अंगद राय से रंजिश होना व इस संबंध में ऑडियो वार्ता प्राप्त होना तथा घटना के तिथि व समय पर दिन रात्रि के फुटबाल टूर्नामेंट जमनिया गाजीपुर में मुख्य अतिथि के रूप में अभियुक्त का उपस्थित होना तथा पुरस्कार का वितरण करना तत्पश्चात् दावते वलीमा में शामिल होना तथा रिमाण्ड शीट (181ब/11) पर अंकित हस्ताक्षर अंगद राय व हस्तलिखित तहरीर (181ब/12) का एक लेख में होना तथा तहरीर (181ब/12) का प्रिंटआउट होना तथा वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर (प्रदर्श क-1) पर Scanned by Cam Scanner का अंकित होना तथा उक्त तहरीर पर Scanned by Cam Scanner अंकित होने के संबंध में पीड़िता/अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट व संतोषजनक कारण दर्शित न करना तथा अभियुक्त के नामांकन दिनांकित 25 अप्रैल 2019 के छः दिन पश्चात् घटना दिनांकित 07.03.2018 अंकित

कर 420 दिन बाद दिनांक 01.05.2019 को अभियोग पंजीकृत कराना तथा वाट्सअप ऑडियो की वार्ता में एफ.आई.आर में वर्णित तथ्य व साजिश के संबंध में वार्ता का पाया जाना, उक्त समस्त तथ्य अभियुक्त अतुल राय के विरूद्ध राजनैतिक साजिश व रंजिश तथा लोकसभा चुनाव में हराने हेतु सोच-समझकर एक साजिश के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराया जाना साबित करता है।

101- प्रश्नगत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांवलदास बनाम बिहार राज्य, 1974 क्रि०लॉ० ज० 664 व भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 क्रि० लॉ ज० 706 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Ummed And Another Vs State of U.P. निर्णय दिनांकित 11 मई 2012 में प्रतिपादित सिद्धांत को भी अंकित किया जाना समीचीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांवलदास बनाम बिहार राज्य, AIR 1974 SC 778 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि Neither an application of Section 103 nor of 106 of the Evidence Act could, however, absolve the prosecution from the duty of discharging its general of primary burden of proving the prosecution case beyond reasonable doubt. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1976 SC 975 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि It is well settled that the prosecution can succeed by substantially proving the very story it alleges. It must stand on its own legs. It cannot take advantage of the weakness of the defence. Nor can the court, on its own make out a new case for the prosecution and convict the accused on that basis. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Ummed And Another Vs State of U.P. निर्णय दिनांकित 11 मई 2012 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि The guilt of the accused has to be established comprehensively clear of all reasonable doubts by leading cogent, reliable, creditworthy evidence, which inspire confidence in the prosecution version. Natural corollary of this jurisprudential principle is that if, in it's initial burden of poof, prosecution fails to prove it's case then inescapable conclusion is to acquit the accused as in that eventuality there is no need to look into the defence case. It is only when prosecution has discharged it's initial burden of proof that the defence plea has to be considered to judge the veracity of the prosecution case for it's final acceptability. If the accused succeeds in creating a reasonable doubt in the prosecution version on preponderance of probability or successfully demolishes it's authenticity, then the benefit has to bestowed on him.

102- प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उपर्युक्त विवेचना विश्लेषण व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अभिकथन न तो न्यायालय का विश्वास प्रेरित करने वाला

विश्वासप्रद तथा विश्वसनीय है न ही बेदाग तथा वास्तविक गुणवत्ता वाला है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त अतुल राय पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को समाधानप्रद साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी दशा में अभियुक्त अतुल राय को संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

103- तदनुसार अभियुक्त अतुल राय पुत्र भरत सिंह (वर्तमान सांसद) निवासी बीरपुर थाना भावरकोल, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420,376,504,506 IPC व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त केन्द्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध तथा जरिये वी.सी. उपस्थित। प्रश्नगत मामले में अविलंब रिहाई आदेश अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी को प्रेषित हो। तदक्रम में अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अविलंब रिहा करना सुनिश्चित करें।

104- प्रश्नगत मामले में दं०प्र०सं० की धारा 437ए के दृष्टिगत अतुल राय द्वारा मु० 100000/- की पी.बी. तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू अंदर सप्ताह समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अतुल राय द्वारा दाखिल व्यक्तिगत बँधपत्र व जमानतनामा छः माह तक प्रवृत्त रहेगा।

105- प्रश्नगत मामले में अतुल राय (वर्तमान सांसद) को दोषमुक्त/अवमुक्त की सूचना अध्यक्ष लोकसभा नई दिल्ली को सामान्य नियमावली दाण्डिक Appendix J नियम 230 तथा द्वितीय अनुसूची प्रारूप ग के तहत प्रेषित हो।

106- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या C.L. NO. 41/98 Dated Allahabad 20.08.1998 के दृष्टिगत निर्णय की प्रतिलिपि निर्गत किये जाने के संबंध में निर्णय की एक प्रति अविलंब आशुलिपिक प्रतिलिपि अनुभाग को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनाँकः- 06.08.2022

(सियाराम चौरसिया)
विशेष न्यायाधीश M.P./M.L.A
न्यायालय संख्या 06, वाराणसी।
J.O. CODE U.P.6384

107- प्रश्नगत निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः- 06.08.2022

(सियाराम चौरसिया)
विशेष न्यायाधीश M.P./M.L.A
न्यायालय संख्या 06, वाराणसी।
J.O. CODE U.P.6384

आशुलिपिकः (रेनू कुमारी)

WWW.LIVELAW.IN